राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६०, का १०वां दिवस [संख्या ७

शुक्रवार, दिनांक ४ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ४ मिनिट पर विधान सभा भवन, जयपुर; में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, शिक्षा, कृषि, सामामान्य प्रशासन, राजस्व, जन-सम्पर्क, पंचायत तथा समाज कल्याण विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या १९९.

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह ।

प्रिन्सिपल, गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर के निजि सहायक का बी. ए. की परीक्षा में बैठना

२००. डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : Will the Ecation Minister be pleased to state:—

(a) Can a full time Government servant in the Education Department join regular day classes and take examinations as a collegiate candidate ? If not, how is it that Shri Dani, P. A. to Principal of Government College, Ajmer appeared at the B. A. Examination of the Rajasthan University as a regular candidate ?

(b) Is it also a fact that Shri Dani, whie studying as a student himself was in charge of the entire college attendance registers, and that two other clerks of the same college have attended regular classes and appeared for Intermediate Examination ?

(c) What action does the Government propose to take against the P. A. to the Principal ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(a) Rules governing prohibition of joining or attending educational institutions by Government servants are placed below on the table of the

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

House. They apply Governmen employees of the Education Department also, except teachers and librarians who subject to rules and regulations of the Education Department and permission of the appointing authority may join or attend any educational institution and appear in the examination outside the office hours.

Shri Dani P. A. to Principal at the B. A. Examination of Rajasthan University in 1959 as a regular candidate with the permission of the Principal. The giving of permisson was irregular. It is likely that Principal would have not remembered the circular. The Principal is being instructed to observe Government rules strictly in future.

(b) No, it is not a fact that Shri Dani was incharge of College attenddance registers. It is also not a fact that two other clerks of the same college have attended regular classes and have appeared for the Inter Examinations.

(c) Shri Dani was permitted to attend the classes and to appear in the Examination by the Principal. The Principal is being instructed to observe rules in this behalf in future.

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : whether it was a serious irregularity ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : The facts have been placed before the House.

श्री मूलचन्द डागा : What sort of irregularity it is ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I said the facts are before us. Now I canno say whether it is a very serious or serious or a minor irregularity.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : What is the view of the Government with regard to the irregularites committed ? Whether it treats them of a serious nature or otherwise ?

श्री पूनमचन्द बिश्नई : We took it seriously and instructions have been issued to the Principal to be careful.

श्री श्रीभानसिंह : Did the Government take it seriously only for issuing the instructions or were the irregularities considered of a serious nature ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Mr. Speaker, Sir, I have already placed the facts before the House and the action taken by us. Now the Hon'ble Members may judge it. There is no measurement or a Berometre by which we may say about the seriousness.

श्री अध्यक्ष : Next question please

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या २०१ ।

श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २०२ ।

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

मुकदमों के फैसलों में अनावश्यक विलम्ब

२०३. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्व तथा प्रशासन मिश्रित अदालतों में मुकदमों के फैसलों में जो अनावश्यक विलम्ब होता है उसके बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निर्धारित आदेशों के अनुसार समय समय पर अदालतों का निरीक्षण किया जाता है और अनावश्यक विलम्ब के मामले दृष्टिगत होने पर सरकार द्वारा सम्बन्धी अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : दौसा के अन्दर और लालसोटके अन्दर पांच-छः सालों से केसेज़ पड़े हैं जिनमें कोई फैसला नहीं हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कौन सी अदालत में ?

श्री प्रभुलाल पुरोहित : दौसा और लालसोट में ?

श्री रामकिशोर व्यास : कई कोर्ट्स हैं, मजिस्ट्रेटी भी हैं और मुन्सिफ भी हैं ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : मजिस्ट्रेटी में ।

श्री रामकिशोर व्यास : देख लेंगे ।

प्रश्न संख्या २०४ ।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

रामगढ़ पचवारा, थाना लालसोट में हुई चोरियों के कारणों में जांच

२०५. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या गृह मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे :—

(क) रामगढ़ पचवारा, थाना लालसोट, में सन् १९५८—५९ में कितनी चोरियां, किस किस के हुई और कितना कितना माल बरामद हुआ ?

(ख) क्या यह सच है कि श्री घासीलाल नामक व्यक्ति द्वारा चोरों का नाम बताने और

Page No.4

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

चोरी का माल शनाख्त करने पर भी थाना लालसोट ने कोई कार्यवाहीं नहीं की ?

(ग) क्या यह भी सच है कि इन चोरियों के काण्डों में कांग्रेस के कर्मठ सदस्यों और मण्डल के पदाधिकारियों का हाथ है और इस विषय में मुस्तगीस ने थाने से लेकर आई० जी० साहब के ऑफिस तक दर्ख्वास्त दी है और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) सन् ५८ औरसन् ५६ में रामगढ़ पचवारा में ४ चोरियां; जिनमें ३ नकबजनी हैं, हुई। सन् ५८ में ३ व ५६ में १। वह चोरियां निम्न व्यक्तियों के हुई : सर्व श्री छोटूलाल शर्मा, नाथूलाल घीया, घीसालाल ब्राह्मण एवं चतुर्भुज महाजन। इन मामलों में २१८ रु० ५० न० पै० की सम्पत्ति, जिसे कि चोर घटनास्थल के पास ही छोड़ गये थे, के अतिरिक्त कोई सम्पत्ति पुनः प्राप्त नहीं हुई।

(ख) जी नहीं। श्री घीसालाल द्वारा बताये व्यक्तियों को गिरफ्तार करके ६ दिन तक पूछताछ की गई परन्तु कोई लाभप्रद बात मालूम न हो सकी। क्योंकि कोई सम्पत्ति बरामद नहीं हुई, अतः उसके पहचानने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, अनुसन्धान से इन मामलों में कोई राजनैतिक हाथ नहीं पाया गया। किसी ने इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं की।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामधन (दौसा) : क्या यह सही है कि घासीलाल ने चोरों को पकड़वा दिया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री रामधन : माल भी बरामद करवाया था उसने

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री प्रभुलाल पुरोहित : यह जो चोरियां हुई थीं, चोरों को पकड़वा दिया और पुलिस ने मिलकर उनको छोड़ दिया।

प्रश्न संख्या २०६।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री रामधन।

ग्राम खैरवाल, तहसील दौसा, के भूमि एकीकरण कार्य में रुकावट डालने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

२०७. श्री **रामधन** (दौसा) : क्या राजस्व मंत्री यह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या ग्राम खैरवाल, तहसील दौसा में भूमि एकीकरण का कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों।

(ख) क्या इस एकीकरण के काम में रुकावट डालने वाले सरकारी कर्मचारी हैं ? यदि हां तो, कौन कौन

Page No.5

(श्री रामधन)

(ग) क्या उनके खिलाफ सम्बन्धित महकमे में कोई शिकायत हुई ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी नहीं । आबादी के लिए भूमि छोड़ने के प्रश्न पर ग्रामवासियों के आपस के मतभेद के कारण विलम्ब हो रहा है । योजना सफल करने की कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

श्री रामधन : क्या कोई राज्य कर्मचारी ऐसा नहीं है जो गांव के काम में रुकावट डालता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपस में गांव वालों के बीच में मनमुटाव से यह हो रहा है । राज्य के कर्मचारी कुछ कर रहे हैं, ऐसी मेरी जानकारी नहीं है ।

श्री रामधन : गांव वालों को बहका करके ऐसा करवा रहे हैं कि कॉन्सोलिडेशन के काम में रुकावट आ रही है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप स्पेसिफिक नाम बतायें तो कुछ कर सकता हूं ।

श्री रामधन : नाम तो आप दरयाफ्त करते, इसीलिए यह प्रश्न पूछा गया था ।

श्री नाथूराम मिर्धा : दरयाफ्त किया है उससे ही पता लगा है कि राज्य वालों ने कुछ नहीं किया है । गांव वालों में ही आपस में मन मुटाव हो रहा है उस वजह से काम में रुकावट हो रही है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या भूमि के एकीकरण के मामले में सरकार दबाव डाल रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दबाव डाल नहीं रहे हैं । दबाव डालकर करवाना होता तो कभी का वह पूरा करवा देते । उनको एक साथ एक लाइन में लाकर काम करवाना चाहते हैं ।

तहसील लालसोट में मौजा बिनौरी में सरकारी पेड़ों और जमीन पर के नाजायज काबिज श्री शम्भूलाल चौबे से बंधी रकम की वसूली

२०८. **श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) :** क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील लालसोट में मौजा बिनौरी में सरकारी पेड़ों और जमीन पर कब्जा करने सिलसिले में बन्धी रकम नाजायज कब्जा करने वाले श्री शम्भूलाल चौबे से अब तक क्यों नहीं वसूल की गई ?

(२) इसकी वसूली के बारे में अभी तक कोई आदेश जारी हुए या नहीं ?

(३) यदि हां, तो वसूली करने में तहसीलदार लालसोट ने ढील क्यों बरती ?

(४) यदि नहीं, तो आदेश क्यों नहीं जारी हुए ?

Page No.6

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(५) क्या सरकार नुकसान की पूरी जानकारी करने के लिये दुबारा जांच करवाने का इरादा रखती है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : तीन साल से पी० डी० आर० के तहत में पैसा वसूल करने की कार्यवाही चल रही है लेकिन कुछ नहीं हुआ है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कार्यवाही चल रही है यह मुझे याद नहीं है । लेकिन आपने जो सूचना इस प्रश्न के ज़रिये मांगी है वह पूरी एकत्रित नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष : इसको अगले सप्ताह लेंगे ।

प्रश्न संख्या २०६

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

श्री तेजाराम गहलोत ।

एडीशनल सेटलमेंट कमिश्नर, जोधपुर द्वारा फैसल मुकदमें

२१०. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि एडीशनल सेटलमेंट कमिश्नर, जोधपुर, द्वारा अपने फैसल किये गये मुकद्मों की तामील धारा १४२ राजस्थान रैवेन्यू कोर्टस् मेन्युअल पार्ट २ के अनुसार नहीं की जाती है ?

(ख) एडीशनल सेटलमेंट कमिश्नर, जोधपुर द्वारा सन् १६५८ में पाली जिले के कौन कौन से मुकदमे किस किस तारीख को फैसल किये गये व उक्त मुकद्मों में किन किन तारीखों को धारा १४२ राजस्थान रैवेन्यू कोर्टस् मेन्युअल के तहत पटवारी ने रेकॉर्ड्स में फैसले की रूह से दुरुस्ती करने की इत्तिला भेजी ?

(ग) जिन मुकद्मों की तामील धारा १४२ राजस्थान रैवेन्यू कोर्टस मेन्युअल की तहत नहीं की गई, उसका क्या कारण है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : **(क)** जी नहीं ।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । इन केसेज़ में ऐसा एक भी नहीं है कि जिसमें पटवारी के रेकॉर्ड में परिवर्तन या अमल बरामद करने की आवश्यकता हुई हो ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जो सूची दी गई है और जैसा कि मंत्री महोदय ने फर्माया कि एक भी ऐसा नहीं है, लेकिन इनमें ८,१० केसेज़ ऐसे हैं कि जिसमें लोअर कोर्ट के फैसले को सेट एसाइड किया गया है और केसेज़ को रिमान्ड किया गया है । जब फैसले को सेट असाइड किया जाता है तो उसकी रूह से पटवारी के रेकॉर्ड में चेन्जेज

Page No.7

(श्री तेजाराम गहलोत)

होना लाजिमी है, लेकिन इसमें नहीं किया गया है, और जवाब दिया जाता है कि जी नहीं। जब निचली कोर्ट के फैसले को सेट असाइड करके रिमान्ड किया गया है तो पटवारी के रेकॉर्ड्स में भी वह चेन्जेज़ होने चाहिए थे लेकिन वह नहीं हुए हैं। ऐसे जितने मुकद्दमों में रिमान्ड हुआ है उनमें किसी में चेन्जेज़ नहीं किये गये है।

श्री नाथूराम मिर्धा : रिमान्ड करने से ही केस का फाइनल निर्णय नहीं हो जाता है।

श्री तेजाराम गहलोत लेकिन लोअर कोर्ट के फैसले को सेट असाइड करने से जो चेन्जेज होने चाहिए थे वह नहीं हुए हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : जब तक केस फाइनल नहीं हो जाता है तब तक वह नहीं किया जाता है। रिमान्ड के करने से फर्दर एन्क्वायरी होगी और गवाहियां होगीं।

श्री तेजाराम गहलोत : एक तरफ तो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया गया है और लोअर कोर्ट के फैसले के मुताबिक पटवारी के रेकॉर्ड में इन्दराज है, तो उसमें भी चेन्जेज होने चाहिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जब तक केस फाइनल हो जाता है तब तक उसमें रहेगा। ऐसे मुकद्दमों में २,३ अपीलें प्रोवाइडेड हैं। कमिश्नर के यहां से रिमान्ड होकर आया और फिर रेवेन्यू बोर्ड से रिमान्ड होकर आया तो चेंज कर दो, फिर दूसरी लोअर कोर्ट ने कोई फैसला दिया वह चेंज कर दो यानी जैसा हर कोर्ट कहे वैसा करते जाओ। रिमान्ड किया है और उसकी अपील फिर कमिश्नर के पास जाय और फैसला करे तो उस तरह से चेंज करो। उसकी अपील रेवेन्यू बोर्ड को जायगी। तो इस तरह से जब तक उसका फाइनल फैसला नहीं हो जाता है तब तक चेन्ज नहीं किये जा सकते हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : रेवेन्यू के रेकॉर्ड्स के रूल जो हैं उनकी मन्शा यही है कि फैसले के मुताबिक चेन्जेज होते रहते हैं वह पटवारी और तहसीलदार के मार्फत होते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह अपील फाइनल हो जाती हैं उनका होता है। जैसे कमिश्नर की अपील रेवेन्यू बोर्ड में एक महीने के अन्दर होनी चाहिए, और एक महीने के अन्दर अपील नही होती है तो वह फाइनल हो जाता है और उसके मुताबिक चेन्जेज़ कर दिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री रामकिशन पारीक की मृत्यु के विषय में जांच

२११. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि ता० १०-६-५८ को श्री रामकिशन पारीक की लाश बिनानियों की तलाई, बीकानेर में मिली ?

(ख) श्री रामकिशन पारीक की मौत कैसे हुई ? उसकी मेडिकल रिपोर्ट क्या है ? कॉपी सदन की मेज पर रखें। क्या यह सत्य है कि उसकी लाश मिलने के दो दिन पूर्व उसे कोतवाली, नया शहर में बुलवाया गया था

Page No.8

(श्री मुरलीधर व्यास)

(ग) यदि हां, तो उसे बुलाने कौन कौन सिपाही कब गये थे और उन्होंने थाने में कब पेश किया व थानेदार ने वहां से उसे कब, कितने बजे, किसके सामने छोड़ा ?

(घ) क्या थाने में उसके पिताजी अपने लड़के को पूछने आये थे ? यदि हां, तो उन्हें क्या उत्तर मिला ?

(ङ) क्या सरकार ने इस सब मामले के सम्बन्ध में सी. आई. डी. इन्सपेक्टर से भी जांच करवाई है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ? कॉपी सदन की मेज पर रखें।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां, शव १०-६-५८ को प्राप्त हुआ था।

(ख) श्री रामकिशन दम घुटने के कारण मरा था। उसके पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट की नकल सदन की मेज पर रख दी गई है। उसे उसकी मृत देह का पता लगने के दो दिवस पूर्व ८-६-५८ को थाने में बुलाया गया।

(ग) सर्व श्री बिहारीलाल हैड कॉन्सटेबिल, कल्याणसिंह एल. सी. एवं हुसेनखां एफ. सी ने उसे थाने नया शहर में एस. एच. ओ. के सम्मुख दिनांक ८-६-५८ को शाम को करीब ६-३० बजे प्रस्तुत किया। एस. एच. ओ. के अनुसार उसने उसे उसी समय वापिस जाने की इजाजत दे दी।

(घ) जी हां, हैड कॉन्सटेबिल श्री बिहारीलाल को एस. एच. ओ. द्वारा श्री रामकिशन की तलाश करने के लिये नियुक्त किया गया और उसके पिता से हैड कॉन्सटेबिल ने जस्सूसर दरवाजे के पास मिल कर उसके प्रयासों का फल ज्ञात करने की प्रार्थना की।

(ङ) जी हां, सी. आई. डी. इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट की कि सबूत न होने के कारण अन्तिम रिपोर्ट दे दी जावे।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री मुरलीधर व्यास : जो तीन पुलिस के कर्मचारी उनको बुलाने के लिए भेजे गये थे वहां पर तो क्या उनके साथ में रिटन सम्मन भेजे थे, सूचना भेजी थी कि अमुक कारणों से बुलाते हैं जैसे कि तशरीह दर्ज की जाती है उसके बाद बुलाते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि जबानी भेजा था या लिख कर भेजा था।

श्री मुरलीधर व्यास : तीन कॉन्सटेबिल भेजे थे तो कानून क्या है कि किस कारण से बुलाया गया है यह उसको सूचना नहीं दी जाती है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : कारण यह था कि उन्होंने मोहल्ले में नशा करके न्यूसेन्स कर रखी थी और लड़के वगैरह उनके चारों तरफ फिर रहे थे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या उनके खिलाफ कोई मुकद्दमा दर्ज था कि जिसके कारण से उनको बुलाया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : नशे वशे में थे।

Page No.9

श्री मूलचन्द डागा : कौन सी दफ़ा में मुकद्दमा दर्ज था ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसका मुझे पता नहीं है। पब्लिक न्यूसेन्स रास्ते में थी उन्होंने नशा कर रखा था और न्यूसेन्स हो रहा था इसलिए बुलाया था।

श्री मुरलीधर व्यास : यह कैसे पता चला पुलिस को और पुलिस कॉन्सटेबिल भेजे कि उन्होंने नशा कर रखा है और न्यूसेन्स कर रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : उधर से सब इन्सपेक्टर गुजर रहे थे और रास्ते में यह हो रहा था।

श्री मुरलीधर व्यास : उन्होंने तीन आदमी भेजे ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास : शिकायत किसने की ?

श्री रामकिशोर व्यास : सब-इन्सपेक्टर उस ओर से गुज़र रहे थे और यह न्यूसेन्स हो रहा था।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा है कि इस प्रकार से तीन आदमी भेजे बुलाने के लिए तो क्या थानेदार या पुलिस के किसी आदमी ने शिकायत की है वहां जाकर कि ऐसा न्यूसेन्स हो रहा है और उसके बाद में तीन पुलिस के कर्मचारी भेजे, यह बात सही है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने फेक्ट्स बताये थे कि सब-इन्सपेक्टर उधर से गुज़र रहे थे और रास्ते में शोर गुल था। बहुत से लोग इकट्ठे हो रहे थे। लड़के, लोग और पब्लिक पड़ रही थी। मर्द और बच्चे उसमें शामिल थे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : जिस टाइम में सब-इन्सपेक्टर गुज़रे तो यह माना जाय कि उन्होंने उस वक्त इन्टरवीन नहीं किया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : उन्होंने क्या किया, इसकी रिपोर्ट नहीं है। इतना फेक्ट था कि न्यूसेन्स हो रहा था इसलिए बुलाया।

श्री श्रीभानसिंह : न्यूसेन्स था तो सब-इन्सपेक्टर ने इन्टरवीन क्यों नहीं किया ? थाने में आकर वापिस आदमी क्यों भेजे ?

श्री रामकिशोर व्यास : अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता था।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब किस प्रकार से दिये जा रहे हैं ? यह बहुत सीरियस केस है और आप यों ही कह रहे हैं कि न्यूसेन्स था और कुछ नहीं था। जब सब-इन्सपेक्टर उस टाइम में वहां से गुजरा और न्यूसेन्स था, वे लोग नशा करके दंगा कर रहे थे उस वक्त सब-इन्सपेक्टर ने इन्टरफियर क्यों नहीं किया ? उस स्थिति को अपने हाथ में क्यों नहीं लिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसने इन्टरफियर क्यों नहीं किया, इसका जवाब मैं अर्ज नहीं कर सकता। यह उनके

(श्री रामकिशोर व्यास)

डिस्क्रीशन की बात थी। फैक्ट्स के अन्दाज से यह नहीं मालूम हो सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां से गुजरे, उसकी रिपोर्ट उन्होंने इस बात की की है कि जब मैं वहां से गुज़र रहा था तब वहां पर न्यूसेन्स हो रहा था ?

श्री रामकिशोर व्यास : एवीडेन्स में ऐसी बात आती है।

डॉ० चन्द्रकला : (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : क्या यह उन्होंने लिखित में दिया है कि वहां पर न्यूसेन्स हो रहा है, वहां जाकर उनको लाओ थाने में ?

मूलचन्द डागा : क्या पुलिस सब-इन्स्पेक्टर को अपने रोजनामचे में इस बात को दर्ज करना चाहिए था ?

श्री रामकिशोर व्यास : दर्ज किया जाना चाहिए था।

श्री मूलचन्द डागा : मैं पूछ रहा हूँ फैक्ट और आप जनरल बात करते हैं।

श्री रामकशोर व्यास : आपने जैसा पूछा है जनरल क्वेश्चन वैसा ही मैंने कहा कि होना चाहिए था।

श्री श्रीभानसिंह : इस न्यूसेन्स का टाइम आप बता सकते हैं कि किस टाइम पर वह सब-इन्स्पेक्टर वहां से गुज़रा ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह शाम की बात है ८ तारीख की।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह जानना चाहता हूं ...

श्री श्रीभानसिंह : शाम को कितने बजे ?

श्री रामकिशोर व्यास : करीब ५, ५।। बजे के आसपास।

श्री मुरलीधर व्यास : लेकिन उसके बाद में जैसा कि कहा गया कि ३ आदमी बुलाने के लिये गये थे तो वे नशे में हो रहे थे और कुछ गड़बड़ कर रहे थे। अगर गड़बड़ करते होंगे तो क्या २,४ आदमियों ने शिकायत की कि यह आदमी इस प्रकार से गड़बड़ कर रहा था ? इस प्रकार कोई एवीडेन्स रेकॉर्ड पर है कि वे गड़बड़ कर रहे थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस प्रकार की एवीडेन्स आई है, मेजिस्ट्रेट ने इन्क्वायरी की है। ३,४ आदमियों की शहायत गुज़री है उनमें से एक का नाम महादया है।

श्री मुरलीधर व्यास : गवाहियों के नाम क्या हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक का नाम महादया है, जहां तक मुझे याद पड़ता है।

श्री मूलचन्द डागा : What was the cause of his death ?

Page No.11

श्री रामकिशोर व्यास : एस्फिक्सिया की बीमारी थी।

श्री मूलचन्द डागा : Is there any Report of a Chemical Expert giving specific reasons ?

श्री रामकिशोर व्यास : डॉक्टरी मुआयना हुआ। मैडिकल रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ यही बताया है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि तालाब के किनारे लाश पाई गई, इसकी इत्तला किसने दी ?

श्री अध्यक्ष : मैजिस्ट्रेट के यहां जो इन्क्वायरी हुई है उसके बेसिस पर इत्तला दे रहे हैं। अगर इससे किसी को संतोष नहीं है हायर कोर्ट में उसे चेलेन्ज कर सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मेजिस्ट्रेट के पास केस भेजा गया उसमें पुलिस ने बयान दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत जांच होती है।

श्री मुरलीधर व्यास : रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मौत का कारण नहीं मिला। आखिर मैडिकल रिपोर्ट है उसमें पुलिस ने इस प्रकार की रिपोर्ट दी थी कि आदमी पानी में डूब कर मर गया और मैडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि यह गलत है पानी में डूब कर नहीं मरा। दूसरी बात डॉक्टर ने यह कही कि उसकी मौत १८,२० घंटे पहले हुई है। तो जिस समय उसे थाने में लाया गया उस समय उसकी डेथ हुई है। उसकी जांच भी की। किस कारण से हुई, यह बताया है कि या तो उसका गला घोटा गया है लेकिन सही बात यह है कि थाने में वह मर गया, वहां पर उसके गले पर लात मारी गई थी!

श्री रामकिशोर व्यास : आप फरमा चुके हों तो मैं अर्ज करूं। पुलिस ने यह नहीं कहा कि ड्राउनिंग की वजह से डेथ हुई। क्योंकि उसकी लाश वहां मिली थी इसलिये मैडिकल एग्जामिनेशन के लिये उसे भेज दिया। दूसरी बात आपने यह फरमाई कि १८ घंटे पहले डेथ हुई थी इसलिये पुलिस में होनी चाहिये। यह सही बात है कि १८ घंटे पहले डेथ हुई थी, पोस्ट मार्टम हुआ ६ तारीख को ८ बजे के बाद और यह वाकया है ८ तारीख का। रिपोर्ट में बताया है कि एस्फिक्सिया से डेथ हुई।

श्री मुरलीधर व्यास : रिपोर्ट में यह लिखा है कि cause of death is rooted out पी० एम० ओ० के उस पर साइन हैं। यह कॉज़ किसने बताया, पुलिस ने ही बताया।

श्री रामकिशोर व्यास : कुंए से या तालाब से किसी की मरी हुई लाश को निकालते हैं तो डॉक्टर से एग्ज़ामिन करा कर राय लेते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : तालाब के किनारे लाश मिली। यदि डूबा हुआ होता तो लाश फूल जाती, फिर कैसे कहते हैं कि तालाब में डूब गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : तलाई में से निकला है।

Page No.12

श्री मुरलीधर व्यास : यह कहां है रिपोर्ट में ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On the information given by the S. I., 3 Policemen were sent, May I suppose, when they went the dead body was found ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह बात है ८ तारीख की और वह वाक्या है १० तारीख का। सन् ५८ का वाक्या है, अब आप क्या फरमा रहे हैं ?

प्रश्न संख्या २१२

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री उम्मेदीलाल।

हिन्डौन में मिडिल स्कूल खोलना

२१३ **श्री उम्मेदीलाल** (करौली सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सच है कि हिन्डौन में प्राइमरी स्कूलों की बहुतायत है तथा मिडिल स्कूल एक भी नहीं है जिससे विद्यार्थियों की संख्या हाई स्कूल में काफी है और दो शिफ्टों में स्कूल चलता है ? क्या सरकार का वहां मिडिल स्कूल खोलने का विचार है ? अगर हां, तो वह कब तक खोल दिया जायगा ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : जी हां। प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने में ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्राइमरी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं, प्राथमिकता दी जाने की योजना है। यदि जनता की ओर से पर्याप्त भवन की सुविधा प्राप्त हो। अतः हिन्डौन में कोई माध्यमिक शाला निकट भविष्य में खोलने की संभावना नहीं है।

श्री उम्मेदीलाल : मैंने यह अर्ज किया था कि हिन्डौन में मिडिल स्कूल नहीं है; वहां की जनता ने कई बार अर्जी दी लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, अर्जियें दी लेकिन वहां पर कोई भवन नहीं है, जो भवन है उसमें २ कमरे हैं; उसमें मिडिल स्कूल खोलना संभव नहीं है इसलिये वहां नहीं खोला जा सकता।

प्रश्न संख्या २१४

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

राजस्थान प्रदर्शनी, १९५९ में बिजली की व्यवस्था

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the publie Relation Minister be pleased to state:—

1. Is it correct that electrification work at Rajasthan Exhibition, 1959

(श्री पी० के० चौधरी)

was given to one M/s, Gupta Electric works ?

2. Is it correct that he has charged for the work Rs. 5. 85 np. per point ? And if so, what is the amount paid to him therefore ?

3. Is it correct that M/s, Gupta Electric Works charged the stall holders for electricity consumption -/8/- per unit i. e.- /2/- higher than the rate at which energy is supplied by the Power House ?

4. Is it also correct that there were no separate meters provided to ascertain the amount of energy consumed by each stall holder and they have been arbitrarily charged by M/s, Gupta Electric Works ?

5. What is the quantum of energy for which State Government Stals have been charged by him ?

जनसम्पर्क मंत्री (रामकिशोर व्यास) :
1. Yes.

2. The fixation of points was one of the many items of the contract. He has charged for providing points with bulbs at the rate mentioned and the charges for this item included in the Contractor's bill amounting Rs.7, 651, 80 N. P. only.

3. The stall holders were charged at 50 N.P. per unit as that is the rate charged by the State Electricity Board for temporary connections. Thus no higher rate was charged.

4. No separate meter was installed for each stall holder.This was not possible. The stall holders were not arbitrarily charged for electric consumption but on the basis of energy actually consumed by them which was worked out in relation to the waltage installed and hour of consumption which were calculated at six per day.

5. He has not charged any thing for State Governmnt stalls for energy consumed by them.

श्री पी० के० चौधरी : I would like to know, my question no. 3 is not clearly replied; whether he was supplied electric energy a-/6/-per unit ?

श्री रामकिशोर व्यास : I said that is the rate charged by theS tate Electricity Board.......

श्री पी. के. चौधरी : You said he has charged at the Electricity Board 's rate. Was he charged -/6/- per unit and he charged from the stalls @-/8/- per unit. ?

श्री अध्यक्ष : जो युजुअल रेट है वही चार्ज करनी पड़ेगी ।

श्री रामकिशोर व्यास : कोई एम्बीग्युटि हो तो ओर जानकारी कर लेंगे; एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की रेट है ८ आने वही चार्ज किये ।

श्री पी. के. चौधरी : I want to know at what rate he received.

श्री रामकिशोर व्यास : The same rate.

श्री पी० के० चौधरी : How the consumption was then distributed by him.?

श्री अध्यक्ष : That he has already explained.

श्री रामकिशोर व्यास : जवाब अर्ज कर दिया। यह पोसिबल नहीं है। ५००, ६०० दुकानें हैं। सब के लिये मीटर लगाना संभव नहीं है वोल्टेज एक का देख लेते है और मालूम कर लेते हैं।

प्रश्न संख्या २१६

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी।

सरपंच, जॉन (Jaun) पंचायत द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव के पारित होने के बावजूद भी कार्य करना

२१७. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Panchayat Minister be pleased to state:--

1. Is it correct that a vote of no confidence was passed against the Sarpanch, Jaun Panchayat, Tehsil Dausa ? If so, when ?

2. It is correct that the Govt. has issued stay order in this case ? If so, when ? Is the same Sarpanch against whom vote of no confidence was passed still unctioning as Sarpanch ? If so, under which provision of the law ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां, दिनांक ११. ३. ५८ को।

(२) जी हां, दिनांक ४. ४. ५८ को ! वही सरपंच अभी कार्य कर रहा है। राजस्थान पंचायत अधिनियम, १९५३ की धारा ७६ के अंतर्गत राज्य सरकार मुख्य पंचायत अधिकारी के किसी आदेश को रद्द कर सकती है या स्थगित कर सकती है और ऐसा आदेश जारी होने पर जब तक उसका अंतिम निर्णय न हो जाये स्थिति पूर्ववत ही रहती है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या वह ऑर्डर इल्लीगल था जिसमें ७६ का उपयोग लिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सेक्शन ७५ में ऑर्डर होता है उसके खिलाफ सेक्शन ७६ में गवर्नमेंट के पास अपील होती है उसको स्टे कर सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सेक्शन ७५ के अंतर्गत ऑर्डर पास हुआ है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ७५ की सब क्लाज (३) में पंचायत ऑफिसर ऑर्डर देता है उसके खिलाफ गवर्नमेंट के सामने अपील हो सकती है और गवर्नमेंट उसे रिमूव कर सकती है, किसी को हटा दिया है

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

उसके खिलाफ गवर्नमेंट के पास अपील हो सकती है और स्टे ऑर्डर गवर्नमेंट दे सकती है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सच है कि आपका स्टे ऑर्डर अभी स्टेन्ड कर रहा है और वह कंटिन्यु कर रहा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जबाब में बताया है कि इन्क्वायरी हो रही है।

श्री पी० के० चौधरी : It is still continuing or it has been vacated?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले यह मामला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डील हो रहा था। जब पंचायत विभाग अलग हुआ तो यह कागज़ लोकल सेल्फ विभाग में ही रह गया और डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर का ऑफिस भी टूट गया। पहले जो इन्टेरिम ऑर्डर दिया था वह पुट-अप नहीं हुआ इसलिये वह रह गया, अब जल्दी कर रहे हैं।

श्री पी. के. चौधरी : How will this enquiry take ? It is more than two years ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जल्दी ही तय कर देंगे। Within a week or so.

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

कृषि सहकारी समितियां, तहसील रायसिंह नगर

२१८. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) रायसिंहनगर तहसील में अप्रेल, सन् १९५८ से १ जनवरी, सन् ६० तक कहां कहां, किस नाम से सहकारी खेती की समितियों का रजिस्ट्रेशन हुआ ?

(ख) ऐसी प्रत्येक सहकारी समिति में कितनी कितनी भूमि है तथा यह भूमि कहां कहां से कितनी कितनी प्राप्त हुई ?

(ग) सहकारी समितियों के अधिकार में आने से पूर्व के ५ वर्षों में यह भूमि किन किन काश्तकारों के कितने वर्षों से अधिकार में थी ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(घ) क्या यह सही है कि स्थानीय बी. डी. ओ. ने जबर्न आराजी काश्तकारों से जमीन छुड़वा कर यह समितियां बनाई, जिसकी शिकायतें उच्चाधिकारियों के पास इन काश्तकारों द्वारा दी गई ? यदि हां, तो इन शिकायतों की जांच की गई या नहीं ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा ?

(ङ) क्या यह सही है कि इन्हीं आराजी काश्तकारों के कारण अभी तक कुछ समितियों को उनकी भूमि पर अधिकार नहीं मिल सका है ? यदि हां, तो किन किन को ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No.16

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) कुछ शिकायतें पेश हुईं जिनके मुतल्लिक जांच हो रही है ।

(५) जी नहीं । उपरोक्त सारी समितियों को उनके अलॉट शुदा भूमि पर कब्जा मिल चुका है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री भैरोंसिंह : यह जांच कब से आरम्भ हुई है और किसके द्वारा कराई जा रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जांच शिकायत आने के बाद ही लागू कर दी गई । कलेक्टर देख रहे हैं इस मामले को ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के पास प्रारम्भिक जांच में इस प्रकार की सूचना नहीं है कि कुछ लोगों की जबरदस्ती भूमि छीन ली गई है और उनको भूमि से अलहदा कर दिया गया है । उस स्थिति में सरकार उन लोगों को भूमि वापिस करने के आदेश नहीं दे सकती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : परमानेन्टली अलॉट की गई है, वैसे जमीन छीनी नहीं है । कुछ लोगों को टेम्प्रेरी अलॉटेड थी, वे नहीं छोड़ना चाहते थे ! उन्होंने कहा है कि सोसाइटी बना कर इनको जमीन दे दी और हम काश्त कर रहे हैं, हमको नहीं दी गई ।

श्री भैरोंसिंह : पांच पांच वर्ष से जो लोग काश्त करते थे, उनसे जमीन लेकर सहकारी समितियों को अलॉटमेंट करवा दिया । उनकी शिकायत यह है कि हमारे बाद के किसानों को, जो साल डेढ़ साल से काश्त करते थे, उनको जमीन दे दी । इस प्रकार यह प्राइमाफेसी केस बनता है, इस पर जांच हुई है । क्या आप स्टे ऑर्डर नहीं दे सकते कि जब तक जांच न हो जाय तब तक कोई व्यवस्था न की जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह जमीन सहकारी समितियों को दी जा चुकी है, इसलिए स्टे ऑर्डर देने का प्रश्न पैदा नहीं होता । उन्होंने शिकायत की है, मुझे पता नहीं कि उसकी एग्जेक्ट नेचर क्या है . उसमें लिखा है कि पांच साल वालों से जमीन छीन ली और डेढ़ साल वालों को सोसाइटी में रख लिया । इसमें प्रश्न पैदा होता है कि सहकारी समिति को जमीन अलॉट की जाती है, उसमें चॉन्स रहता है कि किस जगह जमीन अवेलेबल है, कहां के लोग हैं, कौनसी जगह लेना चाहते हैं । मैंने कहा कि जांच की जा रही है, उसका निर्णय आने पर मेरिट पर देखेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : अगर जांच से यह चीज साबित हो गई कि वास्तव में ज्यादती की गई है । उस स्थिति में सरकार इस निर्णय पर पहुँचेगी कि जमीन वापिस दी जाय ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जरूर निर्णय करेगी, ऐसा नहीं करना चाहिए ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : पांच साल से जो लोग काश्त करते थे,

Page No.17

(श्री मुरलीधर व्यास)

उनको सहकारी समिति का सदस्य बनाया गया है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सहकारी समिति के जो सदस्य बनना चाहते हैं उनको बनाया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल पंवार।

राजस्थान भाखड़ा प्रोजेक्ट के सीमेन्ट आदि के काला बाजारी के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में दर्ज केसेज में कार्यवाही

२१६. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर--सु०) : क्या गृहमंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान भाखड़ा प्रोजेक्ट में सीमेन्ट आदि को काला बाजार में बेचने के कितने केस एन्टीकरप्शन विभाग में दर्ज किये गये हैं।

(२) एन्टीकरप्शन विभाग द्वारा उक्त कितने मुकद्दमों के चालान कोर्ट्स में कामयाब हुए और कितने नाकामयाब रहे ?

(३) जो नाकामयाब रहे उन पर विभागीय कार्यवाही क्या की गई ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) एक अभियोग भारतीय दंड संहिता धारा ४०६ के अन्तर्गत श्री ताराचन्द ओवरसियर, सिंचाई विभाग के विरुद्ध सन् १६५७ में पंजीबद्ध किया गया था।

(२) अभियोगी श्री ताराचन्द इस अभियोग में न्यायालय द्वारा मुक्त कर दिये गये थे।

(३) सम्बन्धित अधिकारियों को विभागीय जांच किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री धर्मपाल पंवार : क्या सरकार यह महसूस करती है कि देश में जहां इतने बड़े बड़े काम हुआ करते हैं, वहां ऐसा काम करने वाले को मुक्त कर दिया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह कायदे कानून की बात है। मेरे अधिकार से बाहर है।

श्री मुरलीधर व्यास (बिकानेर सिटी) : क्या यह सत्य है कि इस प्रकार जो सीमेन्ट की बोरियां ब्लेक में बिकीं, इसके अतिरिक्त कुछ बोरियां एरिया के पास खेतों के अन्दर पड़ी हुई पाई गईं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इतनी डिटेल्स की जानकारी मुझे नहीं है। इतनी जानकारी है कि बोरियां पुलिस ने बरामद कीं, चालान किया और उसके बाद वह व्यक्ति एक्विट हो गया।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रोजेक्ट्स में कितनी बोरियां कम पाई गईं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या २२०

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणदास।

(अनुपस्थित)

Page No.18

(श्री अध्यक्ष)

(कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या २२१

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

गांव सहजरासर, तहसील लूणकरसर में भूमिहीन किसानों को भूमि का अलॉटमेंट

२२२.भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) गांव सहजरासर, तहसील लूणकरणसर के कितने भूमिहीन काश्तकारों ने सन् १९५८ में काश्त की भूमि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिये ? उनमें से कितने प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये गये ?

(२) प्रार्थना-पत्र किन किन आधारों पर अस्वीकृत किये गये ?

(३) क्या निम्न आधार पर भी प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये गये प्रार्थी के पास ६० एकड़ से अधिक भूमि मालूम होती है ?

(४) क्या किसी काश्तकार के लिये पटवारी ने उक्त रिपोर्ट की ?

(५) क्या काश्तकार के पास रिपोर्ट करने के दिन तक कोई जमीन थी ? अगर हां, तो कितनी ज़मीन थी व उसके खसरे नम्बर क्या हैं ?

(६) अगर कोई जमीन नहीं थी, तो सरकार ऐसे पटवारी तथा सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी ?

(७) क्या यह सही है कि खारिज शुदा जमीन का उक्त काश्तकार से तावान वसूल किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(८) क्या यह सही है कि उपरोक्त काश्तकार ने उपरोक्त घटना के बारे में संबन्धित अधिकारियों को जानकारी करा दी थी ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) ३३ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। ३१ स्वीकृत हुए।

(२) वे संयुक्त परिवार के सदस्य थे और उनके परिवार के मुखिया के नाम से पहले ही भूमि थी।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) काश्तकार के पिता के नाम खसरा नं० २६० वह ४७३/२४४ में १७६ बीघा, २ बिस्वा भूमि है।

(६) प्रश्न नहीं उठता।

(७) जी हां। बिना मंजुरी काश्त कर लेने पर श्री गोपालराम के पिता श्री रावतराम से तावान वसूल किया गया क्योंकि नाजायज काश्त उसके नाम से होना दर्ज था।

(८) जी हां।

Page No.19

श्री भीमसेन : प्रश्न यह था, पिता के नाम से जो रिपोर्ट में पटवारी ने दर्ज किया कि पिता के पास ६० एकड़ से अधिक जमीन मालूम होती है और सरपंच ने कहा है कि वह पिता से अलग है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप फिर से प्रश्न दोहरायें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझा नहीं हूं।

श्री भीमसेन : प्रश्न तीन में है कि प्रार्थी के पास ६० एकड़ से अधिक भूमि मालूम होती है। आपने जवाब दिया कि प्रार्थी जो है वह पिता के साथ रहता है, इसलिए नहीं दी गई। सरपंच ने तस्दीक की है कि वह पिता से जुदा रहता है। पटवारी ने दर्ज किया है कि प्रार्थी के पास ६० एकड़ से अधिक भूमि मालूम होती है। पटवारी के पास रिकॉर्ड रहता है ?

श्री अध्यक्ष : यह कारण नहीं बताया है मंत्री महोदय ने, जैसा कि आप बता रहे हैं।

श्री भीमसेन : यह बताया है कि वह पिता के साथ रहता है। पटवारी की रिपोर्ट कहां तक सत्य है ? प्रार्थी भूमिहीन था, पिता की जमीन में उसकी जमीन शामिल नहीं थी।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई बेटा जुदा होकर कहने लगे कि अलग हो गया हूं, जमीन दो। पटवारी कहता है कि वह अलग हो गया है, जमीन दो। आप जानते हैं कि सीलिंग का कानून चल रहा है, जो जमीन चल रही है वह पिता के नाम से चल रही है।

श्री भीमसेन : पटवारी की रिपोर्ट है कि प्रार्थी के पास ६० एकड़ से अधिक भूमि मालूम होती है। मालूम होती है, यह क्या लब्ज है। पटवारी कह सकता है कि उसके पास जमीन है या नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने कहा है कि बाप के पास जमीन है।

श्री भीमसेन : पिता का नाम लिख देते।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सरपंच की रिपोर्ट, पटवारी की रिपोर्ट के मुकाबले में वकत नहीं रखती है ? सरपंच की रिपोर्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है या पटवारी की रिपोर्ट ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जमीन के देने के सिलसिले में स्ट्रिक्टनेस है। कोई आदमी एक घर में दो चूल्हे जला ले और कहे कि अलग है, इसलिए अलग जमीन दो।

श्री मुरलीधर व्यास : सरपंच कहता है कि बाप बेटा अलग अलग रहता है। क्या आप सरपंच की रिपोर्ट को कम कीमत देना चाहते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कब से अलग रहता है ? इतने दिनों से वह अलग रहता है तो जमीन क्यों नहीं ली थी ?

श्री भीमसेन : भूमि पड़ी रहती है, नहरी इलाका नहीं है, उसके बाद भी हैरेस किया गया है, उससे तावान वसूल किया गया है। एस. डी. ओ. को दरख्वास्त देने पर उसे दुरुस्त कर दिया गया है। यह मान लिया है।

श्री अध्यक्ष : जब मान लिया है, तो फिर क्या सवाल है ?

श्री भीमसेन : तावान क्यों वसूल किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : कानूनी कार्यवाही कीजिये। केस को पटवारी के सामने, राजस्व अधिकारी के सामने रखें कि तावान माफ होना चाहिए। उसके अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री भीमसेन : उसके अन्तर्गत कार्यवाही की है। गिरदावरी इसके नाम से होना चाहिए वह हो गई है। फिर तावान वसूल क्यों किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : उसके लिए कानूनी कार्यवाही कीजिये। यहां कहने से फायदा नहीं होता।

श्री भीमसेन : उसकी मियाद निकल गई है।

श्री अध्यक्ष : मियाद सरकार नहीं बढ़ा सकती है।

श्री रामचन्द्र।

झालावाड़ जिले के लिये सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म की योजना

२२३. **श्री रामचन्द्र** (डग-सु) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म की कोई योजना बनाई है ?

(२) यदि हां, तो क्या उक्त योजना को झालावाड़ जिले में लागू किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) यदि लागू किया गया है, तो इस योजना के अन्तर्गत जिले में कितने ऐसे फार्म कहां कहां खोलने का निश्चय किया गया है ?

उप-मंत्री कृषि (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) जी हां, योजना को झालावाड़ जिले में भी लागू किया गया है।

(३) खानपुर और झालरापाटन में फार्म खोलने का निश्चय किया गया है।

श्री रामचन्द्र : कब से लागू किया ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इस साल से हुआ है।

श्री रामचन्द्र : कब से हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे ख्याल से, अभी जमीन एक्वायर हुई है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : राजस्थान में कितने सीड मल्टीप्लीकेशन खुल चुके हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : १०० एकड़ के १४२।

प्रश्न संख्या २२४

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम ।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र ।

तहसील डग के भूमिहीन किसानों को भूमि का अलाटमेंट

२२५. श्री रामचन्द्र (डग-सु) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सच है कि झालावाड़ जिले की तहसील डग के लगभग ३० भूमिहीन किसानों को तहसील अलॉटमेंट कमेटी ने तारीख ५ जनवरी, १९५९ को भूमि अलॉट की थी ?

(ख) क्या यह भी सच है कि कमेटी ने उसी समय इन भूमिहीनों को जमीन अलॉट करने का आदेश दे दिया था ?

(ग) यदि हां, तो इनमें से कितने भूमिहीनों को भूमि दे दी गई और कितनों को नहीं दी गई ?

(घ) जिनको भूमि नहीं दी गई उसका क्या कारण है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी नहीं, ३० व्यक्तियों को नहीं बल्कि केवल ५ व्यक्तियों को तहसील अलॉटमेंट कमेटी ने ५-१-५९ को भूमि अलॉट की थी ।

(ख) जी हां, केवल ५ व्यक्तियों को भूमि अलॉट करने का आदेश दिया था ।

(ग) ५ व्यक्तियों को भूमि दी गई ।

(घ) एक व्यक्ति को देर से प्रार्थना-पत्र पेश करने के कारण भूमि न दी जा सकी क्योंकि एक नम्बर को लेने वाले दो व्यक्ति थे । पहले वाले को प्राथमिकता दी गई ।

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जो उत्तर दिया गया है वह किसी सरकारी रेकॉर्ड के आधार पर दिया गया है या बनावटी आधार है ?

श्री अध्यक्ष : दोनों एक ही चीज है ।

(हंसी)

श्री रामचन्द्र : नहीं अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत महत्व का है । जिस मीटिंग में जमीनें अलॉट की उनमें मैं खुद गया था और हम सबने मिल कर ३० को दी थी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रोसीडिंग्स में ५ का दिया हुआ है ।

श्री रामचन्द्र : यह गलत दिया गया है, उस दिन की कार्यवाही के पूरे कागज़ात मंगा लिये जायं, ३० को दिया है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे पास यह है कि ३० की तरफ से एप्लीकेशन्स आई थीं उनमें से ५ को अलॉट की ।

श्री रामचन्द्र : आपके पास इन्फार्मेशन आई वह गलत है । मेरे खुद के उसमें दस्तखत हैं, ३० को दी है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय सदस्य डॉक्युमेंट्स के द्वारा पूरी सूचना

Page No.22

(श्री भैरोंसिंह)

दे रहे हैं तो रेकॉर्ड मंगा कर देख लेना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस मामले को वापिस देख लूंगा।

प्रश्न संख्या २२६

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या, २२७

मेजर श्री फतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के कर्मचारियों में लोन्स व एडवान्सेज की बकाया

२२८. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): क्या जन सम्पर्क मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सार्वजनिक सम्पर्क विभाग के किन किन गजटेड और नॉन गजटेड कर्मचारियों को प्रत्येक को कितना २ और कब २ से लोन अथवा दूसरी प्रकार के एडवान्सेज़ दिये हुए हैं जो अभी तक बाकी हैं ?

(ख) ऐसा प्रत्येक लोन या एडवान्स किस किस कार्य के लिये दिया गया था?

(ग) क्या रुपया जिस कार्य के लिये दिया गया वह पूरा उस ही कार्य के लिये उपयोग हुआ है ?

(घ) क्या ऐसे लोन्स या एडवान्सेज़ का भुगतान निर्धारित समय पर हुआ है ? यदि नहीं, तो किन किन का और क्यों तथा यह भुगतान कब कब होना चाहिये था ?

कृपया इन प्रश्नों के उत्तर की तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

जन-सम्पर्क मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) इसकी एक सूची संलग्न है।

(ख) यह सूचना भी उपरोक्त सूची में दी हुई है।

(ग) जी हां। दो व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी ने इसका उपयोग किया है या कर रहे हैं।

(घ) जी हां। यह सारे लोन सेलेरी बिल में से काट लिये जाते हैं।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

श्री भैरोंसिंह : यह दो व्यक्ति कौन कौन हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक तो हैं केसरीमल पुरोहित और दूसरे हैं श्री गोपाल लाल गुप्ता।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस विभाग में गृह निर्माण के सम्बन्ध में लोन दिये जाते हैं इनके लिये वे ही नियम हैं जो राजस्थान के कर्मचारियों को लोन देने के नियम बने हुए हैं ?

Page No.23

श्री रामकिशोर व्यास: दो तरह के लोन हैं एक तो लो इन्कम का मिडिल इन्कम का गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का और दूसरा है सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेलेरीज़ के हिसाब से कमिश्नर सैंक्शन करता है।

श्री भैरोंसिंह : जिस प्रकार की व्याख्या की गई है उस प्रकार के नियम सरकार द्वारा बनाये गये हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : इन नियमों में और भारत सरकार की तरफ से लोन दिया जाता है उस लोन देने के नियमों में अन्तर है?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आपके नियमों के अनुसार इन लोन्स की सिक्योरिटी नहीं ली जाती?

श्री रामकिशोर व्यास : सर्विस की सिक्योरिटी ली जाती है। तनख्वाह के हिसाब से लोन मिलता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जितना लोन लिया है, उस लोन को एक मुश्त वसूल करने का कोई नियम नहीं है?

श्री रामकिशोर व्यास : रूल्स मेरे स्टेडी किये हुए नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिन लोगों ने लोन काम में नहीं लिया है वह वसूल कैसे किया जायगा?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें ऐसा है कि मकान का प्लान देरी से बना एप्रूवल देर से हुई, इसलिये उपयोग नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह : तो जब सरकार के ध्यान में आया कि लोन का उपयोग नहीं किया है तो लोन की वसूली की कार्यवाही करनी चाहिये, पेनल क्लॉज़ लागू होना चाहिये वसूली के लिये।

श्री रामकिशोर व्यास : पेनल क्लॉज़ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सैंक्शन के लिये उसने प्लान बना रखा है।

श्री भैरोंसिंह : किनसे सैंक्शन?

श्री रामकिशोर व्यास : म्युनिसिपैलिटीज़ से या कलेक्टर से।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जाय कि आपने जो लोन दिया है वह बिना नक्शे की एप्रूवल के ही दे दिया है?

श्री रामकिशोर व्यास : गवर्नमेंट की तरफ से जो लोन मिलता है, उसमें नक्शे वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती।

श्री भैरोंसिंह : पड़ती है।

श्री रामकिशोर व्यास : पड़ती होगी, पर कितनी तनख्वाह है उसके अन्तर्गत दिया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन रूल्स के अनुसार नक्शा और एप्रूवल पेश करने की आवश्यकता नहीं।

Page No.24

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो रूल्स हैं उनके माफिक है कोई स्पेसिफिक हो तो पूछिये ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एक मुश्त रकम मकान बनाने के लिये नहीं दी जाय, इन्स्टालमेंट्स में दी जाय, इस प्रकार के नियम हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें नहीं हैं, लो इन्कम वाले में है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

अनुसूचित जातियों के लिये जिला परिषदों को दी गई धनराशि

२२६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली): क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) अनुसूचित जातियों के लिये जिलेवार कितना कितना रुपया जिला परिषदों को दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या उपरोक्त रकम आबादी के आधार पर दी है अथवा इसका कोई और अन्य आधार है ?

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जिला परिषदों को कोई रुपया नहीं दिया गया है

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामकरणसिंह : अनुसूचित जातियों के लिये जो रुपया दिया गया है वह जिला परिषदों के थ्रू दिया है या सीधा पंचायत समितियों को दिया गया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पंचायत समितियों को दिया गया है ।

श्री रामकरणसिंह : सीधा दिया तो दूसरा प्रश्न साफ है कि यह रकम आबादी के आधार पर दी गई है या अन्य किसी आधार पर ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने यह पूछा है कि ज़िलेवार कितना रुपया जिला परिषदों को दिया गया और आबादी के आधार पर दिया या और किसी आधार पर । तो मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि ज़िला परिषदों को कोई रुपया नहीं दिया गया । इसलिये दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामकरणसिंह : इन पंचायत समितियों को किस आधार पर दिया है, बता दीजिये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपका प्रश्न नहीं था फिर भी जानकारी के लिये बता देता हूं कि जो अनुसूचित जातियों के लिये पंचायत समितियों को रुपया दिया गया वहां उनकी अलग अलग स्कीम्स थीं, उन स्कीम्स के आधार पर दिया गया, इसलिये वहां पर पोपुलेशन के आधार पर रुपयों का बंटवारा किया गया है ऐसी बात नहीं है । अलग अलग जगह पर प्रवृत्तियां चलती थीं, उसी आधार पर दिया गया है ।

श्री रामकरणसिंह : तो यह समझा जाय कि नई स्कीम नहीं, जो पहले प्रवृत्तियां चल रही थीं उनको दिया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो स्कीम पहले थीं उन्हीं के लिये रुपया दिया गया है यह सही है।

प्रश्न संख्या २३०

श्री अध्यक्ष : मेजर श्री फतहसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

घुट्टी कॉलोनी के बंगाली विस्थापितों की गिरफ्तारी में कार्यवाही

१६६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) बारां सब डिविजन में बंगाली विस्थापितों की घुट्टी कॉलोनी से इस बस्ती के बसाये जाने से लेकर अब तक कितने विस्थापितों को, कब कब और किस किस अपराध में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ?

(२) गिरफ्तारी के बाद क्या क्या कार्यवाही की गई तथा कब कब इनको वापिस छोड़ा गया ?

(३) क्या यह सही है कि पुलिस ने इस कॉलोनी के लोगों पर लाठी चार्ज किया था ? यदि हां, तो कब और क्यों और उस लाठी चार्ज में कितने व्यक्ति आहत हुए ?

(४) क्या यह सही है कि इस कॉलोनी में एक विस्थापित श्री लक्ष्मीकान्त की धर्मपत्नि श्रीमती पारुल ने आत्महत्या कर ली ? यदि हां, तो कब और इस हत्या के सम्बन्ध में किस अधिकारी ने जांच की और जांच का क्या नतीजा रहा ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) ५ व्यक्तियों को एस. डी. एम., बारा द्वारा प्रसारित किये गये वारन्टों की तामील में शान्ति-भंग होने के अंदेशे में बन्दी बनाया गया एवं ११ को दफ़ा १४७ ताजीरात हिन्द के अपराध में।

(ख) शान्ति भंग होने के अंदेशे में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को दूसरे दिन अदालत द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया जब कि दफा १४७ आई. पी. सी. के अन्तर्गत पकड़े गये व्यक्तियों को उसी दिन जमानत पर छोड़ दिया गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं, श्रीमती पारूल, पत्नी श्री लक्ष्मीकान्त बंगाली ने पति के साथ झगड़े के कारण फांसी खाकर ५. २. ५६ को आत्महत्या कर ली। जाब्ता फौजदारी धारा १७४ के अन्तर्गत पहले हैड कॉन्सटेबिल श्री छतरसिंह ने एस. आई. की अनुपस्थिति में जांच की, बाद में एस. आई. ने समाप्त की।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

प्रान्त से पशु धन की नीकासी

२०२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न उत्तर देंगे:—

Page No.26

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान से पशुधन की निकासी जारी है ? अगर हां, तो सन् १६५६,५७,५८ व ५६ में कितने कितने मवेशी राजस्थान से बाहर गये और उनमें से नर व मादा कितने कितने थे तथा बछड़े, बछड़ियों की क्या संख्या थी ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त मवेशियों की निवासी का इन्द्राज का रजिस्टर रखा जाता है ।

(३) क्या यह सरकार के ध्यान में है कि राजस्थान में मवेशी मादा, बछड़े ज्यादा तादाद में निकास होते हैं ? अगर हां, तो यह कौन कौन से प्रान्त में निकास हुए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) इस प्रकार के आंकड़े इस विभाग में उपलब्ध नहीं हैं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने फर्माया कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो आपके ध्यान में यह तो है कि मादा बछड़ियां निकास होती हैं कि नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप देखते हैं वैसे मैंने भी देखा है, पर कहां कितने जाते हैं मुझे पता नहीं ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : सरकार उनके आंकड़े प्राप्त करने की कोशिश क्यों नहीं करती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आंकड़े रखने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : मन्त्री महोदय कहते हैं कि आवश्यकता नहीं है, प्रान्त का पशु धन जा रहा है, इसके आंकड़े तो सरकार को रखने चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने, आवश्यता नहीं है ऐसा नहीं कहा मैंने कहा कि व्यवस्था नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार आयन्दा ऐसे आंकड़े रखने की व्यवस्था करेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय मेरा तो प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान में मवेशी मादा बछड़े ज्यादा तादाद में निकास होते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि जी हां ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपके पास आंकड़े नहीं हैं तो इससे यह पाया जाता हैं कि मादा का भी निकास होता है और होता है तो कितने ?

श्री नाथूराम मिर्धा ; कितनी मादा जानवरों की निकासी होती है और कहां से कहां जाती है यह मालूम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : क्या इसके लिये कोई बंदिश भी नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : राजस्थान से पाकिस्तान को जाती हैं· उसकी भी कोई बन्दिश नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पाकिस्तान को नहीं जाती हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या पाकिस्तान को नहीं जाने के लिये कोई आदेश हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां। नहीं जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २०४

तहसील उनियारा में हुए ओलाबारी से ग्रसित व्यक्तियों हेतु राहत कार्य

२०४. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही हैं कि ता: ६–११–५६ को तहसील उनियारा, डिस्ट्रिक्ट टौंक में ओलाबारी हुई थी ? अगर हां, तो किस किस ग्राम व खेतों में किस कदर नुकसाक हुआ ?

(२) क्या यह सही हैं कि उपरोक्त ओलाबारी से मवेशी, दरख्त और मकानों का भी नुकसान हुआ हैं ? अगर हां, तो किस कदर ?

(३) क्या यह सही है कि जिस दिन यह हेलस्टार्म हुआ उस दिन तहसील हैडक्वार्टर पर कोई ऑफिसर मौजूद नहीं था ?

(४) क्या उपरोक्त घटना की सूचना सरकार के पास पहुँच चुकी है ? यदि हां, तो सरकार ने तात्कालिक क्या क्या कदम राहित के लिए उठाये ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : १ जी हां यह सही है। ग्राम उनियारा के ४१० खेतों की १०००।। बीघा जमीन में ग्राम उनियारा के ६६ खेतों की २६१ बीघा ज़मीन में, ग्राम पागड के १६० खेतों की ५६० बीघा जमीन में एवं ग्राम पागड में १४ खेतों की ४६६ बीघा जमीन में इस ओला बारी से प्रति रुपया २ आना से १० आना तक हानि हुई।

(२) जी नहीं, यह सही नहीं है। इस ओलबारी से मवेशियों का कोई नुकसान नहीं हुआ केवल कुछ दरख्त कस्बा उनियारा में अवश्य गिरे हैं और इनके गिरने से कुछ कच्चे मकानों को एवं एक पक्के मन्दिर को क्षति पहुंची है।

(३) यह सही नहीं है। नायब तहसीलदार उनियारा उस समय हैडक्वार्टर पर मौजूद थे।

(४) सम्बन्धित सदस्य विधान सभा ने इसकी सूचना जिलाधीश टौंक को दी थी जिस पर इसकी जांच नायब तहसीलदार

Page No.28

(श्री नाथूराम मिर्धा)

एवं तहसीलदार से करवाई गई तथा स्वयं जिलाधीश ने भी मौका देखा। जो हानि हुई वह इतनी व्यापक नहीं थी कि जिसके लिये कोई सहायता काश्तकारान को देनी उपयुक्त हो तथापि नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार द्वारा मौके पर हानिग्रस्त लोगों से सहायता के लिये पूछताछ भी की गई किन्तु सहायता के लिए कोई भी इच्छुक नहीं जान पड़े।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि जिनके मकान और खेतों का नुकसान हुआ उन्होंने जिलाधीश को अपने प्रार्थना पत्र सहायता के लिए पेश किये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रार्थना पत्र तो नहीं दिये लेकिन आपने जरूर सूचना दी थी और आपकी सूचना पर यह शक हुआ जो आपको बता दिया गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने बताया कि सहायता लेने के इच्छुक नहीं पाया गया, जब लोगों ने सहायता के लिए दरख्वास्तें दी थीं तो फिर इच्छुक का क्या प्रश्न आता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ओले तो हमेशा कहीं न कहीं पड़ते ही रहते हैं। जहां पर इनसे नुकसान होता है वे राज्य से कहते हैं कि मदद दें ऐसी बात नहीं है। आपके यहां कोई स्पेशल बात हो तो मालूम नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : हमारे यहां था। मगर जब यहां पर प्रति रुपया १० आने का नुकसान हुआ है तो उन लोगों को तो रियायत दी जानी चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : अधिकारी जांच कर लेंगे। जरूरत होगी तो सहायता दे दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये निश्चित रूल्स बने हुए हैं कि कितना नुकसान होगा तो सहायता दी जायेगी। कानून के अनुसार सहायता करनी पड़ेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वह तो करना ही पड़ेगी.।

श्री अध्यक्ष : वह तो रूल्स के अन्तर्गत है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने उनको सहायता के इच्छुक नहीं पाया बताया। उनके मकानात गिर गये फिर भी उनको सहायता नहीं दी जावे........

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह।

कोटपूतली में मुन्सिफ कोर्ट भवन का निर्माण

२०६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या कोटपूतली में मुन्सिफ कोर्ट के लिये भवन बनाया जा रहा है ?

Page No.29

(श्री रामकरणसिंह)

(ख) यदि हां, तो कब से कार्य आरम्भ होगा एवं कब समाप्त होगा ?

(ग) सरकार इस कोर्ट के लिये ठिकाने के समय से बने हुए कोर्ट भवन, डाक बंगला आदि को क्यों नहीं लेती है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां । कोटपूतली में मुन्सिफ कोर्ट के लिए भवन बनाया जायगा जिसकी स्वीकृति दी जा चुकी है ।

(ख) टेन्डर स्वीकृत होने के बाद आरम्भ होगा और लगभग एक वर्ष के अन्दर समाप्त हो जायेगा ।

(ग) इन भवनों में पर्याप्त और यथोचित स्थान नहीं है और ये ठीक ढंग से भी बने हुए नहीं हैं फिर भी यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : एक तरफ तो आप कहते हैं कि टेन्डर मांगे हैं और दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि यह विचाराधीन है ।

श्री रामकिशोर व्यास : बहुत सी मुसीबतें हमारे सामने होती हैं वे आपको मालूम ही हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री शिवचरण दास ।

तहसील भीलवाड़ा में श्री मदनलाल कोदू कोटा को कुँआ खोदने हेतु दिया गया लोन

२२०. **श्री शिवचरणदास** (माण्डल) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील भीलवाड़ा में श्री मदनलाल कोदू, कोटा को कुँआ खोदने के लिए कितना लोन दिया गया और कब ?

(२) उक्त रकम को क्या नियमानुसार श्री मदनलाल खर्च कर चुके हैं ? यदि हां, तो कुंआ कितना गहरा है और उस पर हर साल कितने बीघा काश्त होती है ? जिला गिरदावरी की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(३) श्री मदनलाल ने उक्त कर्जे में कितनी किश्तें जमा कराई हैं ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) श्री मदनलाल को सरकार द्वारा कुंआ खोदने को कोई लोन नहीं दिया गया ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Page No.30

श्री शिवचरणदास : यह उत्तर गलत है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो हमेशा सबको गलत ही बताते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(विराम)

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

मेजर श्री फतहसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय से धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न संदेश प्राप्त हुआ है :

"दिनांक २४ फरवरी, १९६० को विधान सभा में दिये गये मेरे अभिभाषण पर सदन के सदस्यों ने जो आभार प्रदर्शित किया उसको प्राप्त करके मुझे अत्यन्त संतोष हुआ है।"

(हर्षोल्लास)

११.५७ म० प०

अधीनस्थ विधान सभा सम्बन्धी समिति का प्रथम प्रतिवेदन

(उपस्थापन)

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (Committee on Subordinate legislation) के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

विधायी कार्य

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (संशोधन) विधेयक, ६०

(पुरःस्थापना)

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६०, को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६०, को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

११.५८ म. पू.

राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन विधेयक १९५९

(अग्रेतर विचार एवं पारण)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, १९५९, पर अग्रेतर विचार । श्री महेन्द्रसिंह पंवार ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, कल भी मैं इस सम्बन्ध में जिक्र कर रहा था कि प्राइवेट व्यक्ति और सरकार के लिये भिन्न भिन्न कानून हैं। जो कानून और नियम हैं मकानों को खाली कराने के लिये उसमें एक वर्गीकरण और एक आधार पर सरकार और पब्लिक के लिये नियम लागू नहीं है । इस बात का परीक्षण इतनी मात्रा से नहीं चल सकता । जैसा कि आपने अपने स्टेटमेंट और ऑब्जेक्ट्स में दिया है कि ऐसे कानून राजस्थान में लागू हैं कि इस प्रकार के कानून सरकार में नहीं हैं। अन्य राज्यों में ऐसी बात नहीं है । दूसरे राज्य के कानूनों को देख कर हमारे यहां पर भी कानून पास करते होंगे मगर श्रीमानजी, इसका असूल यह नहीं होता कि किसी औचित्य और उचित को मौलिक रूप से देखकर ही दूसरे राज्यों के कानूनों का अनुकूल किया जाता है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इस प्रश्न को बुनियादी बात पर देखा जाए । मैं यह कह रहा था कि जब अनाज के सम्बन्ध में सरकारको मंहगाई की सूचना होती तो उसको रोकने के लिए सरकार एक तरीका अपनाती और वह यह कि वह अनाज खरीदती है सरकार की तरफ से सस्ते गल्ले की दुकानें खोलती है और उसके जरिये धान बिकवाती है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि सरकार अपनी अलग हैसियत समझती है । इसका असर आम बाजार के भावों पर पड़ता है और अनाज के भाव गिर जाते हैं । यह इसी तरह की बात है । इसलिए मैं समझता हूं कि यह नहीं होना चाहिये कि सरकार में इसके लिये कोई कानून लागू न हो, मैं यह नहीं कहता कि यह कानून हर जगह होना चाहिये सरकार के लिए भी होना चाहिये । मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर आप इस असेम्बली से नये कर लगाने का कानून पास कर दें....

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : आप किस सेक्शन पर तकरीर फरमा रहे हैं ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : क्लॉज़ २ पर ।

श्री रामकिशोर व्यास : क्लॉज़ २ पर एमेंडमेंट क्या है ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैं उसका विरोध करता हूं ।

श्री रामकिशोर व्यास : जहां तक उसका ताल्लुक है वहां तक सीमित रहें तो उचित होगा ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैं इसके बाहर नहीं जाता हूं ।

मैं क्लॉज़ २ के बाहर जाऊं, तब मुझे कह दीजिये । तो श्रीमान् अगर हम जायदाद पर कर लगाते हैं, सरकारी जायदाद पर कर लगाते हैं और कानून में ऐसी व्यवस्था करते हैं कि सरकारी जायदाद पर भी कर लगेगा तो यह एक औचित्यपूर्ण बात है कि यदि सरकारी जायदाद हो तो उस पर कर न लगे क्योंकि

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

यदि सरकारें अपनी जायदाद पर कर देती है, तो वह तो वापिस ही सरकारी खजाने में जाता है, तो उस सूरत में कर्मचारियों का यह खर्चा क्यों किया जाय। लेकिन जहां नागरिकों की जायदाद का नियमन करते हैं वह एक औचित्य है। लेकिन सरकार अपनी कोई जायदाद नागरिक को देती है तो वहां दूसरा औचित्य होगा। इसलिए मैं इसको दूसरी दृष्टि से भी देखना चाहूंगा।

जनतन्त्र की जिस परिपाटी में हम रहते हैं उसका बुनियादी सिद्धान्त नागरिकों के अधिकार हैं। वे अधिकार नागरिकों के हैं, इस तरह की बात जब मैं कहता हूँ कि उसको सुन कर आप एकाएक सोचें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जनतन्त्र में सरकार के बुनियादी अधिकार नहीं होते, सरकार जो अधिकार अपने पास रखना चाहती है या रखती है वह चलती नहीं, किन्तु सरकार के कर्तव्य होते हैं ड्युटीज़ होती हैं, उसकी जिम्मेदारियां होती हैं और सरकार को उन कर्तव्यों, ज़िम्मेदारियों और ड्युटीज़ को पूरा करने के लिए जो आवश्यक अधिकार चाहिये वे कानून के द्वारा सरकार को दिये गये हैं। सरकार अपनी ओर से क्लेम नहीं कर सकती। वे तो नागरिकों को दिये जाते हैं और वे क्लेम कर सकते हैं। उनके वे बुनियादी अधिकार है। व्यापार करना और अन्य काम करना ये नागरिकों के अधिकार हैं न कि राज्य सरकार के अधिकार हैं। केवल उनकी तो जिम्मेदारियां होती हैं और उन्हीं को पूरा करने के लिए कानून द्वारा उनको अधिकार दिये जाते हैं। इसलिए इसको इस दृष्टि से देखना चाहिये कि यदि सरकार अधिकार मांगे और जिसका संबन्ध उसके अपने कर्तव्य को पूरा करने से न हो तो वहां सरकार का हस्तक्षेप है। मैं जानना चाहूंगा कि कौन से ऐसे सरकार के कर्तव्य हैं! जिनके लिए यह आवश्यक है कि उनको इस प्रकार के अधिकार दिये जांय, जो आम कानून प्रचलित हैं वे सरकार की और म्युनिसिपैलिटियों की जायदाद पर लागू नहीं होने चाहिये, अलग अधिकार मांगने के लिए कौनसा कर्तव्य है कि जिसकी बिना पर ये अधिकार मांगे जा रहे हैं। मैं एक हद तक आगे बढ़ कर कहूँगा कि कर्तव्य पूरा करने का जो औचित्य है सरकार का उसके आधार पर जो नागरिकों के बुनियादी अधिकार हैं उनको लेकर सरकार इस प्रकार के कर्तव्य के नाम पर अपने लिए अधिकार मांगती है, यह एक भेदभाव की नीति का उदाहरण है। क्लासिफिकेशन की एक बुनियादी नीति है। आर्टिकल १४ में रीज़नेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसको जायज माना गया है और इसलिए असल बुनियादी सिद्धान्त यह है। सरलता से यह समझ में आने लायक है। दूसरा वर्गीकरण एक उद्देश्य के लिए किया जाय, उद्देश्य का वहां फर्क होता है। इसलिए इसके द्वारा उद्देश्य आपका कुछ नहीं है, केवल आपको अधिकार चाहिये, सरकार को अधिकार चाहिये, सरकार से आम जनता को आपने अलग वर्ग मान लिया है। यह नहीं हो सकता। आपको उद्देश्य बताना पड़ेगा। मैंने जो मिसाल दी है उसमें उद्देश्य आता है। हमें कर वसूल करना है, सरकारी जायदाद है उनसे सरकार को कोई कर वसूल नहीं करना है, उनको एग्जम्प्ट कर देना है यह औचित्यपूर्ण है। लेकिन इसको एग्जम्प्ट कर देने से नागरिकों के साथ कौनसा औचित्य है जिनके

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

साथ यह भेदभाव बर्ता जावे ? सरकार है और वह एक विशेष हैसियत की संस्था है, कोई सरकारी जायदाद में रहेगा तो कभी भी उसको ठोकर लगा कर निकाल सकती है, मकान मालिक भी अपनी जरूरत के लिए कानून के अन्दर अपना मकान किसी किरायेदार से खाली करा सकता है उन्हीं कारणों और कुछ कारणों से सरकार भी करा सकती है, सरकार मकान सरकार के कार्यों के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है, स्कूल खोलने हैं दूसरा मकान नहीं मिलता है तो खाली कराना होगा तो सरकार को चाहिये कि वह भी उसको नोटिस दे, फिर उसको खाली कराइये। मैं सरकार की हैसियत में हूं, स्टेट का मकान है इसलिए कानून की शरण में लाकर अलग भेदभाव नीति बरतूं यह कोई औचित्यपूर्ण बात नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि केवल दूसरे राज्यों में ऐसे कानून हैं इसलिए यहां भी होना चाहिये उसको अनुकरण न मान कर इस मौलिक औचित्य को सोच कर करें। सरकार को इस प्रकार की चीजों को प्रोत्साहन भी नहीं देना चाहिये। कानून की शालीनता को आप मानते हैं उस सूरत में जो कानून बनाने वाले हैं वे अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं तो उससे कानून की प्रतिष्ठा गिरती है, कानून की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए भी ऐसा कानून न बनायें। कानून न होते हुए भी ऐसी पॉलिसी बनायें, ऐसा कर्तव्य बनावें कि उनसे गाइड हो सकें। इसलिए मैं इस क्लाज २ का विरोध करता हूं।

श्री रामचन्द्र (डग-सु): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रिमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एन्ड इविक्शन) अमेन्डमेन्ट बिल, १९५९ की क्लॉज २ के प्रोविजन (२) के भाग 'डी' में संशोधन लाया जा रहा है उसका मैं विरोध करता हूं। विरोध करने का कुछ मुख्य कारण है। मुझे डर है कि इस संशोधन के पास हो जाने से भविष्य में जो संकट आने वाला है हम शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के द्वारा राज्य सरकार द्वारा म्युनिसिपैलिटी और सरकारी इमारतों को यह छूट दी जा रही है कि इस प्रेमिसेज कंट्रोल एक्ट के तहत जो मकान खाली न करने का प्रोवीजन रख दिया है यह म्युनिसिपल बोर्डों पर लागू न हो।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : अमेन्डमेन्ट को अपोज कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री रामचंद्र : आप अमेन्डमेन्ट लाये हैं उसका विरोध करता हूं।

श्री रामकिशोर व्यास : अमेन्डमेन्ट उनका है।

श्री रामचन्द्र : बिल के अमेन्डमेन्ट का विरोध कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : केवल क्लॉज २ का विरोध करेंगे, उसी पर विचार हो रहा है।

श्री रामचन्द्र : क्लॉज २ डी में जो संशोधन लाया जा रहा है उसका मैं विरोध कर रहा हूं।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि प्राय: कानूनों में संशोधन लाने के लिए मंत्री महोदयों को, मैं तो यह समझूंगा कि, समस्त राजस्थान का अनुभव नहीं होता है। वे केवल,

Page No.34

(श्री रामचन्द्र)

जयपुर, जोधपुर या बड़े २ शहरों की म्युनिसिपैलिटियों का अनुभव रखते हुए जनरल कानून बनाने के लिए उतारू हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि राजस्थान में बहुत सी म्युनिसिपैलिटियों में जायदाद के रूप में सैकड़ों ही नहीं हजारों मकानात हैं और जो मकानात जनता को, खास तौर पर गरीब जनता को किराये दिये जा रहे हैं। यदि आपने इस संशोधन को पास किया तो मुझे डर है कि भविष्य में जाकर उस गरीब जनता को एक दिन बाध्य होना पड़ेगा कि उन मकानों को जिनको कि म्युनिसिपैलिटियों ने दे रखे हैं किराये पर उनको छोड़ दे। छोड़ने के लिए उन गरीब लोगों को बाध्य होना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा किया गया तो राजस्थान सरकार के सामने दूसरी समस्यायें खड़ी हो जावेंगी, हाउसिंग समस्या आज भी एक बहुत बड़ी मुश्किल समस्या बनी हुई है और हर एक पंचवर्षीय योजना में लाखों और करोड़ों रुपया इसके लिए निर्धारित किये जाते हैं और खास तौर से गरीब लोगों के लिए और हरिजन परिवारों के लिए जीवन बिताने के लिए, रहने के लिए कोई मकान नहीं है। अब तक वे म्युनिसिपैलिटियों के मकानों में अपना सिर छिपा कर जीवन व्यतीत कर रहे थे....

अगर आपने इस संशोधन को पास कर दिया तो गरीब लोगों को जो सिर छिपाने के लिये झोंपड़ियां मिली हुई हैं यह छीन ली जायंगी इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपल मकानों के लिए आप कृपा करके इस तरह का संशोधन न लाइये।

दूसरी बात यह है कि अगर आप कृपा करके इस तरह का संशोधन लाना ही चाहते हैं, तो पहले आप यह मालूम कर लें छोटी छोटी म्युनिसिपैलिटियों में ऐसे कितने मकानात हैं जो गरीब लोगों को किराये पर दिये हुए हैं। उदाहरण की तौर पर मैं आप से निवेदन करूं कोटा जैसे शहर में एक मकान है जिसे मोची कटला कहते हैं उस कटले में ६०–७० परिवार पचास साठ वर्ष से म्युनिसिपैटिली को किराया देकर रह रहे हैं। अगर यह कानून पास किया गया तो निश्चय रूप से वे लोग वहां से निकाल दिये जायेंगे अध्यक्ष महोदय, वहां निकालना तो बहुत सुगम है लेकिन इतने सब परिवारों के लिए नये मकान सरकार कहां से देगी। अगर आप चाहते हैं सेनीटेशन के सुधार के लिए या नगर के विकास के लिये आप उन गरीब आदमियों से मकान खाली करवाना चाहते हैं तो सरकार को उससे पहले उनके निवास के लिये दूसरी जगह का इन्तजाम करे तब तो खाली कराना उचित कहा जा सकता है अन्यथा जो यह संशोधन किया गया है वह गरीबों के हक में अच्छा नहीं होगा यही मेरा निवेदन है।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन्होंने अमेंडमेंट रखा है वे इजेक्शन पर्पज़ के लिए तो इसको एग्री करते हैं। एतराज उनको केवल यह है स्टेन्डर्ड रेन्ट डिटरमिनेशन पर्पज के लिये रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट लागू होना चाहिये। उनका संशोधन स्वीकार कर दिया जाता है तो इजेक्शन पर्पज़ के लिये यह लागू नहीं होगा। डिटरमिनेशन ऑफ स्टेंडर्ड रेन्ट लाग हो जायगा। इसलिये मैं इस संशोधन को

(श्री रामकिशोर व्यास)

स्वीकार करने में मजबूर हूं। आशा है सदन इसे नामंजूर करेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री अर्जनदास ने जो संशोधन इस बिल के क्लॉज़ २ में प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

(विराम)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लाज ३

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३ के सब क्लाज़ ४ को विलोपित किया जाय," यह मेरा संशोधन है। जो कानून भवन किराया बेदखली का है उस संबन्ध में सबसे पहले हमें इस बात को सोचना चाहिये यह किन किन परिस्थितियों में बनाया गया है। जब देश के दो टुकड़े हुए पाकिस्तान बना उस समय काफी लोगों का इधर से उधर आवागमन हुआ उस समय और लड़ाई के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मकानों की काफी कमी है। उस कमी की वजह से बम्बई जैसे बड़े बड़े शहरों में और आजकल तो जयपुर में मकानों की बहुत कमी महसूस हुई। कि जिन लोगों के मकानात थे उनमें भी आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहां बहुत बड़ी भीड़ रहने वालों की मिलेगी उससे राहत पाने के लिये और मकान मालिक जो मन चाहा किराया लेते थे उनकी जो अधिक से अधिक किराया वसूल करने की भावना है उसके लिए, उससे राहत पाने के लिए यह कानून बनाया गया है इसके साथ ही इसका कुछ उल्टा असर हुआ। जिन लोगों के पास पूंजी थी और जिन्होंने मकान बनाने में लगायी थी उन पर यह असर हुआ कि सरकार अपने मकान ले लेगी इस असर को हटाने के लिये जहां दूसरे दूसरे तरीके अपनाये फिर भी यह समस्या सुलझी नहीं। अगर किसी व्यक्ति को जो किसी जगह सर्विस कर रहा है उसको मकान की जरूरत है और वह अपने मकान को खाली करना चाहता है अगर वह वाजिब तरीके से खाली करवाना चाहता है तो भी समस्या खड़ी हो सकती है। आप इस बिल के जरिये एक मजिस्ट्रेट को सिविल जजी और मुन्सफी के पॉवर्स देने जा रहे हैं, यह न्याय की भावना से उचित नहीं समझता।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा इसे क्लीअर कर देना चाहता हूं ऐसा कई दफा होता है कि लैन्ड लॉर्ड टिनेन्ट को अपने मकान से निकालना चाहता है कायदे के माफिक तो वह निकाल नहीं सकता। वैसी हालत में मकान मालिक उसको किसी प्रकार से डिस्टर्ब करता है जैसे बिजली का कनेक्शन काट देता है दरवाजे या खिड़कियों को तोड़ देता है इस प्रकार से उसको जो एमीनीटिज़ हैं उनको डिस्टर्ब करता है तो वैसी हालत में मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है उसको ये एमीनीटीज़ मुहैया की जाय यह प्रोविजन पहले से है। आगे हम यह चाहते हैं कि ऑर्डर तो दे देता है लेकिन उसको एग्ज़ीक्यूट किस प्रकार से किया जाय। दो तरीके सजेस्ट किये हैं एक तरीका तो यह किया गया है कि टिनेन्ट उसको ठीक कराले

Page No.36

(श्री रामकिशोर व्यास)

और पैसे किराये में से काट ले । वह ऑर्डर खुद नहीं कर सकता मुन्सिफ से उसका एग्ज़ीक्यूशन करा सकता है । एमीनीटीज़ डिस्टर्ब हुई हो वह वापिस रेस्टोर कर दी जाय इसी मन्शा को साफ करने के लिये रखा गया है ।

डा० बहादुरसिंह : यह तो करते ही हैं । आप तो सिविल जजी के पॉवर्स देने जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

(विराम)

क्लॉज ३ विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज १, प्रीएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जांय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने ।

(विराम

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, १९५९, को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

१२. १९. म. प.

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) संशोधन विधेयक, १९६०

(विचारार्थ लिया जाना एवं पारण)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यो के परिलाभ) संशोधन विधेयक, १९६०, को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) संशोधन विधेयक, १९६०, को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ संशोधन विधेयक, १९६०, को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

१२.२० म. प.

राजस्थान गोदाम (संशोधन) विधेयक, १६५६

(विचार–विमर्श एवं पारण)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान गोदाम संशोधन विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय।

अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान गोदाम संशोधन विधेयक, १६५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

१२.२१ म. प.

राजस्थान वेट्स एन्ड मेजर्स (एनफोर्समेंट) संशोधन विधेयक, १६५६

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वेट्स एण्ड मेज़र्स (एन्फोर्समेंट) संशोधन विधेयक, १६५६, को विचारार्थ लिया जाय।

डॉ बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो कि अगले सत्र में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में वेटस और मेजर्स के सम्बन्ध में जो कानून बनाया जा रहा है, कानून बना हुआ है शायद, उसमें जो संशोधन है उसमें मुझे कुछ निवेदन करना है।

मैं इसलिये इसको प्रवर समिति में भेजना चाहता हूँ कि सरकार एक तो इस सम्बन्ध में अपने पास जो अपील के पॉवर्स रखना चाहती है वह नहीं होने चाहिये, ये पॉवर्स किसी बड़े न्यायालय को देने चाहिये।

दूसरा एतराज़ मुझे यह है कि जो जुर्माने की रकम पांच सौ रुपया रक्खी है; आप दशमलव पद्धति लागू करने जा रहे हैं और इस तरह से सौ सालों से जो चली आ रही पद्धति है उसे आप तुरन्त बदलना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में तथा ऐसी हालत में जब कि आप सिक्के को भी बदलना चाहते हैं पर लोग रुपया आना पाई ज्यादा पसन्द करते हैं। हालांकि नये सिक्के बाजार में आ गये हैं पर फिर भी नये पैसे गांवों

(डॉ० बहादुरसिंह)

में लोग लेना कम पसन्द करते हैं। कहते हैं हमारी समझ में नहीं आता।

(हंसी)

तो मीटर्स और किलोग्राम्स ऐसी नाप तोल है जो अच्छे अच्छे गणितज्ञों के समझ में ही आ सकता है, इसलिये इसमें जुर्माने की व्यवस्था करना अनुपयुक्त है।

ऐसी अवस्था में मैंने जो संशोधन पेश किया है उस पर विचार करने के लिये या और भी संशोधन हो सकते हैं उन सब पर विचार करने के लिये प्रवर समिति में भेजने से यह होगा कि इन सब पर एक जगह बैठकर अच्छी तरह से विचार किया जा सकेगा। इस दृष्टि से इसे प्रवर समिति में भेजना अत्युत्तम होगा।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग एवं वाणिज्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ, माननीय सदस्य ने प्रवर समिति में भेजने के लिये जो कुछ कहा है वे अगर इसके प्रोविज़न्स पर मुलाहिज़ा करते तो जान जाते कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो कुछ संशोधन किये गये हैं बहुत मामूली हैं। जैसा कि आप देखेंगे दफा १४ के अन्दर सिर्फ उन चीजों पर जो ऑर्डिनरिली वेट्स और मेज़र्स करके नहीं बेची जाती उन पर से रोक हटाई गई है, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे टिकिया हैं, सनलाइट की है, लक्स की है, हमाम की है। ये ऐसे हैं जो तोल कर नहीं बेची जाती तो इनके लिये मामूली सा अमेन्डमेंट है।

इसी तरह आप देखेंगे कि २० वीं धारा में अपील का प्रोविज़न रक्खा गया है वह भी इसलिये कि सेकिन्ड अपील प्रोवाइडेड नहीं थी इसलिये एक आदमी एग्रीव्ड है और वह सिर्फ सुपरिन्टेन्डन्ट या असिस्टेन्ट इन्स्पेक्टर के पास ही जाकर रह जावे तो उसके लिये स्टेट गवर्नमेंट के पास अपील की जाने की बात और रख दी है।

तीसरी बात बताऊं, ३६ ए में नया सेक्शन लगा कर यह बताया गया है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट आदि पब्लिक सर्वेन्ट माने जावेंगे। ऐसा भी होना जरूरी ही है।

और अमेन्डमेंट ४२ दफा में है इसके अन्दर डिटेन्शन की बजाय डिस्पोज़ल है। रूल्स प्रोवाइड करेंगे, हम तो डिस्पोज़ल के बारे में भी प्रोवाइड करेंगे ; इसलिये इस बिल को किसी प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मुझे सदन अपना प्रस्ताव वापिस लेने की इजाज़त दे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि डॉ० बहादुरसिंहजी को प्रवर समिति में भेजने के अपने प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष ; प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री अध्यक्ष : अब आप संशोधन रक्खेंगे क्लॉज ३ पर ?

डॉ० बहादुरसिंह : संशोधन तो रखूंगा जरूर ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २ स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज ३ पर संशोधन है ।

डॉ० बहादुरसिंह ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इसमें मेरे दो संशोधन हैं, जो इस प्रकार हैं :

"In clause (b) of sub-section (1), substitute 'High Court' for the words 'State Government or any officer specially authorised in this behalf by the State Government.'"

और दूसरे में है: "in sub-section (2), substitute 'ninty days' for 'sixty days'; "and the third is" In sub-section (2) , omit the words 'and the decision of the appellate authority shall be final."

माननीय अध्यक्ष, असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट और नीचे वाले जो फैसला देंगे उनकी अपील अगर बजाय स्टेट गवर्नमेंट के हाई कोर्ट में हो तो अच्छा है । इससे फैसला न्यायपूर्वक हो सकेगा ।

दूसरी बात यह है कि अपील के ६० दिन के बजाय ६० दिन कर दिये जावें ताकि उसको लीगल एडवाईज़ लेने-करने में काफी सहूलियत मिल सके । हमारे यहां कम्युनिकेशन के साधन भी इतने नहीं हैं कि जिसे आदमी बहुत दूर देहात से आकर इतने कम समय में अच्छी लीगल सलाह ले सकें ।

इस डिसीज़न में भी ऐसा है कि स्टेट ऑथोरिटी या हाई कोर्ट फाइनल न हो, उस पर भी व्यवस्था हो ताकि आगे चाराजोई कर सके । मैं समझता हूँ इस पर माननीय मन्त्रीजी विचार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : हाई कोर्ट से भी आगे कुछ रक्खें, आपका यह मतलब है ?

डॉ० बहादुरसिंह : जी हां, यह भी हो सकता है कि किसी पर जुर्माना हो जाय और वह इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल मान लें । मान लीजिये उसकी प्रतिष्ठा का सवाल हो, फाइन कर दिया; तो कैसे कर दे और वह फाइनल कैसे हो जाय ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग एवं वाणिज्य मन्त्री) : माननीय सदस्य ने यह जो संशोधन रक्खा है कि यह स्टेट गवर्नमेंट के बजाय हाई कोर्ट किया जाय । मैं निवेदन करूंगा कि वेट्स और मेज़र्स के प्रोविज़न को वे मुलाहिज़ा करें तो साफ तौर

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

पर इससे यह नतीजा निकलता है कि यह तो ऐसे पॉवर हैं जो असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर को दिये गये हैं जिसमें वह मार्किंग करे या जो वेट वगैरह बनाये जावें वे किस तरह बनाये जावें, कौन बनावे, कौन नहीं बनावे; इस तरह की बात है इसमें। इसमें हाई कोर्ट को लाना और वहां तक पहुँचना इसके लिये कोई जरूरी नहीं है। ये तो ऐसे एग्ज़ीक्यूटिव मामले होते हैं जिनकी अपील उन्हीं की हद तक है। फिर अगर कोई एग्रीव्ड हो भी तो वह हायर ऑथोरिटी के पास जाकर अपील कर सकता है, यह प्रोविजन हमने इसमें रख दिया है। फिर हाई कोर्ट में जाने को तो कभी भी जा सकता है रिट लेकर। आज भी जा सकता है, रिट में जा सकता है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यहां तो सबसे ऊंचा कोर्ट हाई कोर्ट ही है साहब।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : दूसरी बात मयाद की कही। ६० दिन भी काफी होते हैं और वह ६० दिन उस दिन से होंगे जब से उसको फैसले की इत्तला हो। यह काफी अवधि है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मान लीजिये किसी को धौलपुर से आना है। इतनी दूर होता है कि ६० दिन में तो यहां तक आ भी नहीं पावेगा साहब।

(हंसी)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : धौलपुर से यहां तक दो दिन में आ सकता है।

श्री अध्यक्ष : पदयात्रा करते हुए भी आ सकता है इतने दिनों में तो।

(हंसी)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : तीसरी बात रक्खी है कि पेनल्टी ओमिट कर दी जावे। पर पेनल्टी तो कोई न कोई करनी ही पड़ेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने कट मोशन को वापिस लेवेंगे और इसको इसी तरह पारित करेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ३ में जो मैंने संशोधन रखे हैं उन्हें वापस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ३ में डॉ० बहादुरसिंह ने रखे हैं उन्हें वापिस लिए जाने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिए जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ विधेयक का अंग बना।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ४ और ५ स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

क्लाजेज़ ४ और ५ विधेयक के अंग बने ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १ प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग एंव वाणिज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वेट्स एण्ड मेजर्स (एन्फोर्समेन्ट) संशोधन विधेयक, १६५६ पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

१२.३२ म. प.

राजस्थान अव्यापारिक कम्पनी विधेयक, १६५६

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग एंव वाणिज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अव्यापारिक कम्पनी विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जाये ?

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लाज ३

(विराम)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि खण्ड ३ प्रावधान-भाग २ में 'सबऑर्डिनेट' के स्थान पर 'गजेटेड' कर दिया जाये और और ऑथोरिटी को विलोपित कर दिया जाये ।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो विधेयक हम बनाने जा रहे हैं वह इसी प्रकार के संविधान की सप्तम सूची में लिखा है व्यापारिक निगमों का, जिनके अन्तर्गत महाजनी, बीमाई और वित्तीय निगम भी हैं, किन्तु सहकारी संस्थाएं नहीं हैं । निगमन, विनियमन और समापन विश्वविद्यालयों को छोड़कर इस प्रकार की जो सोसाइटी होंगी उस पर लागू होगा और वहां मैं चाहता हूं कि सोसाइटी के अन्दर जो सबऑर्डिनेट होंगे उनके स्थान पर गजटेड ऑफिसर होना चाहिए जिसको

Page No.42

(डॉ० बहादुरसिंह)

यह सारे रूल्स वगैरह मालूम हों। दूसरे जब आप गजटेड ऑफिसर नियुक्त कर देंगे तो इस बात की जरूरत है, 'और ऑथोरिटी' क्योंकि यह उससे कवर हो जाता है कि गजेटेड ऑफिसर उसका वर्क करेगा। इसलिए मैंने कहा था कि सबऑर्डीनेट की जगह गजटेड ऑफिसर कर दें तो ज्यादा अच्छा रहे।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग एंव वाणिज्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय,राजस्थान अव्यापारिक कम्पनी विधेयक, १९५९, में जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उसका मतलब ही यही है कि इन्डियन कम्पनीज़ एक्ट के तहत में वह कम्पनी जिनके ट्रेड करने का क्षेत्रफल सिर्फ स्टेट के अन्दर ही है उसके बारे में इन्डियन कम्पनीज़ एक्ट की धाराओं के अनुसार इस स्टेट गवर्नमेन्ट को अधिकार है कि वह उसको वाइंड-अप करने का, उसको इन्कोरपोरेशन करने का सारा कार्य करायेतो ऐसी स्थिति में जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर नियुक्त किया जायेगा वह एक रजिस्ट्रार भी हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है जो कि इससे संबंध रखता हो और जिसको कि इसका ज्ञान हो। कहने का मतलब यह है कि इन्डियन कम्पनीज़ एक्ट का ज्ञान होने वाले व्यक्ति को ही लगाए जाने की मंशा है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इसीलिए मैंने मांग की थी कि गजटेड ऑफिसर हों।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नोट नेसेसरी कि गजटेड ऑफिसर हो। बिल में साफ लिखा है 'और ऑथोरिटी स्पेसीफाइड इन दी नोटीफिकेशन' फिर गजेटेड ऑफिसर' और ऑथोरिटी ' साथ नहीं जुड़ते। कोई भी ऑथोरिटी हो चाहे वह गजेटेड हो या सबऑर्डिनेट हो। इसलिए सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए वह ऑथोरिटी दूसरी भी हो सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापिस ले लें।

डॉ० बहादुरसिंह : 'सबऑर्डिनेट' की जगह 'गजटेड ऑफिसर' करते तो ज्यादा उपयुक्त रहता, अध्यक्ष महोदय।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह 'सबऑर्डिनेट और ऑथोरिटी' इतना वाइड है कि ऑथोरिटी के अन्दर गजटेड ऑफिसर भी आ सकते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : 'और ऑथोरिटी' तो आपकी हट जाती। अध्यक्ष महोदय, जो मैंने प्रस्ताव रखा है, उसे वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है यह कि क्लॉज ३ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

क्लॉज ३ विधेयक का अंग बना ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग एंव वाणिज्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज २ में एक संशोधन रह गया है इसलिए इसे री- ओपिन कर लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : क्या है ? आप पढ़ दीजिए ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : "In clause 2, the words and figures "within the meaning of entries 43 and 44 in List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India" appearing in part (ii) should appear as a fresh line so as to govern parts (i) and (ii) both."

यह तो टेक्निकल है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ पुनः विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ को पुन: विचारार्थ लिया जाता है

श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्लॉज़ २ तो पास हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति है कि क्लॉज २ को फिर से विचार के लिए लिया जाये ।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने रखा है क्लॉज़ २ में उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ २ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज ४

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ को ओमिट किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ स्वीकार किया जाये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज ४ ओमिट कर दिया जाये ?

श्री अध्यक्ष : कोई नहीं बोल रहा है इसलिए अपने आप ओमिट हो जायेगा । प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

क्लॉज ४ विधेयक में से पृथक किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जाए ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

क्लॉज १, प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

१२. ३६ म० प०

राजस्थान मनोरंजन कर (संशोधन) विधेयक, १६६०

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी तथा कर मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मनोरंजन कर (संशोधन) विधेयक, १६६० को विचारार्थ लिया जाये।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मनोरंजन कर (संशोधन) विधेयक, १६६० को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये। यह मनोरंजन कर जो कि बिलकुल नये मंत्री महोदय आये हैं उन्होंने आते ही संशोधन रख दिया है और नया टैक्स इम्पोज़ कर रहे हैं और वह भी एक तरह से इन्डाइरेक्ट वे में। मेरी समझ में नहीं आता कि जब आप मनोरंजन कर सीटों पर ले लेते हैं, मान लीजिए कि किसी हाल में १०० सीट्स हैं, उससे आप दो रुपया ले लेंगे, २०० सीट पर चार रुपये और अगर २०१ सीट भी हो गई तो वह छः रुपया हो जायेगा, तो इस प्रकार का जो मनोरंजन कर है यह उपयुक्त नहीं है। इस पर विचार करना है कि इस प्रकार का मनोरंजन कर लेने के आप अधिकारी भी हैं या नहीं। एक प्रकार का टैक्स जो कि आप इन्डाइरेक्ट वे में लगाते जा रहे हैं यह उपयुक्त नहीं है। दूसरी बात, यह अधिकार नगरपालिका का था जिनसे ज़बरदस्ती छीन लिया है। आज स्वायत शासन संस्थाओं की हालत खराब है। उनके अधिकारों को ले रहे हैं और आपको पैसा वसूल करने में भी दिक्कत पड़ती है। आपका विभाग बराबर इस बात में इनएफिशियन्ट साबित हुआ है कि आप टैक्स पूरी तरह से वसूल नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा, मैं इसका विरोध करता लेकिन वह उपयुक्त नहीं लगता। इस प्रकार के प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया जाय कि आया इस प्रकार का टैक्स, वह भी मंत्री महोदय जो बिल्कुल ही नये हैं, एक प्रकार से वह आते ही एक नया टैक्स थोप दें, उन्हें सोचना चाहिए था कि इस प्रकार का नया टैक्स लगाया जाये या नहीं ? मैं सोचता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे और प्रवर समिति के सुपुर्द कराकर कम से कम अगले सत्र में बढ़ायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो टैक्स रखा है उसका कारण यह है कि मंत्री महोदय नये तो हैं ही, लेकिन वे अवस्था में नये नहीं हैं। मनोरंजन की क्या हालत है राजस्थान में ? वह तो वैसे ही कम रह गया है, और वह

(श्री मूलचन्द डागा)

इतना सा मनोरंजन रह गया है कि कुछ लोग शाम को सिनेमा आते हैं वहां हर सीट पर टैक्स शुरू कर दिया । उनसे फिल्म वाला अलग ले जाता है, लाइसेन्स फी अलग है । हाउस टैक्स म्युनिसिपैलिटी अलग ले जाती है । तो जगह जगह टैक्स लगाने से यह होगा कि जो थोड़ा बहुत मनोरंजन कर सकते हैं लोग वे भी नहीं कर पायेंगे । मजदूर दिन भर मिल के भापे में काम करता है और शाम को सिनेमा देखने जाय, उस पर भी टैक्स ! आपका मतलब यह है कि टैक्सों की भरमार कर दी जाय । आपने सब पर दो रुपये पर सीट रख दिया है, चाहे वह मराठा मंदिर जैसा सिनेमा जो कि यहां पर गोलेछा बना रहे है, चाहे वह कबाड़ी खाने का सा मकान है उस पर भी टैक्स वही होगा । टैक्स का क्या स्टेन्डर्ड होगा ? किस आधार पर आप दो रुपया लगायेंगे ? डिस्क्रीशन की क्या कन्डीशन्स दी गई हैं ? यह सारा टैक्सेशन आर्बीट्रेरी होगा । किसी के अन्दर २०० सीट हैं और किसी के अन्दर ५०० सीट्स हैं । किसी के अन्दर अच्छा पिक्चर आ गया तो उसकी आमदनी १० हजार रुपया है वहां पर भी वही टैक्स देना पड़ेगा, और जिस सिनेमा घर में कोई लोग नहीं आते हैं उन्हें भी वही देना पड़ेगा । टैक्स का स्टेन्डर्ड क्या होगा ? यह कौन नियत करेगा, कौन मुकर्रर करेगा ? टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है । वैसे ही राजस्थान में बहुत कम लोग शाम को घरों से बाहर निकलते हैं । सिनेमा देखने भी बड़ी मुश्किल से जाते हैं, उन लोगों पर टैक्स लगायेंगे, मनोरंजन कर तो, वे सिनेमा देखना भूल जायेंगे । क्योंकि उन पर खर्चा बढ़ जायगा ।

एक माननीय सदस्य : यह तो प्रोप्राइटर पर लगायेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : प्रोप्राइटर जनता से वसूल कर लेगा । आपने बसों पर टैक्स लगाया तो बस वालों ने कन्डक्टर पर कर दिया । अपना सामान हाथ से उठाओ और रखो । प्रोप्राइटर अपने से देने वाला नहीं है । जो टैक्स लगेगा वह आम लोगों पर लगेगा । टैक्स की जो बात कही है उस पर गम्भीरता से विचार किया जाय । उस से आमदनी कुछ होने की नहीं है । आमदनी बहुत थोड़ी होगी, इस बात से लाभ नहीं होगा । लेकिन इस बात से करप्शन होने की संभावना है । टैक्स सीट्स की गिनती करके लिया जायगा तो वह दो रुपये की जगह आठ आने कर देगा, किसी पर डेढ़ रुपया कर देगा । आपका इसमें स्टेन्डर्ड कैसे रहेगा ? आपने रखा है उस पर इन बातों को सोचना होगा । उसके बाद में इसको रखें तो ठीक होगा । टैक्स लगाना और अधिक छोड़ दें ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसका क्लेरिफिकेशन हो जाय, जैसा कि क्लॉज़ २ में दिया गया है "and includes the additional tax payable under Section 6A"; जैसा कि कहा गया कि प्रोप्राइटर पर लगायेंगे तो क्या प्रोप्राइटर को अधिकार होगा कि एन्टरटेनमेंट आने वाले दर्शकों से वसूल कर सकता है । यह क्लेरिफिकेशन हो जाय तो समस्या हल हो जायगी ।

श्री रामचन्द्र (डग-सु) : अध्यक्ष महोदय....

श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह मनोरंजन बिल पेश हुआ है। मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यही एक धन्धा ऐसा नज़र में आया कि जिस पर सरकार व म्युनिसिपैलिटी भी किस्म किस्म के टैक्स इस धन्धे पर लगाती जाती है। सरकार ने सिनेमा पर मनोरंजन कर लगाया था उस वक्त भी इस धन्धे को काफी धक्का लगा था। २० से ३० पर्सेन्ट टैक्स लगाये। तो लोग समझने लगे कि यह कर प्रोप्राइटर पर नहीं पड़ता है और पब्लिक पर पड़ता है। आंकड़ें देखने से मालूम पड़ता है कि जो कलेक्शन टैक्स लगाने से पहले हुआ करता था वही कलेक्शन टैक्स लगाने के बाद हुआ। इससे सिनेमा वालों को प्रवेश शुल्क कम करना पड़ा, उससे उन्हें भारी धक्का पहुँचा है। सिनेमा वाले जो फिल्म चलाते हैं उसके लिए फिल्म वालों को ६०, ६० और ७० पर्सेन्ट तक डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना पड़ता है और ३० या ४० पर्सेन्ट सिनेमा वालों के पास रहता है जिसमें बिजली, पानी का खर्चा, केपिटल इन्वेस्टमेंट, स्टाफ आदि के वह सारे खर्चे उस पर पड़ जाते हैं, और बहुत मुश्किल से उनका काम चलता है। सिनेमा की कुछ शहरों में जहां मोनोपोली है, जैसे कोटा है, उदयपुर है और अलवर है वहां पर कोई कम्पीटिशन नहीं है। वहां यह धन्धा लाभदायक चीज़ है, या ऐसे टाउन्स हैं जहां सिनेमा थोड़े हैं और पब्लिक ज्यादा है वहां यह ठीक हो सकता होगा। लेकिन राजस्थान के बहुत से हिस्सों में इस व्यापार के लोग बहुत मुश्किल से गुज़ारा कर रहे हैं या पुल ऑन कर रहे हैं।

अब दो रुपये फी सैकड़ा तक कुल सीटों पर लगाते हैं तो उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। किसी किसी सिनेमा पर दो रुपया की दर से लगाया जावेगा लेकिन किसी किसी पर ४ आने या ८ आने की दर से निश्चित किया जायगा। तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और फायदा सरकार को कोई खास होने वाला नहीं है। बहुत से औसतन सिनेमा में मान लें कि ७०० सीटें हैं और ७०० सीटें हैं, मगर वह रोज़ाना भरी नहीं रहती हैं। नया पिक्चर जब लगता है तो एक-दो रोज़ हाउस फुल होता है, और हफ्ते में ५ दिन हाउस खाली या आधा भरा रहता है। तो १४) एक शो पर लगाये जाते हैं; तो तीन शो के ४२) रु० हो जायेंगे। इस प्रकार से साल भर के १२ या १५ हज़ार रुपये फी सिनेमा पर हो जायेंगे। आप सब के रेकार्ड्स की जांच कर सकते हैं कि कोई भी सिनेमा वाला ऐसा नहीं है जो कि इतना हेवी बर्डन पे कर सकेगा।

अभी भी सिनेमा व्यवसाय पर ऑलरेडी कई किस्म के टैक्स लगे हुए हैं। पहले लाइसेन्स लेते हैं, तो गवर्नमेंट लाइसेन्स फी चार्ज करती है। २००, ४०० रु० लाइसेन्स फी के लेते हैं। यह किसलिए लेते हैं? यह दो रुपये सैंकड़ा जो सीटों के लेने जा रहे हैं वह लाइसेन्स फी के अन्दर समझ लिए जाने चाहिये। दूसरे पी. डब्लू. डी. के बिजली और हैल्थ इन्स्पेक्टर जब इन्स्पेक्शन के लिए आते हैं तो उनको अलग देना पड़ता है। एन्टरटेनमेंट टैक्स ऑलरेडी लग चुका है। म्युनिसिपैलिटी के १० रु. टैक्सेज़ लगाने के कई जगह प्रोपोज़ल्स चल रहे हैं। शायद वे भी लगेंगे। हाउस टैक्स म्युनिसिपैलिटी लगायेगी, और अब शो टैक्स सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है वह सिनेमा के धन्धे पर हेवी बर्डन हो जायगा।

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

सिनेमा के टिकटों का ब्लैक मार्केट जो होता है उसके डर से शरीफ लोग कम आते हैं, उनको रोकने का प्रबन्ध सरकार नहीं करती है। उसको दूर करने के लिए कभी नहीं सरकार ने सोचा। इस डर से सिनेमा वालों की आमदनी कम होती है। उसके लिए क्या तरीका अपनाना चाहिये ? उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। टिकटों का ब्लेक होता है। उसके कारण गुंडागर्दी से दुर्व्यवस्था होती है, लेकिन पुलिस एड सिनेमा वालों को कतई नही मिलती है। इस कारण से शरीफ आदमी और औरतें क्यू में खड़े नहीं रह सकते हैं। बुकिंग पर गुंडागर्दी होती है और बहुत से लोग सिनेमा से बिना देखे घर को चले जाते हैं। इससे सिनेमा वालों के साथ साथ में गवर्नमेंट को भी लॉस होता है। पुलिस एड कर दी जाय तो स्थिति सुधर सकती है।

कानून में धूम्रपान न करने की व्यवस्था है कि सिनेमा हाउस में धूम्रपान नहीं करना चाहिये। यह प्रोविज़न है, लेकिन वह करते हैं तो उसकी क्या सज़ा मिलनी चाहिये, वह कोई प्रोविजन नहीं है। सिनेमा में स्लाइड्स दिखाते हैं कि धूम्रपान करना निषिद्ध है तो भी १०-५ बीड़ी, सिगरेट पीते हुए मिलते हैं। अगर दो-चार को पेनेल्टी दी जायगी तो उससे गवर्नमेंट की आमदनी भी बढ़ेगी और वह भी बन्द हो जायगा। उसकी ओर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया जो कि देना चाहिए। टिकटों के लिए गुंडागर्दी होती है, उसकी वजह से बहुत से लोग सिनेमा नहीं देख पाते हैं। इसलिए सरकार को चाहिये था कि जैसा बॉम्बे में टिकटों में ब्लेक मार्केटिंग करना निषेध है वही बात यहां भी लाग होती तो एन्टरटेनमेन्ट टैक्स में बढ़ोत्तरी होकर फायदा होता। भले घर की औरतें और अच्छे आदमी सिनेमा नहीं देख पाते हैं, गुंडागर्दी के कारण; इसलिए गुंडागर्दी निषेध एक्ट यहां भी होना चाहिए था। जब रास्ते में औरतें आदि अकेली जाती हैं उन पर गुंडे लोग आवाज कसते हैं इसलिए रोड रोमियोज़ के लिये निषेध एक्ट होना चाहिये। बम्बई में सफेद पोशाक में पुलिस घूमती रहती है और ऐसे लोगों को पकड़ लेती है। उनकी तरफ भी ध्यान होना चाहिये था....

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : ये रोड रोमियोज क्या हैं ?

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : सड़कों पर लोग घूमते रहते हैं और अकेली औरत देखकर आवाज कसते हैं उनको रोड रोमियोज़ कहते है।

श्री अध्यक्ष : वे ही लोग तो सिनेम में आते हैं।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : सिनेमा हमारे यहां एन्टरटेन का एक साधन है। सभी किस्म के लोग आते हैं। हिन्दुस्तान में अनपढ़ लोग ज्यादा हैं, जो पुस्तकें नहीं पढ़ सकते, पुराने जमाने के जो लोग किताबें नहीं पढ़ सकते और स्कूल में नहीं जा सकते वे अक्सर सिनेमा जाते हैं और समाचार व शिक्षा प्राप्त करते हैं। आजकल सरकार ने डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म दिखाने का भी प्रोविजन किया है। अखबारों में जो चीजें पढ़ने को नहीं मिलती हैं वे डॉक्युमेन्ट्रीज में देखने

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

को मिलती हैं और पिक्चर में देखी हुई बात को लोग भूलते नहीं हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सिनेमा का एडवरटाइजमेंट कर रहे हैं।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : इससे इम्पोरटेन्ट खबरें मिलती हैं और मनोरंजन भी होता है, काम से थके लोगों के लिए यह आवश्यक है। इसलिए इस पर कम से कम टैक्स लगना चाहिए। मैं जानता हूं कि टैक्स तो लगेगा, लोग चाहे कितना ही विरोध करें, चाहे विरोधी पक्षवाले करें या दूसरे करें; लेकिन मेजोरिटी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि इस पर यह शो टैक्स न लगावें तो अच्छा रहेगा। यदि मेजोरिटी के बल पर इस तरह का कार्य करेंगे तो लोगों की श्रद्धा उठ जावेगी और इस तरह जनतन्त्र को खतरा होगा। ऐसी सूरत में मैं इसका विरोध करता हूं और मन्त्रीजी से प्रार्थना करता हूं कि वे इसको प्रवर समिति में ही न भेजें बल्कि विड्रॉ कर लें।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु) अध्यक्ष महोदय, मनोरंजन कर के बारे में मन्त्री जी ने जो अमेंडमेंट रखा है मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। जो मनोरंजन कर लगाया जा रहा है उसके बारे में पाली से आने वाले मित्र ने कहा कि मजदूर लोग दिन भर मिल में काम करते हैं और शाम को सिनेमा में जाते हैं लेकिन मजदूर चार आना, पांच आना खर्च करके थर्ड क्लास का टिकट लेते हैं। मजदूरों की बड़ी दुर्दशा है, उनको अच्छी जगह नहीं मिलती। मैं उदयपुर का उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आपने देखा, वही उदाहरण बताइये।

श्री हरिप्रसाद यादव : जोधपुर के लोगों ने उदयपुर में २ सिनेमा लगा रखे हैं। जैसा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य खुद एक सिनेमा के मालिक हैं, उन्होंने अभी कहा कि सिनेमा में गुंडागर्दी होती है। उदयपुर में दो सिनेमाघर हैं और तीसरे के लिए सरकार ने सांघी कम्पनी को फिर लाइसेन्स दिया है। उदयपुर में जो मजदूर सिनेमा देखने जाते हैं उनको अच्छी जगह नहीं मिलती है तो कर लगाने से थोड़ा फायदा मजदूरों और किसानों को मिलेगा। क्या मिलेगा यह मैं बताऊंगा। सरकार कई सार्वजनिक संस्थाओं को ग्रान्ट देती है। कहीं लोक कला मन्दिर खोल रखे हैं, कई कला मन्दिर खोल रहे हैं। मजदूरों और किसानों को मनोरंजन का साधन सिनेमा से मिलता है। पंचायतों ने भी लोक कला मन्दिर खोले हैं. उनका भी सदुपयोग होने लगा है इसलिए जो सिनेमा कर लगाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सिनेमा लगा रखा है, उनका मैं समर्थन करता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय....

डॉ० बहादुरसिंह : मेरा कोई सिनेमा नहीं है।

श्री हरिप्रसाद यादव : मेरे सामने कई नजीरें आई हैं। मैं वास्तविक स्थिति जानता हूं, मुझे अनुभव है, मैंने उदयपुर का उदाहरण दिया। वहां पर सिनेमा कम्पनी की

Page No.49

(श्री हरिप्रसाद यादव)

तरफ से कोई इन्तजाम नहीं है। लेट्रिन्स खराब हैं फिर भी सांघी कम्पनी को तीसरे सिनेमा के लिये लाइसेन्स दे दिया गया जब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी मध्यम श्रेणी के लोगों ने बनाई थी उनको इसका लाइसेन्स नहीं दिया गया....

श्री अध्यक्ष : हरिजनों की कोऑपरेटिव सोसाइटी और बना लीजिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : वहां पर कोऑपरेटिव सोसायटी को लाइसेन्स न देकर एक करोड़पति को लाइसेन्स दिया गया, इसलिए सिनेमा पर कर जरूर लगना चाहिये। माननीय सदस्य कहते हैं कि कर क्यों लगाया जाय जब कि उसने १०.२० लाख रुपये इससे कमाये हैं, हम वहां देखने जाते हैं तो पता लगता है कि लेट्रिन बहुत खराब हैं; इसलिए मैंने वहां का उदाहरण दिया। जयपुर के मानप्रकाश, प्रेमप्रकाश के मैनेजर बहुत चतुर हैं वे माननीय सदस्यों को खुश करने के लिए सीट देते है और कई गजटेड ऑफिसर्स और सेक्रेटेरियट में काम करने वाले बाहर खड़े रहते हैं ...

श्री अध्यक्ष : आप टैक्स पर ही बोलिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण पेश कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप कह रहे हैं उन पर टैक्स लग गया।

श्री हरिप्रसाद यादव : हम पर लगे तो कुछ बात नहीं, २५० रु० मिलते हैं, उसमें से कुछ दे देंगे। जैसे जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गुंडागर्दी होती है लेकिन गवर्नमेंट की ओर से पुलिस का इन्तजाम है। पुलिस के सब-इन्स्पेक्टर आते हैं तो सिनेमा वाले उनको ऊपर बैठाते हैं नीचे चाहे लड़ाई-झगड़ा हो, मारपीट हो उसकी परवाह नहीं। मैं इस अमेंडमेंट का समर्थन करता हूं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन के समक्ष है मैं उसका समर्थन करता हूँ। समर्थन इसलिए नहीं करता कि इसके द्वारा मनोरंजन कर लगाया जा रहा है। मैं कोई मनोरंजन का विरोधी नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि देशवासियों के लिए मनोरंजन का अधिक से अधिक साधन हो, खास कर गरीब तबके के लिए, निर्धनों के लिए जो अब तक मनोरंजन से वंचित रहे हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि राष्ट्रीय सरकार के आने के बाद जो सिनेमा देश में चल रहे हैं वे इतने नैतिक उन्नति करने वाले नहीं कहे जा सकते। उनसे केवल मनोरंजन की दृष्टि से मनोरंजन होता है लेकिन विष मिश्रित दुग्ध जैसी उक्ति न्याय में आती है, दूध है जिसमें स्लो पॉइजन डाला जाय उसी तरह का हाल इनका है। इसका दोष में उनको नहीं देता जो सिनेमा देखने के लिये जाते हैं। मैं इसका दोष उनको देता हूं जो फिल्म बनाते हैं। और जो सेन्सर करते हैं। आज हमारे देश में इस प्रकार के सिनेमा नहीं हैं जो लोगों को ज्ञान दे सकें। गरीबों का धन जो खाने-पीने में, बच्चों के पढ़ाने लिखाने में लगना चाहिये उसमें इसका

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

उपयोग नहीं होता बल्कि सिनेमा में जाकर लोग उस धन का दुरूपयोग करते हैं। मेरा विश्वास है गरीब सिनेमा मनोरंजन के लिए नहीं जाता बल्कि एक प्रकार के दुर्व्यसन का प्रचार होता है। इस प्रकार की फिल्म देखने से नवयुवक समाज का दिमाग खराब होता है और सभ्य आदमी देखकर लज्जा का अनुभव करता है। कभी कभी रेडियो के द्वारा फिल्मी गाने मुझे भी दुर्भाग्यवश सुनने को मिल जाते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता कि राष्ट्रीय सरकार के होते हुए भी हमारे देश के लोगों का स्वास्थ्य और चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार के सिनेमा चाहिये वे अस्तित्व में आ चुके हैं लेकिन आज सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं है जो खराब फिल्म प्रदर्शन को बन्द कर सके। मैं इसको आमदनी का जरिया नहीं मानता हूं। बहुत मुमकिन है कि सरकार ने इस दृष्टि से इसे रखा हो कि यह आमदनी का जरिया है। लेकिन मैं तो समझता हूं कि जिस प्रकार प्रोहिबिटिव टैक्सेज़ होते हैं, शराब पर जिस प्रकार टैक्सेज लगाने चाहिए, दूसरे दूसरे व्यसन, मादक चीजें हैं, उन पर जिस प्रकार टैक्स लगा कर डिसकरेज करना चाहिए, उसी प्रकार सिनेमा कर लगाते हैं, क्योंकि डेढ़ दो रुपया पाने वाले मजदूर, जिनका खाने-पीने का पूरा नहीं पड़ता है, जो बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, वे आठ आने या १२ आने या एक रुपया सिनेमा में खर्च करें! मैं समझता हूं उसकी जो नासमझी है, उसका जो परिपक्व ज्ञान नहीं है, उसका एक प्रकार से लाभ उठाते हैं। सिनेमाओं का जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, जिस तरह लोगों को आकृष्ट किया जाता है, जिस-जिस तरह से लोग उसमें पहुँचते हैं, मैं उसे मनोरंजन नहीं कह सकता हूं। मनोरंजन दूसरे हो सकते हैं, खेल-कूद और और मनोरंजन हो सकते हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म्स मुफ्त दिखलायें, खुले आम दिखलायें, अच्छे अच्छे लेक्चर करायें, लोगों का पूरा मनोरंजन करें। इस प्रकार जो सरकार मनोरंजन का कार्य करे, उसमें टैक्स नहीं होना चाहिए।

(करतल-ध्वनि)

लेकिन जो सिनेमा चले हुए हैं, मैं मौजूदा सिनेमाओं की बात करता हूं। मैं सिनेमाओं के मालिकों पर आक्षेप नहीं करता। वे देखते हैं कि यह जनता की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से पैसा खींचते हैं। वे क्या करें, जनता की प्रवृत्ति ऐसी बनी हुई है। मैं समझता हूं कि सरकार को जनता की प्रवृत्ति ठीक करनी चाहिए। यदि इस सदन के द्वारा, जहां केन्द्रीय सरकार का सूचना विभाग है उस तक मेरी आवाज पहुंच सके, तो मैं चाहूँगा कि आज जो फिल्म्स तैयार होती हैं, जिस प्रकार के गाने उनमें दिये जाते हैं, उनको थोड़ा कड़ाई से सेंसर करें ताकि फिल्म जरा सोच कर बनायें और इस प्रकार जो देश के नवयुवक, नवयुवतियां, छात्र-और छात्राओं के चरित्र पर बुरा असर पड़ता है। हमारे बन्धु वहां मनोरंजन के लिए नहीं जाते, वे अपनी वासनाओं में लिप्त हो गये हैं, उसके लिए वे जाते हैं। उसको रोकने के लिए सरकार को इस प्रकार के कर जरूर लगाने चाहिए, वे कर अगर प्रोहिबिटिव हो सकें तो बहुत अच्छा है। इसके साथ ही मैं

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

चाहूंगा कि सरकार आमदनी में ही न जाय। जहां तक गरीबों की बात है, जिनके मनोरंजन की दुहाई दी जाती है कि उसके लिए कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, वह दिन भर काम करता है, यह ऐसी दलील है, जो शराब के लिए कही जाती है ...

डॉ० बहादुर सिंह (धौलपुर) : शराब पीने के बाद दिमाग ठीक नहीं रहता है। इसके बाद रहता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आप कह रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं आप उसको पसन्द नहीं करते हैं। मैं कह रहा था कि उसके लिए दलील दी जाती है कि वह दिन भर काम करता है, बहुत परेशान रहता है, जब वह शराब चढ़ा लेता है तो वह आनन्द से सो जाता है। मैं समझता हूं कि यह एक तरह का स्लो पॉइजन है, वर्तमान सिनेमाओं के द्वारा गरीबों के पैसे का दुरुपयोग होता है, जिस पैसे से, भारत की जो भावी पीढ़ी आने वाली है, वह अच्छी बन सकती है, उस पैसे का उपयोग सिनेमाओं में होता है। इसलिए इस प्रकार सिनेमाओं पर यह टैक्स लगाना बहुत सामयिक और समीचीन है।

श्री किशनसिंह (लछमनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो आजकल सिनेमा दिखाये जाते हैं, उनसे आम जनता का हित नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि सिनेमा कर लागू हो मनोरंजन कर लागू हो, उससे जनता में चरित्र का निर्माण होगा और भावी नागरिक का जीवन सुखी होगा और इस प्रकार जो फिजूल खर्ची हमारी होती है, मजदूरी करने के बाद हम देखते हैं कि उनकी जो १२, १४ आने की जो आमदनी होती है, उसे सिनेमा में दे देते हैं। यह खराब हालत तभी दूर हो सकती है, जब थोड़ा कर लगाया जाय। कर लगाने के बाद वे लोग जाते हैं, जिनके पास पैसा है, उनको क्या दिक्कत है, उनके पास काफी रुपया है, एक रुपया मिलता है, दो रुपये मिलते हैं, अगर वे लोग ज्यादा कर देते हैं तो वह जनता के काम में आ जायगा। मैं समझता हूँ कि जो विधेयक रखा है, वह ठीक रखा है, इसको पास करना चाहिए और कर ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे मालूम नहीं है, अभी कितना है और कितना रखा है। मनोरंजन के लिए कहा जाता है कि इससे दुःखी आदमी का दुःख कम होता है, इसी प्रकार की दलील शराब के लिए दी जाती है। मैं कभी कभी देखता हूं कि शराब पीये हुए आदमी की बोलते हुए जुबान लड़खड़ाती है, उसको होश नहीं रहता है। जिस तरह शराब से नुकसान होता है, उसी तरह से सिनेमाओं से जो लोग मनोरंजन करते हैं उनको नुकसान होता है। इसलिए विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह सिनेमा देखने जाती थोड़े ही है।

(हंसी)

डॉ० चन्द्रकला : जो विधेयक सदन के समक्ष विचारार्थ रखा है और उसे प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं विरोध करती हूं....

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : She has got no practical knowledge of this, Sir.

डॉ० चन्द्रकला : इसके साथ ही मैं विधेयक का भी विरोध करती हूँ। पहली बात तो यह है कि, जैसा उद्देश्य और कारण में बताया गया है उसको देखते हुए, मुझे इसका विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि जो मनोरंजन कर लगा है, वह मनोरंजन के स्वामियों पर लगा है। लेकिन इस विधेयक में ऐसा प्रावधान नहीं है कि वह किस तरह वसूल करेंगे। मैं समझती हूं कि ज्योंहि ही यह बिल पास हुआ, जो टैक्स बढ़ेगा, मालिक उसको सारी सीट्स पर बांट देंगे। अंत में यह कर उन लोगों पर जायेगा जो मनोरंजन के लिए आयेंगे, जो सिनेमा देखने आयेंगे। यदि सरकार को सचमुच मनोरंजन के स्वामियों से कर वसूल करना है तो साफ उद्देश्य देना चाहिए कि किस तरह इस विधेयक के तहत वसूली करेंगे। सरकार किसी तरह का मनोरंजन कर न बढ़ाये, मैं इसका विरोध करती हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि मैं मनोरंजन का विरोध करती हूँ। मैं मानती हूं कि मनोरंजन का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन मैं यह भी नहीं कह रही हूँ कि मनोरंजन कर न बढ़ा कर जो सिनेमा देखने की आदत है, अपव्यय होता है मनोरंजन के नाम पर........

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : On a point of order, Sir, यह बिल एन्टरटेनमेंट टैक्स का, इसके अन्दर पैसे का सवाल है, टैक्स इकट्ठा होगा, खर्चा होगा, उसके लिए जरूरी था कि ६१ के अन्दर में मेमोरन्डम पेश करते।

श्री अध्यक्ष : No, I don't think that is necessary.

श्री पी. के. चौधरी : We would like to know whether Governor's consent has been taken over it. It is a money Bill.

श्री अध्यक्ष : It has been taken. Any more objections ?

(हंसी)

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मैं मनोरंजन का विरोध नहीं करती, किन्तु मैं सिनेमा देखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के पक्ष में भी नहीं हूं लेकिन इस विधेयक के द्वारा जो कुछ होने वाला है वह है कि जनता के पैसे की बचत होकर उपयोगी काम में आने वाली नहीं है। इसका सीधा उदाहरण हमारे सामने यह है कि शराब पर खूब टैक्स लगाया है, जितना हो सकता है, राज्य के कोष में उतना धन आता है, लेकिन उससे शराब पीने की आदत में कमी नहीं हुई है! जिनके पास साधन हैं वे ही शराब नहीं पीते हैं वरन् गरीब मजदूर सारी कमाई इसमें लगा देता है। हम जानते हैं कि शराब और सिनेमा इतने आकर्षक मनोरंजन हैं कि गरीब जनता, श्रमिक जनता, मजदूर जनता उसकी ओर दौड़ती है। हम अच्छी तरह से देखें तो सिनेमा देखने वाले लोग धनी कम होते हैं, और तांगे वाले, रिक्शा वाले, मामूली कमाई करने वाले लोग अधिक होते हैं। तो अंत में जाकर यह बोझ उन पर पड़ेगा। इसलिए हमें यह देखना है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है? हम चाहते हैं कि राज्य कोष में किसी न किसी तरह से थोड़ा पैसा आये, और यह

(डॉ० चन्द्रकला)

मनोरंजन ऐसी जगह है, जहां से ज्यादा से ज्यादा पैसा आ सकता है। हमारी सरकार और माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि वे चाहे जितना कर बढ़ा दें, फिर भी सिनेमा देखने वाले, मनोरंजन में हिस्सा लेने वालों की संख्या में कमी आने वाली नहीं है। इससे आमदनी बढ़ने वाली है, वहां पर कर लगा सकते हैं। हमारी सरकार क्या करती है कि सिनेमा की बुराई की बात करती है। हम देखते हैं, एक माननीय सदस्य ने कहा कि सिनेमा के गीत सुनने के लायक नहीं होते हैं, ये गीत रेडियो में आते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं निवेदन करूं कि हम सब देखते हैं, जयपुर शहर में दीवारों पर चित्र लगे हुए होते हैं, उनके द्वारा विज्ञापन किया जाता है, उनकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है। अगर सरकार जनता का नैतिक स्तर ऊंचा उठाना चाहती है, वह चाहती है कि जनता का, विद्यार्थियों का विकास हो और किसी तरह नैतिकता बढ़े और नैतिकता ह्रास की ओर न जाये तो पहला कदम यह उठाना चाहिए कि इस तरह की विज्ञापन बाजी बन्द हो। यह टैक्स बढ़ा कर करें तो यह कोई तरीका नहीं है। मैं मानती हूँ कि हमारी सरकार ने इस उद्देश्य से यह टैक्स नहीं बढ़ाया है, नैतिक सुधार का लक्ष्य इसमें नहीं है, केवल आमदनी का जरिया पैदा करना चाहते हैं। जहां यह सवाल है, अवश्य करें पर साफ होना चाहिये कि यह कर मनोरंजन गृहों के स्वामियों से लिया जायगा, दर्शकों पर इसका बोझा बिल्कुल नहीं होगा। ज्योंही यह कानून लागू हुआ उसी दिन से मनोरंजन कर आम जनता पर नहीं लाग जाना चाहिये कि हर टिकट पर वे लोग एक दो पैसा बढ़ाने लग जायं। यह सावधानी अवश्य बरतनी चाहिये क्योंकि इस विधेयक से वह बढ़ता हुआ नज़र आता है, इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं।

श्री रामचन्द्र (डग- सु०) : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान एन्टरटेनमेंट टैक्स अमेंडमेंट बिल सदन के सामने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और साथ ही साथ कहता हूं कि यह कर लगना बिल्कुल उचित और सामयिक है। क्योंकि अभी विधान सभा में बैठे एक माननीय सदस्य ने सिनेमा चलाने वालों को कितना खर्चा करना पड़ता है; जैसे रील मंगाने इत्यादि, इसका जहां चित्र रखा उसके माने यह हैं कि सिनेमा प्रोप्राइटर्स को इतना खर्चा करने के बाद भी कुछ न कुछ नफा अवश्य मिल जाता है, तो सरकार ने उचित विचार किया कि सिनेमा जैसा काम वास्तव में बड़ा लाभदायक और लाभप्रद है, यदि उस आमदनी में से राष्ट्र निर्माण के लिये कुछ धन टैक्स के रूप में सरकार ले ले तो अनुचित नहीं होगा। माननीय सदस्य ने कहा सिनेमा स्वामियों को चित्र मंगाने में, बड़े बड़े सिनेमा भवनों का निर्माण करने में ऑथोरिटीज़ को बहुत से टिकट मुफ्त देने में काफी खर्चा उठाना पड़ता है, इसलिए उनको विशेष फायदा नहीं होता है। मैं निवेदन करता हूं कि सिनेमा प्रोप्राइटर्स का यह कारण बताना कि सरकारी अधिकारियों को जिनका कि काम सिनेमा को नियन्त्रण में रखने का काम है, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए मुफ्त में टिकट दे दिये जाते हैं, यह बड़ी बुरी चीज है। जो भ्रष्टाचार की बड़ी जोरदार आवाज उठाते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि फ्री टिकट देना क्या भ्रष्टाचार का

(श्री रामचन्द्र)

सबक नहीं पढ़ाता है, यह उनकी आदत डालते है कि फ्री टिकट लेकर भ्रष्टाचार की आदत डालें।

इसी तरह यातायात में है कि यातायात विभाग के कर्मचारी मोटरों में फ्री बैठते हैं, क्या यह चीज उनको भ्रष्टाचार को ओर नहीं बढ़ाती ? यातायात और सिनेमा वालों ने अपने फायदे के लिए फ्री टिकट्स देने की परम्परा सी बना ली है।

अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि यह जो टैक्स लगाया जा रहा है यह ठीक है, यह पैसा देश के निर्माण में काम आयेगा।

श्री गोवर्धनसिंह केन (बयाना सु०) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मनोरंजन कर (संशोधन) विधेयक सदन के सामने रखा है उसका मैं स्वागत करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जो बिल सदन के समक्ष है उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कर लगाया जा रहा है यह बहुत कम है। मेरी राय में तो इससे दुगुना कर लगाया जाना चाहिए था।

श्री शंकरलाल (रायपुर) फास्ट रीडिंग के बाद, डॉ० बहादुरसिंह जी का प्रस्ताव आया हैं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिये, आया प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिये या नहीं, इसी चीज पर बहस होनी चाहिये, यही हमारे सामने प्रश्न है। अब यह स्टेज नहीं है कि इस पर बोला जाय कि यह एक महत्वपूर्ण बिल है या अमुक प्रकार का बिल है।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव यह भी है कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय या नहीं; इस लिए दोनों मुद्दों पर विचार किया जा सकता है।

श्री गोवर्धनसिंह केन : धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव किया है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, मैं इसका विरोध करता हूं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : पड़ोस में बैठ कर ?

(हंसी)

श्री गोवर्धनसिंह केन : मनोरंजन कर किसलिये लगाया जाता है ? हमें इस आधार पर देखना चाहिये कि आज हमारा देश कितनी प्रगति कर रहा है, इस आधार पर कर लगाया जाता है। अब देखना यह है कि सिनेमा से देश की स्थिति किस ओर पहुंच गई है। एक तरफ कहा जाता है कि इससे लोगों को फायदा मिलता है, प्रचार होता है पर देश में वे लोग भी हैं जो गरीब हैं, मजदूर हैं, चपरासी हैं, य न लोग लोगों की स्थिति को देखते हैं तो उनके मन में भी इच्छा पैदा होती है कि सिनेमा देखें, एक रुपया उसका खर्च हो जाता है, ८ आना टिकट में और ८ आना फिजूल खर्च में, पान बीड़ी सिगरेट में यह खर्च कर देता है। ३० रुपया महीने कमाने वाला व्यक्ति १ रुपया खर्च कर देता है एक दिन में तो इससे बुरी स्थिति पैदा हो जाती है, इसका असर उसके परिवार पर पड़ता है, उसकी स्त्री और बच्चों पर इसका असर पड़ता है।

अभी माननीय सदस्य ने बताया कि रिक्शा चलाने वाले, तांगा

(श्री गोवर्धनसिंह केन)

चलाने वाले सिनेमा अधिकतर देखते हैं। मैं अनुभव करता हूं कि ये लोग ही अधिक देखते हैं। सिनेमा में बड़ी क्लासेज़ की तरफ देखते हैं तो वे क्लासेज़ खाली मिलती हैं लेकिन छोटी क्लास में सारी सीटें भर जाती हैं और जगह तक नहीं मिलती। बड़ी सीटों में देखते हैं कि कोई कोतवाल का रिश्तेदार है तो कोई एम० पी० का रिश्तेदार है या मन्त्रियों के रिश्तेदार हैं, भ्रष्टाचार के तरीके से उनको दिखाया जाता है।

तो देखना इस गरीब समाज की तरफ है कि इनको कैसे इस सिनेमा से मुक्त कर सकते हैं जो सिनेमा देखना नहीं चाहते....

डॉ० बहादुरसिंह : आपकी स्थिति कैसी है ?

श्री गोवर्धनसिंह केन : मेरी स्थिति ठीक है।

तो वे लोग दिन को शराब पीते हैं और फिर सिनेमा देखते हैं और सिनेमाघरों में गुंडागर्दी होती है। यह स्थिति किस चरम सीमा तक पहुंच गई है, इसकी तरफ मन्त्री महोदय को देखना चाहिये। तो इस तरह से मजदूर, रिक्शा चलाने वाले ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनके घर में खाने को नहीं होता, फिर भी वे सिनेमा देखने जाते हैं और वे काफी रुपया खर्च करते हैं और उसका असर यह होता है कि उनके बच्चे और औरतें होती हैं उनकी स्थिति को अगर देखा जावे तो आपको मालूम होगा कि घर में वे अपनी लाज को ढकने के लिये भी कपड़े बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। इन चीजों को हमें देखना होगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह किस आधार पर कर रहे हैं और किया जा रहा है। जहां तक गरीबों को राहत देने का प्रश्न है, मैं यह कहूँगा कि यह टैक्स जो लगाया गया है वह बहुत कम लगाया गया है। मैं यह कहूंगा कि शराब को बम्बई में बंद किया गया और उस पर पैसे भी बढ़ा दिये गये हैं लेकिन फिर भी लोग वहां से बहुत दूर जाकर दूसरी जगह जाकर पीकर आते है और अपने उस एब को नहीं छोड़ते हैं। इसलिये ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिये। आपको यह देखना है कि मजदूरों की क्या आय है ? उसकी आय को देखते हुए मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा रहता।

दूसरी चीज़ है, वह यह है कि रिक्शा वाले और तांगेवाले अधिक सिनेमा में देखने के लिये जाते हैं और वे क्यों देखते हैं और उसका क्या असर पड़ता है, यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। बहुत से लोग सिनेमा देख कर चौर बन जाते हैं और कई लोग साहूकार भी बन जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि साहूकार वे बनते हैं जो सिनेमा चलाते हैं और जो लोग देखते हैं वे चोर बन जाते हैं। कोई चोरी करता हैं और उससे पूछा जावे कि तुमने चोरी करना कैसे सीखा, तो वह यह कहेगा कि यह चीज़ मैंने सिनेमा में देखी, उसी आधार पर चोरी की। इसलिये जो फिल्म मंगाने वाले हैं उनको चाहिये कि वे अच्छी अच्छी फिल्म मंगावें मगर वे लोग हमेशा गुंडागर्दी की फिल्में मंगाते हैं। आपको बहुत कम ऐसी फिल्म मिलेंगी जिनमें गुन्डागर्दी न हो। सिनेमा के मालिक और डिस्ट्रीब्यूटर हैं वास्तव में वे

Page No.56

(श्री गोवर्धनसिंह केन)

अच्छी फिल्में मंगा कर अच्छी अच्छी स्थिति पैदा करें जिससे ज्यादा गरीबों को फायदा हो सके। यही मेरा निवेदन है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे, मैंने सदन में जो विचार सुने उनको सुनने के पश्चात् इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिये। इसमें बहुत सी बातें स्पष्ट नहीं हैं, उनका स्पष्टीकरण होना चाहिये। कर लगाने का सबसे पहला सिद्धान्त यह है कि वह कर किससे वसूल होगा और किस प्रकार से होगा? इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिये। मैं समझता हूँ कि इसमें तीन प्रकार की बातें आवश्यक होती हैं। वे सब बातें इसमें अस्पष्ट हैं। जहां तक एन्टरटेनमेंट टैक्स का प्रश्न है वह केवल सिनेमा तक ही सीमित नहीं रहता है। अगर कोई इसको सिनेमा तक ही समझता है तो मैं समझता हूं कि यह गलत है। यह प्रत्येक खेल पर, प्रदर्शन पर और दूसरी मनोरंजन की चीजों पर भी लग सकता है और खेल कूद आदि सभी इसमें शामिल होते हैं। यह टैक्स केवल सिनेमा पर ही नहीं है। जैसी सिनेमा की बुराइयों का अभी ज़िक्र किया गया है वह तो मैं समझता हूं कि यह एक्ट लाया जावे उसके बाद की चीज है। यह टैक्स हर प्रकार के मनोरंजनों पर लगेगा। खेल कूद होंगे, डान्सेज़ होंगे; उन पर सब पर यह लागू होगा। केवल सिनेमा पर ही लगना चाहिये, यह किस प्रकार हो सकता है? यह साफ नहीं है। खेल, स्पोर्ट आदि व सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं उन पर भी लगना चाहिये या नहीं? अगर इस प्रकार का प्रस्ताव सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द होगा तो वहां पर इस पर पूर्ण रूप से विचार कर सकेगी और यह तय कर सकेगी कि किन किन चीजों पर एन्टरटेनमेंट टैक्स लगना चाहिये। इसलिए मैं यह समझता हूं कि हमें हर प्रकार के एन्टरटेनमेंट टैक्स को एक लाठी से ही हांके, ऐसी स्थिति हमारे यहां नहीं होनी चाहिये क्योंकि हमारे यहां पर ऐसे कई मनोरंजन हैं उनको हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं और बहुत से ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल छूट देना चाहते हैं। इस प्रकार मैं समझता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजने की ज्यादा आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है कि इसमें यह बताया गया है कि यह प्रोप्राइटरों से लिया जावेगा। मैं समझता हूं कि प्रोप्राइटरों पर कोई छाप नहीं है कि वे सिनेमा की दरें न बढ़ा दें। वे लोग सिनेमा की दरें बढ़ा सकते हैं, उनको यह छूट है। यह कहा जाता है कि कानून के तहत प्रोप्राइटरों से यह टैक्स लेंगे, मगर यह दूसरे प्रकार से सिनेमा देखनेवालों से ही वसूल कर सकता है, इसमें यह चैक प्रोप्राइटरों पर नहीं है कि वह दर्शकों से वसूल नहीं कर सकेगा। इस पर मैं समझता हूं कि सलेक्ट कमेटी में विचार हो सकेगा। यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह प्रोप्राइटरों से ही लिया जावेगा और दर्शकों से नहीं लिया जावेगा। इसलिये भी इसकी आवश्यकता है कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे।

तीसरी बात मैं यह कहूंगा कि इसकी जरूरत इसलिये समझता हूं कि यह जो

Page No.57

(श्री शंकरलाल)

टैक्स जिस प्रकार से लगाया है कि १०० सीटों पर दो रुपये लगाये जावे; अगर वहां पर १०० सीटों के बजाय ९९ सीटें होंगी तो उनसे यह टैक्स नहीं लिया जायेगा और अगर १०० के ऊपर १०१ सीट हो सकती है, उससे ज्यादा टैक्स लिया जायगा। ९९ पर तो कुछ टैक्स नहीं लेंगे और १०१ सीटों पर आप ४) रु० उनसे वसूल करेंगे। इसलिए यह जो प्रणाली है वह दूषित सी है। यह प्रत्येक सीट पर पैसा, दो पैसा टैक्स होना चाहिए। १०० सीटों पर दो रुपये लिये जाते हैं। इसका मतलब यह कि ९९ सीटों पर कुछ नहीं और १०० से एक भी सीट ऊपर हो गई तो उससे ४) रु० हो जावेंगे। इस प्रकार टैक्स वसूल करने की नीति है वह गलत है। आप इसकी इन्क्वायरी कैसे करेंगे और कैसे जांच होगी कि इसमें ९९ सीटें हैं और इसमें १०० से ज्यादा कौन इस बात के लिए जांच करेगा? हर एक शो में अलग अलग सीटें होती हैं, आज किसी शो में ४०० सीटें हैं तो किसी दूसरे शो में ५०० सीटें होंगी। फिर सीटों पर टिकिट दिये जाते हैं। इसलिए यह १०० सीटों के साथ नहीं रख कर एक सीट के साथ रखें तो इसका वे आउट हो सकता है। इसके लिए सलेक्ट कमेटी तय करेगी। इसलिए यह तीनों प्रकार की सीटों पर टैक्स लगाने के लिये यह बात अस्पष्ट है।

साथ ही इस सिलसिले में सिनेमा पर जो भ्रष्टाचार और अनैतिकता की बातें कहीं, मैं समझता हूं कि वे बातें अपने मतलब की नहीं, हालांकि यह बहुत महत्व की है। हमारे यहां भारतीय संस्कृति का राजा—महाराजाओं के समय का बहुत असर है। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूं कि इसका टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के ताल्लुक का है। होना यह चाहिए कि सिनेमा अच्छे ढंग के होने चाहिये। मगर इसमें तो इतना ही है कि किस प्रकार के सिनेमा से टैक्स लिया जायेगा इसलिए मैं समझता हूँ कि इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए यह आवश्यक है कि इसमें जल्दी नहीं होनी चाहिये और अगर जल्दी हो तो एक, दो सदस्यों की मीटिंग हो जायेगी, उसके बाद गम्भीरता से विचार करने के बाद इसमें हाथ डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं डॉ० बहादुरसिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इसको प्रवर समिति को भेजा जावे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, डॉ० बहादुरसिंह ने जो प्रवर समिति में इस बिल को भेजने का प्रस्ताव किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। सबसे पहले, यह कारण है कि क्लॉज़ ४ में, ६ (ए) को रखा है, Levy of additional tax on entertainments. प्रश्न यह आता है कि ट्रेड एन्ड कोलिंग पर टैक्स होते हैं You cannot call it an entertainment tax. एन्टरटेनमेंट टैक्स हैं, जितने टिकट बिकते हैं उन पर लें। मान लें कोई डॉक्टर है उस पर हम टैक्स नहीं लगाते हैं या सिनेमा जिसका प्रोफेशन है, it is not the tax on entertainment, it is a tax on Cinema. Operators. तो यह जो टैक्स है ट्रेड एन्ड कोलिंग की तहत में आता है और जहां तक हमारे दूसरे लेजिस्लेशन हैं वे अधिकार हमने लोकल बोडीज़ को दे रखे हैं।

(श्री पी. के. चौधरी)

तो आज इस अमेन्डमेन्ट के जरिये लोकल बोडीज़ के, जिसको डीसेन्ट्रलाइजेशन के नाम से आगे बढ़ा रहे हैं, विकेन्द्रीकरण के नाम लेकर पुकारते हैं और हम चाहते हैं कि लोकल बोडीज़ अपने एरिया में फन्ड्स इकट्ठा करें और डवेलपमेन्ट के कामों में लेवें, लेकिन उनके जो टैक्स कलेक्ट करने के रिसोर्सेज़ हैं, जुरिस्डिक्शन है रिसोर्सेज़ को उनको टेप कर रहे हैं। आया यह उचित है या अनुचित है, सरकार के लिए लोकल बोडीज़ के रिसोर्सेज़ के ऊपर एन्क्रोचमेन्ट करना ? पहले एन्टरटेनमेन्ट टैक्स लोकल बोडीज़ लगाया करती थीं। सन् ५७ में इसको स्टेट गवर्नमेन्ट ने ले लिया और इस बेसिस पर ले लिया कि सन् ५७ में सिनेमा गोइंग थे उनसे जो इन्कम मिलती थी उस पर लिमिट कर दिया। आगे जाकर जो एडीशनल इन्कम होगी वह स्टेट गवर्नमेन्ट लेती जावेगी। यह पॉलिसी थी। एक तरफ तो विकेन्द्रीकरण करते हैं और लोकल बोर्डीज़ को कहते हैं कि नये नये रिसोर्सेज़ टेप करिये। दूसरी बात यह है कि सारी बातें आप अपने हाथ में सेन्ट्रलाइज़ कर रहे हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन में जो चीजें आती हैं उनको आप अपने हाथों में ले लेते हैं। यह एक बात है।

दूसरी बात यह आती है कि हमने टैक्स बढ़ा दिये। सिनेमा ओपरेटर्स पर टैक्स बढ़ाया। एकोमोडेशन के ऊपर यह लिमिट रखी..tax at such rate not exceeding 2/-for every 100 seats or part thereof." 'पार्ट देयर ओफ' में १०१ भी होती हैं, २०२ भी होती हैं। यह रीयली स्पेसिफाई करना चाहिये था part thereof not less than 50. आपने स्पष्ट नहीं किया। यहां यह लूपहोल रहती है कि १०२ सीट हो गयीं तो ४) ले सकते हैं। मेन्टीनेन्स सीट पर चार रुपया ले सकते हैं। यह लिमिट रखी है 'part there-of' यह कोई साइन्टिफिक आधार पर नहीं है। और it is not a rational way of putting things.

तीसरी बात, अध्यक्ष महोदय, एडीशनल टैक्स के लिए, ठीक है, मैंने बताया। उसके साथ एन्टरटेन्मेन्ट टैक्स में अमेंडमेंट किया जा रहा है। पहले जो क्लासिफिकेशन्स थे.... Exhibition, performance, amusement, games and sports. वगैरह। अब शो भी एड कर दिया।, इसमें कैटल शो, फ्लॉवर शो भी आ सकते हैं। आप चाहें या लोकल बोडीज़ चाहें तो टैक्स कर सकते हैं। कुछ एक्टीविटीज़ को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ सोर्स को एन्करेज़ करना चाहते हैं, लेकिन जो एन्टरटेनमेंट टैक्स की डाफिनेशन है उसको स्पष्ट करना चाहिये था। हालांकि बिल लाये हैं,एडीशनल पर लगाया है, लेकिन दूसरी चीजों पर भी लगा रहे हैं और इस तरह से एन्टरटेनमेंट की चीज़ को ही चेन्ज कर रहे हैं।

यह साफ जाहिर नहीं होता है कि टैक्स करेंगे।मान लीजिये एक सिनेमा में ५०० सिटिंग की अकमोडेशन है, सौ आदमियों का ही शो हुआ तो क्या ५०० के लिए चार्ज करेंगे ? यह क्लीयर नहीं है। जितनी सीट्स होंगी उतनी के लिए ही टैक्स किया जावेगा। यह क्राइटेरिया न रहा तो ५०० सीट्स का सिनेमा घर हुआ तो whether the capacity utilised or not, आप उस पर टैक्स लेंगे।

(श्री पी० के० चौधरी)

मैं समझता हूं कि यह डिफेक्टिव है और इसलिए इसका सिलेक्ट कमेटी में जाना ज्यादा उचित होगा। हरीड वे में पास नहीं करना चाहिये।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने यह कहा कि सिनेमा को डिस्करेज करना चाहिये, मैं उनके साथ इत्तिफाक नहीं करता हूं। उन्होंने कहा कि सिनेमा में तो तांगे वाले, मज़दूर लोग जाते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि सिनेमा को यदि कोस्टली बना देते हैं तो नतीजा क्या होगा कि वे लोग सिनेमा नहीं जावेंगे और उनके सामने दो रास्ते रहेंगे, या तो शराब पीना शुरू कर देंगे

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : पीते नहीं अब भी क्या ?

श्री पी० के० चौधरी : नहीं पीते थे, वे अब और पीयेंगे, खुद निकालेंगे ।

डॉ० चन्द्रकला : खूब पीते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : आप क्या जानती हैं, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियेन्स से बता रहा हूँ After their eight hours hard labour they want entertainment. Then they have only two things for that. Either they take wines or they produce children. There is no other 3rd thing. मैं यह बात कह रहा हूँ, ऐसी नहीं है। सब ने कहा है। मार्क्स ने भी कहा है, Even Marx has said that they produce like rabits. रैबिट जैसे पैदा करता है ऐसे बच्चे पैदा करते हैं। फेमिली प्लानिंग का जिन्होंने अध्ययन किया है वे सब जानते हैं। Higher the standard of living, lower the rate of fertility. प्रोडक्टिविटी की रेट कम है। प्रोफेशनल क्लास है, उनके बाल बच्चे कम मिलेंगे। जितने गरीब आपको रोजी नहीं जिनके पास उसके ज्यादा बच्चे मिलेंगे। यह देखा गया है कि जो आदमी अनएम्प्लोयड हैं, जिनको काम धन्धा नहीं है, उसको और कोई काम धन्धा नहीं रहता है वह घर में बीबी के पास बैठा रहता है, this is the only sort of entertainment they have got. एक तरफ फेमिली प्लानिंग की बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि सिनेमाओं को बन्द कर दो, उसका नतीजा यह होगा कि फेमिली प्लानिंग खत्म में जावेगा। सिनेमा बन्द करने से ज्यादा शराब पीयेंगे और ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। There will be no other alternative to this.

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : It is a law of nature. It is a law of those people who are in more danger they produce more children and those who are in less danger they produce less.

श्री पी० के० चौधरी : This is an opinion of an experienced man. But the bigger danger, you will bring with unlimited production of children and drunkenness. यह मेरी बात सिर्फ नहीं है, एक्स्पर्ट की बातें हैं। बुजुर्ग और एक्सपीरियेन्स्ड आदमी हैं, वे इस बात को मानते हैं। जो सेन्टिमेन्टलिस्ट हैं, वे ऐसी बात करते हैं कि सिनेमा बन्द कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दीजिये।

Page No.60

श्री रामचन्द्र चौधरी (कर तथा आबकारी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, इस बात की खुशी है कि कर के नाम से सदन में कुछ चेतना आयी। करीब करीब सब साथियों ने अपने विचार व्यक्त किये। यह कोई ऐसा कर नहीं जिस पर लंबा-चौड़ा विचार किया जा सकता है या प्रवर समिति के सुपुर्द किया जा सकता है। आज तक जो कर लगता रहा है वह पब्लिक पर लगता रहा है, अब जो कर हम लगा रहे हैं वह मालिकों पर लगा रहे हैं; सिनेमा थियेटर जो चलाते हैं उन पर लगा रहे हैं....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : मालिक रेट बढ़ाकर इसको वसूल करेंगे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मालिक तो आज भी बढ़ा सकता है वह चाहे तो एक रुपये का डेढ़ रुपया भी कर सकता है। इस धारा को नहीं रखते हुए भी बढ़ा सकता है। यह तो उसके देखने की चीज है कि इस प्रकार बढ़ाकर वह कम्पीटिशन में आ सकता है या नहीं। हर सीट पर एडीशनल एक पैसा या पैसा लगा देते हैं तो यह रीजनेबल रेट बन जायेगा और ठीक रहेगा। अगर अपन टिकट पर लगाते हैं तो यह आप जरूर समझिये कि मालिक सिनेमा उसको टिकटमें ही शामिल करने वाले हैं। जितने टिकट बिकते हैं वह तो हिसाब सिनेमा वालों के पास रहता ही है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट वसूल कर लेगी। इसमें किसी प्रकार की उलझन और गलतफहमी की बात नहीं।

श्री अध्यक्ष : Is it a fixed tax ?

श्री रामचन्द्र : मेरे ख्याल से जितने टिकट बिकेंगे उन्हीं पर लिया जायगा।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : यह बात तो स्पष्ट होनी चाहिये कि किस तरह से यह वसूल किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : जो देखने जायेंगे उनसे वसूल नहीं किया जायेगा ?

श्री पी० के० चौधरी : They are not clear.

डॉ० चन्द्रकला : जिस जगह सीटें नहीं होती हैं जैसे फ्लॉवर शो आदि, वहां क्या होगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह एडीशनल टैक्स उन पर लगेगा जो टिकट देकर टिकट के पैसे वसूल करके दिखलाते हैं। जैसे कोई खेल है, अगर कोई मुफ्त दिखलाता है तो उस पर टैक्स नहीं होगा, फ्लावर शो आदि पर नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : यहां पर जो ५ तारीख से फ्लॉवर शो हो रहा है उस पर दो आना टिकट है, उससे आप कैसे वसूल करेंगे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : सीट तो है नहीं। जहां पर कोई सीट नहीं वहां पर टैक्स लगने का सवाल नहीं है। जहां पर सीट्स हैं और वे नम्बर्ड हैं उन पर लगने का है।

श्री अध्यक्ष : खड़े खड़े मनोरंजन कर सकते है।

Page No.61

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : केटल शो आदि पर भी क्या टैक्स लगेगा ?

श्री पी० के० चौधरी : किसी जगह पचास-चालीस सीटें लगा दीं और कोई खेल होता है तो क्या उस पर भी टैक्स लगेगा या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो इन्तजाम पैसे देकर सीट्स के लिये बुकिंग होता है उन्हीं पर टैक्स लगेगा; जहां सीट्स के लिए पैसे लिये जाते हैं उन पर लगेगा। मदारी मान लीजिये कहीं पर खेल दिखाता है दो सौ आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, देअर इज़ नो टैक्स। यह टैक्स तो मालिकों पर लगने वाला है। दर असल में जो सिनेमा मालिक हैं जो रुपया कमाते हैं उनको चाहिये कि वे गवर्नमेन्ट को कर दें। बिना कर से सरकार चलने वाली नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि ज्यादातर माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : यह क्या गारन्टी है कि यह जो कर लगा रहे हैं उससे मालिक सिनेमा टिकट दर नहीं बढ़ायेंगे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आज भी सिनेमा के मालिक अपनी टिकट दर बढ़ा सकते हैं, उन पर किसी प्रकार की बन्दिश नहीं है। वैसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि इस कर को जल्दी से जल्दी मन्जूर कर देना चाहिये।

डॉ० चन्द्रकला : फ्लॉवर शो, सांस्कृतिक प्रोग्राम, संगीत सम्मेलन आदि होते हैं उन पर भी क्या यह कर लगेगा ?

श्री अध्यक्ष : ऐसे जो आयोजन होते हैं उसके लिये पहले सरकार से एग्जेम्प्शन सीक कर लेते हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन रखा है उसे वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या डॉ० बहादुरसिंह को अपना प्रस्ताव वापिस लेने की इजाज़त दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मनोरंजन कर (संशोधन) विधेयक, १९६०, को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लॉज ४

(विराम)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो यह क्लॉज़ है वह रेट्स के बारे में है। यह जरूर है कि जो भी टैक्स लगेगा वह दर्शकों पर ही लगेगा। माननीय मंत्री महोदय यह विश्वास नहीं दिला सकते कि इससे टिकट रेट्स नहीं बढ़ेंगी, यह तो निश्चित मान कर चलिये कि टिकट की रेट्स अवश्य बढ़ेंगी। कोई भी व्यक्ति अपनी जेब से टैक्स देने वाला नहीं

(डॉ० बहादुरसिंह)

है । आप यह टैक्स दो रुपया सैकड़ा लगाने के बजाय दो नया पैसा प्रतिशत लगा देते हैं तो ज्यादा उचित रहेगा। [संशोधन इस प्रकार है : शब्द "two Rupees for every one hundred seats or a part therof" के स्थान पर शब्द "two naya Paisa per seat" प्रतिस्थापित किए जावें।] २०१ है वहां ६ रुपया देने की जरूरत नहीं उस पर आप दो नया पैसा के हिसाब से भी लगाते हैं तो वही आयगा। दो पैसा सीट के हिसाब से लगाते हैं तो ज्यादा उपयुक्त होगा। मान लीजिये जहां २०१ सीट हैं १९९ तक तो बराबर रहेगा, सौ से एक ज्यादा हो गया तो टैक्स बढ़ गया। इसलिये मेरा निवेदन है कि दो नया पैसा सीट के हिसाब से लगा दिया जाय तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। आपको कलेक्शन की तो उसी प्रकार दिक्कत करनी पड़ेगी और वह टिकट के हिसाब से होगा। अगर सीट के हिसाब से ले लिया जाता है तो दर्शक भी समझने लगेंगे कि नये मंत्री महोदय आये हैं, यह दो पैसे और ज्यादा देने पड़े।

श्री रामचन्द्र : दो पैसा प्रति टिकट लगा देने से तो मालिक टिकट पर ही बढ़ा देंगे। यह तो एकदम टिकट की कीमत बढ़ाने के लिये हो जायगा। हम तो टैक्स मालिक पर लगाना चाहते हैं। इन्कमटैक्स आदमी पर लगता है उसका प्रोसीजर भी इसी तरह है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इस बात की क्या सुरक्षा है कि आपके इस टैक्स के लगाने से मालिक सिनेमा टिकट पर दाम नहीं बढ़ायेंगे और जनता को यह भुगतना न पड़े, इसके लिए क्या गारन्टी है?

श्री अध्यक्ष : इसीलिए तो पर सीट पर नहीं लगाया है।

डॉ० चन्द्रकला : आगे भी टैक्स बढ़ सकता है, इसकी सुरक्षा कैसे मिलेगी; जनता को कि टिकट पर टैक्स नहीं पड़ेगा?

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ २, ३, ४ व ५ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लाज़ज़े २, ३, ४ व ५ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने।

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मनोरंजन कर (संशोधन) विधेयक १९६० को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मनोरंजन कर (संशोधन) विधेयक, १९६०, को पारित किया जाय।

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक ७ मार्च के ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[तदुपरान्त सदन की कार्यवाही १ बज कर ५० मिनट पर सोमवार, दिनांक ७ मार्च, १९६० के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई]

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, ४ मार्च, १९६०)

स्तम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर — १४१२

घुट्टी कॉलोनी के बंगाली विस्थापितों की गिरफ्तारी में कार्यवाही ।

प्रिन्सीपल गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर, के निजी सहायक का बी० ए० की परीक्षा में बैठना ।

प्रान्त से पशुधन की निकासी ।

मुकदमों के फैसलों में अनावश्यक विलम्ब ।

तहसील उनियारा में हुई ओलावारी से ग्रसित व्यक्तियों हेतु राहत कार्य ।

रामगढ़ पचवारा, थाना लालसोट में हुई चोरियों के कारणों में जांच ।

ग्राम खैरवाल, तहसील दौसा, के भूमि एकीकरण कार्य में रुकावट डालने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही ।

तहसील लालसोट में मौजा बिनोरी में सरकारी पेड़ों और जमीन पर के नाजायज काबिज, श्री शम्भूलाल चौबे, से बंधी रकम की वसूली ।

कोटपूतली में मुन्सिफ कोर्ट भवन का निर्माण ।

एडीशनल सैटलमेंट कमिश्नर, जोधपुर, द्वारा फैसल मुकदमे ।

श्री रामकिशन पारीक की मृत्यु में जांच ।

हिन्डौन में मिडिल स्कूल खोलना ।

राजस्थान प्रदर्शनी १९५९ में बिजली की व्यवस्था ।

सरपंच, जौन (Jaun) पंचायत, द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव के होने के बावजूद भी कार्य करना ।

कृषि सहकारी समितियां, तहसील रायसिंहनगर ।

राजस्थान भाखड़ा प्रोजेक्ट के सीमेन्ट आदि के काला बाजारी के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में दर्ज केसेज़ में कार्यवाही ।

तहसील भीलवाड़ा में श्री मदनलाल कोदू कोटा को कुआ खोदने हेतु दिया गया लोन ।

स्तम्भ

Page No.65

स्कम्भ स्कम्भ

गांव सहजरासर, तहसील लूणकरणसर में भूमिहीन किसानों को भूमि का अलॉटमेंट।

झालावाड़ जिले के लिये सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म की योजना।

तहसील डग के भूमिहीन किसानों को भूमि का अलॉटमेंट।

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के कर्मचारियों में लोन्स व एडवान्सेज़ की बकाया।

अनुसूचित जातियों के लिये जिला परिषदों को दी गई धनराशि।

राज्यपाल महोदय का संदेश

माननीय अध्यक्ष द्वारा राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित संदेश पढ़ा गया:-

"दिनांक २४ फरवरी, १९६० को विधान सभा में दिये गये मेरे अभिभाषण पर सदन के सदस्यों ने जो आभार प्रदर्शित किया उसको प्राप्त करके मुझे अत्यन्त संतोष हुआ है।"

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन १४७१

श्री चन्दनमल वैद, सभापति, ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (Committee on Subordinate Legislation) के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

विधायी कार्य

पुर:स्थापित किया गया विधेयक

श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री, ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६० को पुर:स्थापित किया।

विचारार्थ लिये गये विधेयक

निम्नांकित विधेयक सदन द्वारा विचारार्थ लिये जाकर पारित किये गये——

(१) राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, १९५९ १४७२

(२) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) संशोधन विधेयक, १९६०

(३) राजस्थान गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९५९ १४८४

Page No.66

(४) राजस्थान वेट्स एण्ड मेजर्स (एनफोर्समेंट) संशोधन विधेयक, १९५९ १५८५

(५) राजस्थान अव्यापारिक कम्पनी विधेयक, १९५९ (संशोधित रूप में पारित हुआ) १४६२

(६) राजस्थान मनोरंजन कर (संशोधन) विधेयक, १९६० १५१८

सोमवार दिनांक ७ मार्च, १९६० की कार्य-सूची

गैर-सरकारी संकल्प

१. जिले के कलेक्टोरेट्स के कार्य के निरीक्षण तथा कार्य प्रणाली को निर्धारित करने के लिए समिति का निर्माण ।

२. वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अधिक उपयोगी और सामयिक बनाने के लिए समिति के निर्माण सम्बन्धी संकल्प ।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २०० का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Appointments 'A' Department.

Notification

No. F13 (17) Apptts (A)/55 Jaipur, the 11th October, 1958.

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and of all other powers enabling him in this behalf, the Governor of the State of Rajasthan hereby directs that the following amendment shall be made in the Rajasthan Government Servants and Pensioners Conduct Rules, hereinafter referred to as the said Rules, namely:—

AMMENDMENT

After Rule 14A of the said Rules, the following new rule shall be inserted, naemely:—

14B. Prohibition of joining or attending educational institutions:— No Government servant, while in Government service, shall join or attend any educational institution for the purpose of preparing himself for, or shall appear at, any examination of a recognised Board of University:

Provided that-

(i) Nothing in this rule shall apply to a Government servant who applies for and is granted such leave as may be due to him under the Rajasthan Service Rules for the entire period of the school or college session in which he so prepares himself,

(ii) a Government servant who has, in or before the year 1955, passed any previous examination may be permitted by the appointing authority to join or attend an educational institution outside his office hours for the purpose of preparing himself for, and to appear at, the final examination next following such previous examination,

(iii) a Government servant may be permitted by the appointing authority to join or attend an educational institution outside his office hours for the purpose of preparing himself for, and to appear at the

matriculation examination of a recognised Board or University or any other examination held by a recognised Board or University which may have been declared to be equivalent to such matriculation examination;

(iv) a teacher or librarian may, subject to rules and regulations of Education Department, be permitted by the appointing authority to join or attend any educational institution outside his ofssice hours for the purpose of preparing himself for, and sitting at any examination higher than the matriculation examination of a recognised Board or University or any other examination declared to be equivalent thereto; and

(v) a technical officer may also, subject to any departmental rules, be permitted by the appointiug authority to join and attend, outside his office hours, any technical institution for the purpose of pursuing higher technical studies and sitting at any technical examination.

(a) The expression "previous examination" refers to the annual examination immediately preceding the final Intermediate or post-graduate examination, and

(b) the expression "technical officer" refers to officer holding posts of technical nature in or under the Medical and Health, Agricnltural, Veterinary, Forest, Public Works and Mines and Geology Departments of State or in State-owned factories or production Centres under the control of the Industries Department of the State.

Sd/-

(R. D. Mathur)

Special Secretary to the Government.

Dated Jaipur, the 11th, October 1958.

No. F13 (17) Apptts (A)/55

Copy forwarded to:--

1. All Secretaries to Government.
2. Secretary to the Governor.
3. Secretary to the Chief Minister.
4. Private Secretaries to Ministers and Deputy Ministers.
5. All Heads of Departments.

6. All Sections of the Secretariat.
7. Accountant General, Rajasthan, Jaipur, with 90 spare copies
8. Superintendent, Government Press, Jaipur, for publication (order only) in the Government Gazette.

Sd/-

Assistant Secretary to Government.

Copy also forwarded to:-

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
2. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Jaipur.
3. Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur.

Sd/-

Assistant Secretary to the
Government of Rajasshan.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २१० का उत्तर देखिये)

एडीशनल सेटिलमेंट कमिश्नर जोधपुर द्वारा सन १९५८ में पाली जिले के जो २ मुकद्मे जिस २ तारीख को फैसल हुए उनकी फहरिश्त व उनके अमल दरामद का हाल

क. स.	एडि. से. क. जोधपुर का मिसल नं० व नाम गांव	दिनांक फैसला	अनवान	तामीली कार्यवाही व अमल दरामद का हाल
१	२	३	४	५
१	मु. १-५८ सूरा वाला तह. पाली	१-२-५८	अचलसिंह बनाम	इसमें प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश हुआ है इस कोर्ट के फैसले के अनुसार अमल दरामद की जरूरत नहीं।

१	२		३	४
२	३–५८ बागडिया तह. पाली	१–२–५८	पुरुषोत्तमसिंह बनाम सेटिलमेंट ऑफिसर, पाली	इस कोर्ट की सिफारिश पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रेफरेन्स मंजूर हुआ, बोर्ड के फैसले दि. २०-८-५८ के अनुसार कैसे इन्तदाई कोर्ट ए. आर. ओ. को सुनने का आदेश हुआ, अतःअमल दरामद की आवश्यकता नहीं। केस की लोअरकोर्ट की मिसल एस. ओ. पाली के वहां से आपरेशन्स खत्म हो जाने के कारण कलेक्टर पाली के पास भेजी गई है।
३	२–५८ सोनाई तह. पाली	१०–१–५८	महाराज विजेसिंह बनाम रूपा वगैरा	इस कोर्ट से ट्रान्सफर एप्लीकेशन मंजूर होने से ए. आर. ओ. श्रीमानसिंह की कोर्ट में मुंतकिल किया गया जहां जेरकार है।
४	३–५८ सुरायता तह. सोजत	२–२–५८	राजराजा उदेसिंह बनाम ओठा कल्ला	इसमें रेवेन्यू बोर्ड के आदेश दिनांक २०–८–५८ के अनुसार आर. ओ. की कोर्ट में पुनः सुनने हेतु लोअर कोर्ट की मिसलें एस. ओ. पाली के पास भेजी जा चुकी हैं। अतः अमल दरामद का अभी प्रश्न नहीं उठता।
५	५–५८ डेन्डा तह. पाली	६–२–५८	तुलसीदास बनाम पूनमा	इस कोर्ट ने इसमें प्रार्थना पत्र खारिज किया है, अतःइस कोर्ट के आदेश के अमल दरामद का कोई प्रश्न ही नहीं। इसकी लोअरकोर्ट की मिसलें ऑपरेशन्स समाप्त हो जाने से एस. ओ. पाली के वहां से जिलाधीश पाली के कार्यालय में भेजी गई हैं।

१	२		३	४	५
६	१३-५८ खन्डावास तह. पाली	३०-४-५८	हासमखां बनाम मिश्रीलाल		इस कोर्ट द्वारा ए. एस. ओ. के फैसले को बहाल रखने का आदेश हुआ है जिसका अमल दरामद दि. १३-५-५८ को रेकॉर्ड में हो चुका है।
७	१५-५८ चोटीला तह. पाली	१०-४-५८	भीमसिंह बनाम सरकार		इस कोर्ट से रिमान्ड का आदेश होने पर लोअरकोर्ट की मिसलें एस. ओ. पाली के पास भेजी गईं। ऑपरेशन्स बन्द
	१६-५८ " " १७-५८ " " १८-५८ " "		अर्जुनसिंह बनाम सरकार भीमसिंह " " शेतानसिंह " "		हो जाने से एस. ओ. पाली की जेर पेन्डिंग मिसल ता. १२-६-५८ को जिलाधीश पाली के पास उचित कार्यवाही के लिये भेजी गई अतः अमल दरामद का प्रश्न यहां नहीं।
८	६२-५८ तह. पाली	१६-७-५८	मोहनलाल बनाम सरपन्च निम्बलीऊदा		यहां से बोर्ड में रेफरेन्स किया गया था वह स्वीकार हुआ और लोअरकोर्ट की मिसलें केस द्वारा सुनने हेतु ए. आर. ओ. कोर्ट में भेजी, वहाँ जो फैसला हुआ उसका अमल दरामद रेकार्ड कन्सीलीडेशन आफिस पाली में होने से नहीं किया गया है।
९	१-५८ चावून्डरी तह. पाली	८-१०-५८	लक्ष्मणसिंह बनाम भिरदसिंह		इस कोर्ट में अपील खारिज हुई अतः इस कोर्ट के फैसले के अनुसार अमल दरामद का प्रश्न नहीं उठता। ए. एस. ओ. के अनुसार अमल दरामद पहले ही रेकार्ड में हो चुकी है।

१	२	३	४	५
१०	२६–५८ कन्टोलिया तह. सोजत १७–१०–५८	हरिराम वगैरा बनाम अभयसिंह जागीरदार		यह मिसल बोर्ड आफ रेवेन्यू में रिविजन पेश होने पर इस कोर्ट के पत्र नं० १५६६ दिनांक ४–८–५६ द्वारा बोर्ड में भेजी गई है । केस बोर्ड में पेन्डिग है, अतः ताइल अमल दरामद का प्रश्न नहीं ।
११	६–५८ खोखरा तह. सोजत १५–१२–५८	किश्ना बनाम शम्भुसिंह		इस कोर्ट से केस रिमान्ड होने का आदेश होने से लोअर कोर्ट की मिसल यहां के फैसले दिनांक १५–१२–५८ को प्रतिलिपि के साथ एस. ओ पाली पास भेजी गई । ऑपरेशन्स समाप्त हो जाने से एस. ओ. पाली के वहां से जेर पेन्डिग मिसल नं० ८०५ दिनांक ३०–१२–५८ द्वारा जिलाधीश पाली पास भेजी गई, अतः अभी अमल दरामद का प्रश्न नहीं उठता ।

परिशिष्ट ३

(कृपया, तारांकित प्रश्न संख्या २११ का उत्तर देखिये)

POST MORTEM REPORT

District Bikaner. Dated 19-9-1958.

Body brought by Police Constables H/S Karam Khan.

Body identified by Mr. Dhan Dass and Khura Ram.

Name, sex, age, and caste: Ram Kishan Vyas, 35 years, Hindu Male Brahmin.

Where brought, village, Thana-Bananinion Ki Talai, Bikaner.

Date and Hours of :—

Death	Examination of Body.	Despatch of matter to chemical Examiner.	Appearance of symptoms of poison or disease.
1 P. M.	10. 9. 58	9 A. M. 11. 9. 58	Not known.

Symptoms observed before death. No t observed.

Information furnished by Police. Body found floating in Bananion Ki Taai at 7 A. M.

N. B :—The Medical Officer will observe the state of all the organs, and when he finds no disease or injury, he should write in the appropriate places the word 'Healthy'

I EXTEENAL APPEARANCE

1. Condition of subject-stout, enaciated, decomposed etc.
2. Wounds, position, size, character.
3. Bruises, Position, size, nature 1. 2'' 2¼'' on the lateral aspect of right glution region.

   2. 1½'' 1/10'' on the dorgum of

right foot in the middle.

3. 1" in diameter on the left Medial malleobus.

4. in diamater on left Patalle.

4. Mark of ligature on neck, dissection & P. C.
5. Condition of pupils: Eyelids swollcn odematus and closed.

II CRAMIUM AND SPINAL CORD

Note:—The spinal cord need not be examined, unless any indication of disease or injury exist.

Sealp skull and vertebrae,

Healthy (2) Membxanes Healthy (3) Brain & Spinal cord healthy.

III THORAX

1. Walls, Ribs and covtilages: Multiple Blisters are being blue patches on the chest wall, Gas in subeistaneous tissues.

2. Pleurae. Right cavity contained 6. 8. Grams of blood stained fluid.

3, Larynx and tracheas: Congested and red musoons clean lumen.

4. Right Lung: Congested gas leaked on pressure, a small conti-usion about $1\frac{1}{2}$ "x $1\frac{1}{2}$" on the middle lobe. Collapsed floats in water.

5. Left Lung: Congested, Collapsed, gas leaked on pressure in water.

6. Pericordium. Empty and healthy.

7. Heart. Empty and pale.

8. Large vessels. Healthy.

IV ABDOMAN

1. Walls: Multiple blisters all over the abdominal wall, with gas in subsutineous tissues.

2. Perilonoena Healthy.

3. Mouth, Pharyn, and Ezophagus Blood stained fine froath from the Mouth and nose, pharyns casphagus healthy.

4. Stomach and its contents: Pale, multiple Blue patches on its serious surface distended with gas. No food material.

5. Small intestines and their contents. Multiple bluish patches distended with gas.

6. Large intestines and their contents: Pale and distended with gas & semo fluid material.

7. Liver. Healthy.

8. spl-en. Healthy.

9. Kidneys. Healthy.

10. Bladder. Healthy & Empty.

11. Organs of generation external and internals: Serotum distended with gas and skin colured greenish.

VMUBCULAN BONES JOINTS

1. Injury,	2. Disease & Deformity,	3. Fracture,	4. Dislocation.
	Nil.	Nil.	Nil.

Neck and shoulders swollen but no signs of external injury. The connective tissues and muscles of neck in its lower half and upper part of chest showed extravasation of Blood.

Tongue swollen, Protuding and bitter between teeth.

Nails and lips cyanosed.

Lower limbs distol to normal, not swollen, the sole of the feet showed washer-woman's skin, No. blister on the lower limb.

REMARKS BY MEDICAL OFFICER

From the above observations, in my opinion the cause of death is asphysia but the cause of asphysia could not be ascertained. Viscoras sent for chemical examination for the conirrmation of. chemical poisons and the

report will be sent when received. As regards the duration of death in my opinion death occurred before Eighteen hours.

And drowning as a cause of death is ruted out.

Sd/- R. S. Gelot (illegible)

No 3425/M/58 Date 13-9 58

Forwarded to the C. H. O., Police Station,Nay Shahar, Bikaner with reference to his requisition dated 10. 9. 1958.

Sd/- S. C. Mehta,
Principal Medical & Health Officer.

Bikaner,
13. 9. 58.

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २१८ का उत्तर देखिये)

तहसील रायसिंहनगर में १६५८ अप्रेल से १ जनवरी, ६०, तक निम्नांकित स्थानों पर समितियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है :—

		कहां स्थित है।	रजिस्ट्रेशन नं०
१.	अगुआ सामुहिक कृषि सहकारी समिति	२६ एनपी	७५२ के ३०.१.५६
२.	नोजवान सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि०	२७ ,, ए	७६८ के २३.२.५६
३.	नवजीवन सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि०	२७ ,, एबी	७७२ के २३.२.५६
४.	मेघ सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि०	२६ एन. पी	७६६ के ,,
५.	नया किसान सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि०	२८ ,,	७७० के ,,
६.	विकास सामुहिक कृषि सहकारी लि०	३० ,,	७३४ के ,,
७.	सर्वोदय कृषि सहकारी समिति लि०	३१ एन. पी.	७७१ के ,,
८.	सिद्धि संवंधित सहकारी समिति लि०	६ एफ.एफ.वी.	७२१ के १३.१२.५८

उपरोक्त आठ सोसाइटियों में से ७ सोसाइटियां सामुहिक हैं जिनको सरकारी आराजी अलोट की गई और आठवीं सिद्ध सम्मिलित सोसाईटी हैं; अर्थात् : Joint farming cooperation Society है जिनके पास उनकी खुद की है मिलकियत आराजी हैं। सरकारी भूमि इनको अलाट नहीं की गई है।

जिन सात सोसाइटियों को भूमि अलॉट की गई है वह निम्न प्रकार हैं :

१. अगुआ सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि० २६ एन. पी. ६४५ एन. पी. ६४५।। ४
२. नोजवान सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि० २७ एन. पी. ६०१
३. नवजीवन सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि० २७ एन. पी. बी. ८६६।। ४
४. नया किसान सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि० २८ एन. पी. ६४७
५. मेघ सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि० २६ एन. पी ६६६।। ४
६. विकास सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि० ३० एन. पी. ७१३।।। ४
७. सर्वोदय सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि० ३१ एन. पी. १००७।।। ४

सूची विकास सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि० ३० एन० पी० वाके मोजा ठंडी तह० रायसिंहनगर

क्रम सं०	नाम चक	नम्बर मुरब्बा	तादाद रकबा	तकमीलत सोसाईटी बनने से पूर्व ५ साल तक किसके कब्जे में रही। सं० २०१०	२०११	२०१२	२०१३	२०१४	२०१५
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१.	३० एन० पी०	१०८।१	२४॥	सोहनलाल पुत्र सदासुख ११ टी० के०	२०११	२०१२	२०१३	२०१४	२०१५
२.	,,	१०६।१	२४॥	मोडू पुत्र अमर हरिजन	,,	,,	,,	,,	,,
३.	,,	११०।१	२४॥	मोडू पुत्र बासा सा० ११ टी० के०	,,	,,	,,	,,	,,
४.	,,	१३६	२५	गुरुदयाल पुत्र ईसरसिंह रायसिंह नगर	,,	,,	,,	,,	,,
५.	,,	१४०	२५	कपूरसिंह पुत्र अतरसिंह ११ टी० के०	,,	,,	,,	,,	,,
६.	,,	१४२	२५	पतराम वल्द रामसुख ११ टी० के०	,,	,,	,,	,,	,,
७.	,,	१४२	२५	तोतासिंह पुत्र शानसिंह २३ पी० एस० ए०	,,	,,	,,	,,	,,
८.	,,	१४३	२५	अमरसिंह पुत्र सरवणसिंह बावड़ी २३ पी० एस० ए०	,,	,,	,,	,,	,,

Page No.80

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
९.	,,	१४४।१	२४॥	जोगेन्द्रसिंह पुत्र सोधासिंह	,,	,,	,,	,,	,,
१०.	,,	१४५।१	२४॥	गुरुनामसिंह पुत्र अगीरसिंह	,,	,,	,,	,,	,,
११.	,,	१४६।१	२४॥	अतराम वल्द रामसुख	,,	,,	,,	,,	,,
१२.	,,	१४७।१	२४॥	गरीबदास पुत्र सुन्दरराम बावड़ी	,,	,,	,,	,,	,,
१३.	,,	१४८।१	२४॥	जयराज पुत्र रावत विशनोई	,,	,,	,,	,,	,,
१४.	,,	१७७	६	किसनसिंह पुत्र रामसिंह बावरी	,,	,,	,,	,,	,,
१५.	,,	१६७,१६६	११। ४,२५	हरनाम पुत्र सुन्दर बावरी	,,	,,	,,	,,	,,
१६.	,,	१८०	२५	बुधाराम पुत्र दानाराम बावरी	,,	,,	,,	,,	,,
१७.	,,	३३०	२४॥	सुलतान वल्द मोती गरगुसाई ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,
१८.	,,	३३१,३६५	२५,२५	गोरीशंकर पुत्र टिकू जा० सा० ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,
१९.	,,	३३२	२५	गनपत पुत्र बादू जा० सा० ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,
२०.	,,	३६१।१	२४॥	श्योजी पुत्र ऊदाराम जा० ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,
२१.	,,	३६२	१६	रती पुत्र आदू जा० ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,

१		२				४		५	
२२.	,,	३६४।२	२४॥	पन्ना पुत्र मोथा जा० ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,
२३.	,,	३६५।१	२४	इसर पुत्र हीरा जाट ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,
२४.	,,	३६६।२	२४	मेरा पुत्र नारायण ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,
२५.	,,	३६७।१	५॥	भोमा पुत्र गीधन जा० ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,
२६.	,,	३६६	२५	ऊदा पुत्र गधा सुनार बावटी	,,	,,	,,	,,	,,
२७.	,,	३७०।२	२४॥	खेमा पुत्र रूपा चमार ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,
२८.	,,	३६२	२५	बोदा पुत्र जीवन जाट ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,
२६.	,,	३६२।१	२४	बना पुत्र कालु मुथार ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,
	मीजान	कुल	७१३॥।४						
		मुम०	७०२॥।४						
		गैर०	११						

सूची नौजवान सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि० २७ एन० पी० ए० वाके मोजा ठन्डी

तहसील रायसिंह नगर

क्र०सं०	नम्बर मुरब्बा	तादाद रकबा	तकसीम जो सोसाइटी बनने के पूर्व ५ साल तक किसके कब्जे में रहा २०१०	२०११	२०१२	२०१३	२०१४	२०१५
१.	१६८।२	२४॥	साधुसिंह वल्द हीरासिंह वाटी ६ टी० के० ।	बदस्तुर	बदस्तुर	बदस्तुर	बदस्तुर	बदस्तुर
२.	१६७,१६४	२५,२५	वजीरसिंह वल्द कमनसिंह ६ टी० के०	,,	,,	,,	,,	,,
३.	१६६	२५	सिघा वल्द मन्डा बावडी सा० ठंडी	,,	,,	,,	,,	,,
४.	१६५	२५	वीरसिंह पुत्र कालासिंह बावडी ६ टी० के०	,,	,,	,,	,,	,,
५.	१६३।१	२४॥	भागसिंह पुत्र हीरासिंह बावडी ६ टी० के०	,,	,,	,,	,,	,,
६.	२०३	२५	मलू पुत्र खेता जाट ला० ठंडी	,,	,,	,,	,,	,,
७.	२०२	२५	किशना पुत्र करणसिंह	,,	,,	,,	,,	,,
८.	२३१	२५	चन्द्र पुत्र तारू जाट ठंडी १५ मेरा पुत्र मगलू सा० ठंडी १०	,,	,,	,,	,,	,,

१	२		३	४	५	६	७	८
९.	२३२	२५	काहना पुत्र टीकू जा० ठंडी	,,	,,	,,	,,	,,
१०.	२४१	२५	गोर्धन पुत्र गंगामल द्रालश सा० ठंडी	,,	,,	,,	,,	,,
११.	२६८	२५	मामराज पुत्र गनेशा जा० ठंडी	,,	,,	,,	,,	,,
१२.	२६८	२५	मनकूल पुत्र मोटा जाट १९ मलमजा राजू ६	,,	,,	,,	,,	,,
१३.	२८२,२८१	१२,२५	कालू वल्द श्रीराम जाट ठंडी	,,	,,	,,	,,	,,
१४.	२८२	१२॥	मकबूजा राज	,,	,,	,,	,,	,,
१५.	२८०	२५	कालू पुत्र अरजन जाट ठंडी	,,	,,	,,	,,	,,
१६.	३००	२५	मकबूजा राज	,,	,,	,,	,,	,,
१७.	३०६	२५	अमरू पुत्र अर्जन कुम्हार सा० टंडी	,,	,,	,,	,,	,,
१८	३२०।२	२४॥	गोविन्द पुत्र ऊदा जाट ठंडी	,,	,,	,,	,,	,,
१९.	३१९।२	२४॥	मरवूजा राज	,,	,,	,,	,,	,,
२०.	३४५	२५	मरवूजा राज	,,	,,	,,	,,	,,

Page No.84

१	२	३	४			६	७	८
२१.	३४४	२५	कुमा पुत्र मोटा जाट सा० टंडी	,,	,,	,,	,,	,,
२२.	३४७।२	२४॥	मागू पुत्र चेतन जा० सा० टंडी	,,	,,	,,	,,	,,
	मीजान	५९६॥						
	गैरमुमकिन	४॥						
		६०१						

फहरिस्त सर्वोदय सामुहिक कृषि सहकारी समिति ३६ एन० पी० वाके मोजा ठन्डी तहसील रायसिंह नगर

क्रम संख्या	नाम सोसाइटी	ग्राम	नम्बर मुरब्बा	तादाद रकबा २०१०	तकसीम	जो सोसाइटी बनने से पूर्व ५ साल किसके कब्जे में रहा २०११	२०१२	२०१३	२०१४	२०१५
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१.	सर्वोदय सामूहिक	३१ एनपी	७४	६॥	सुरजा पुत्र मेरमिमब्रास साकिन ११ टीके	बदस्तूर	बदस्तूर	बदस्तूर	बदस्तूर	बदस्तूर
२.	कृषि सहकारी	,, :	७५	१८	सुमनसिंह पुत्र नानूमल राजूपत	,,	,,	,,	,,	,,
३.	समिति डि० ३१ एन. पी.		७६	२४	हीरा नारायण मेघनाड ११ टीके	,,	,,	,,	,,	,,
४.			७७	२४	नारायण पुत्र कुन्डा गांवना ११ टीके	,,	,,	,,	,,	,,
५.			७८।१	२४॥	लद्दूमण पुत्रगमना बसाक रासिंहनगर	,,	,,	,,	,,	,,
६.			७९।१	२४।	मोडू वल्द नारायण सा० टीके ११	,,	,,	,,	,,	,,
७.			८०।१	२४॥	शंकर पुत्र रामरित का ११ टीके	,,	,,	,,	,,	,,
८.			८१।१	२४॥	गेवाह पुत्र नारायण मेद्वाल ११ टीके	,,	,,	,,	,,	,,

१	२	३	४	५	६	७	८	९
९.	८२।१	२४।।	बनदानसिंह पुत्र अतरसिंह बावरी ११ टी	,,	,,	,,	,,	,,
१०.	८३।१	११।।।	पुरुलामड़ेगा बिश्नोई ११ टीके	,,	,,	,,	,,	,,
११.	१०२।२	२४।।	कस्तूरी मुई मंगला बावरी ११ टीके	,,	,,	,,	,,	,,
१२.	१०३।	२५	केरी पुत्र मेवाराम मेघवास	,,	,,	,,	,,	,,
१३.	१०४	२५	मेरा पुत्र लिल्ला मेघवास	,,	,,	,,	,,	,,
१४.	१०५	२५	लालचन्द पुत्र गुरमान अरोटा	,,	,,	,,	,,	,,
१५.	१०६।१	२४	शंकर पुत्र रावरिल	,,	,,	,,	,,	,,
१६.	१०७	२४।।	बिजैलाल पुत्र श्यामलाल ११ टीके	,,	,,	,,	,,	,,
१७.	११३।१	२५	छतरसिंह पुत्र हरनाम सिंह ११ टीके	,,	,,		,,	,,
१८.	११२।१	२४।।	इन्दरसिंह वल्द सोमासिंह बावरी	,,	,,	,,	,,	,,
१९.	१११।१	२४।।	रूपा पुत्र बाला हरिजन	,,	,,	,,	,,	,,
२०.	१३८।१	२४।।	अतरसिंह पुत्र हरनामसिंह	,,	,,	,,	,,	,,
२१.	१४९।१	११।।।	रमासिंह पुत्र स्यामा माकरी	,,	,,	,,	,,	,,

Page No.87

१	२	३	४	५	६	७	८	९
२२.	२०० २४	राज दौलत मदार		,,	,,	,, छेला १२ रामप्रताब ४ नामू ८	,,	,,
२३.	२०११ १६॥ २४॥							
२४.	२०११ १६॥	मुलराम पु. नानगा जाट		,,	,,	,,	,,	,,
	५ २४॥	बीरबल पुत्र हजारी जाट		,,	,,	,,	,,	,,
२४.	२०२११ २४॥	बीरबल हजारी जाट ६॥		,,	,,	,,	,,	,,
		शिवकरण पुत्र इमरता जाट १५		,,	कणमल १५		,,	,,
२५.	२३७१२ २४॥	राजदौलत रामदल दार		राम मदु १५ राजे	६॥	बदस्तूर	,,	,,
२६.	२३८।२३६ २५ २५	निन्दु वल्द खेताराम टाकरी		बदस्तूर	बदस्तूर	,,	,,	,,
२७.	२४३ २५	हजारी पुत्र बगडावत सुनार रायसिंहनगर		,,	,,	,,	,,	,,

१	२	३	४ ५	६		७	८	९
२८.	२४४	२५	स्वामी पुत्र नानराव सुनार	,,	शोकरन १२॥			
					गोपाल १२॥		,,	,,
२९.	२४५	२५	तेजा पुत्र काना जाट ठाकरी १२॥	,,	,, बदस्तूर	,,	,,	,,
			नारायण पुत्र दीमा ठाकरी १२॥	,,	,,	,,	,,	,,
३०.	२८२।२	२४॥	मनफूल पुत्र भेरा जाट ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,
३१.	२८३।२	२४॥	बना पुत्र कालू सुनार ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,
३२.	२८४।२।	२४॥	गोपालदास पुत्र श्रीराम मैरानी रायसिंह नगर	तुलसीराम ११॥		,,	,,	,,
				जैगा १३		,,	,,	,,
३३,	२८५	२३॥	देवा पुत्र जोरा चमार ११॥	बदस्तूर	बदस्तूर	,,	,,	,,
			गोपालदास पुत्र श्रीराम बारानी रायसिंहनगर १२	,,	,,	,,	,,	,,
३४.	३२५।२	१२	धना पुत्र गणेशा जाट ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,
३५.	३२६।३	१२॥	मुला पुत्र गणेश जाट ठाकरी	,	,,	,,	,,	,,
३६.	३२७।२	१२	सुलतान पुत्र मोती जाट ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,

१	२	३	४	५	६	७
३७.	३२८ा२ २३॥	गिरधारी पुत्र यादु जाट सादर	,,	,,	,,	,,	,,
	३७७॥					

कुल मिलान १७८७॥।) ४

राम ८४३॥।)

मकनियत १६४॥) ४

फहरिस्त मेघ सामुहिक भूमि सहकारी समिति लिमिटेड ३२६ एन. पी बाके ठंडी ठाकरीब तहसील रायसिंह नगर

नं०	मुरब्बा	तादाद मुरब्बा	तहसील जों सोसाइटी बनने के पूर्व ५ साल तक किस के कब्जे में रही संवत् २०१०	२०११	२०१२	२०१३	२०१४	२०१५
१	१७८	११॥।	हरनाम वल्द मूंग बावरी सा० ४१ एनपी	बदस्तूर	बदस्तूर	बदस्तूर	बदस्तूर	बदस्तूर
२	१८११ १८२१२	२४॥ २४॥	पूर्णसिंह व० संतापसिंह ,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,
३	१८३।१	२४॥	लच्छू व० सरदार बावरी सा० अमरगढ़	,,	,,	,,	,,	,,
४	२१४	२५	सुला व० सेमा बावरी सा० ठंडी	,,	,,	,,	,,	,,
५	२१५	२५	शंकर व० लादू बिश्नोई ११ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
६	२१६	२५	चुली व० रूपा खाती १२॥ अर्जुन वल्द मेवा १२॥	,,	,,	,,	,,	,,
७	२१७।१	२४॥	हजारी व० बगडावत सुनार १२॥ राम १२॥	,,	,,	,,	,,	,,

१	२	३	४	५	६	७	८	९
८	२१८।१	२४॥	हजारी व० रामकरण बिश्नोई ११ टी. के	,,	,,	,,	,,	,,
९	२१९।१	२४॥	जेठा व० जीया बावरी अनरगढ	,,	,,	,,	,,	,,
१०	२५३	२५	उमा व० जीया बावरी	,,	,,	,,	,,	,,
११	२५४	२५	सुखा व० खेमा बावरी ठंडी	,,	,,	,,	,,	,,
१२	२५६।१	२४॥	सोनिया व० धन्ना बावरी अमरगढ	,,	,,	,,	,,	,,
१३	२५७।१	२४॥	सोनलाल व० बगडावत सुनार	,,	,,	,,	,,	,,
१४	२९२	२५	सिमरथा व० लिछिया बावरी अमरगढ	,,	,,	,,	,,	,,
१५	२९३	२५	तुलछा व० केसरा अमरगढ	,,	,,	,,	,,	,,
१६	२९४।१	२	मकसूजा राज	,,	,,	,,	,,	,,
१७	२९५	२५	जेठा व० जीया अमरगढ १२॥ जोरासिंह व० बहादुरसिंह १२॥	,,	,,	,,	,,	,,
१८	३३१	२४॥	प्रेमसिंह व० शामा बावरी ४१ एन. पी	,,	,,	,,	,,	,,
१९	३३२।२	२४॥	जीया व० श्रीराम बावरी अमरगढ	,,	,,	,,	,,	,,

Page No.92

१	२	३	४	५	६	७	८	९
२०	३।१	२४	नानूराम व० कालूराम ब्राह्मण ३६ एन. पी	,,	,,	,,	,,	,,
	४	२५	रसी राम व० मामराज बावरी	,,	,,	,,	,,	,,
२२	५	२५	,,	,,	,,	,,	,,	,,
२३	६।१	२४	कालू व० रूपा नायक ३६ एन. पी	,,	,,	,,	,,	,,
२४	७।१	२४	,,	,,	,,	,,	,,	,,
२५	८	२४	सरदारा व० नानक बावरी ३६ एन. पी	,,	,,	,,	,,	,,
	९	२४॥:४	,,					
२६	११	९॥	जोरासिंह व० किशनसिंह ३६ ,,	,,	,,	,,	,,	,,
	१२	९॥						
२७	१६	९॥	लछिमा व० सरदार बावरी ३६ ,,	,,	,,	,,	,,	,,
२८	३९६	२५	रत्तीराम व० लादू ठाकरी १३					
			नारायण व० बिश्रसर गुसाई ठाकरी १२	,,	,,	,,	,,	,,
२९	३९७।२	२४	परतू व० जीवण जाट ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,

१	२	३	४	५	६	७		९
३०	३६८।२ २१८।१	२४॥ २४	डूंगर व० नगेसरा जाट ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,
३१	३६८	२५	संमूनाथ व० जगन्नाथ ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,
३२	४१६	२५	रूपा व० मारूपर १० नगराम व० पेमा सुनार १५	,,	,, गंगाराम १० मनोराय १५	,,	,, ,,	,, ,,
३३	४१७।१	२४॥	गंगाराम व० पेमाराम ठाकरी	,, ,,	,, गोविन्द १४॥ सोनकी १०		,,	,,
३४	४१६	२५	गेताराम व० नारायण ठाकरी १२॥ केसरा व० मोती ठाकरी १२॥	,,	,, अदस्तूर		,,	,,
३५	४२०	२५	सुरजा व० उदा सुनार ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,
३६	४२१।२	२४	लूलू व० जीया ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,
३७	४२२।१	२४॥	धन्ना व० आदू ठाकरी	,,	,,			

१	२	३	४	५	६	७	८	९
३८	४२३	२५	मेराम व० पेमा सुनार ठाकरी	,,	मनीराम ६।।। ,, सोनकी ३ सायाम १२।		,,	,,
	कुल	६६६।।:४						
	गरेसु	१८।।						
	कुल	६७८:४						

————

फहरिस्त नवजीवन सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि० २७ एन० पी० बी० वाके मोजा
ठन्डी त० रायसिंहनगर

नं०	नम्बर मुरब्बा	तादाद रकबा	तफसील जो सोसाइटी बनने से पूर्व पांच साल तक किसके कब्जे में रही । २०१०	२०११	२०१२	२०१३	२०१४	२०१५
१.	१५५	४।	मेहरसिंह बेटा सूबासिंह बावरी ६ टी० के०	बदस्तूर	बदस्तूर	बदस्तूर	बदस्तूर	बदस्तूर
२.	१५६।२	११।	इन्दरसिंह बेटा सोभासिंह बावरी ६ टी० के०	,, ,,	,, ,,	,, ,,	,, ,,	,, ,,
३.	१२६।१	२४।।	काउसिंह बेटा अरजनसिंह बावरी सा ६ टी० के०	,,	,,	,,	,,	,,
४.	१७०	२५	रामजी बेटा सूब बावरी ६ टी० के,	,,	,,	,,	,,	,,

१	२	३	४	५	६	७	८	९
५.	१६०।१	२१	चननसिंह बेटा बूढासिंह बावरी ६ टी० के०	,,	,,	,,	,,	,,
६.	१६१	२५	लूना बेटा रावत बावरी सा० ठन्डी	,,	,,	,,	,,	,,
७.	१६२।२	२४॥	रामप्रताप	कालू बेटा फूला विश्नोई गायना सा० ११ टी० के०	,,	,,	,,	,,
८.	२०४।२	२४॥	पीथा बेटा लिखमा सुथार सा० देह	बदस्तूर	,,	,,	,,	,,
९.	२०५।१	२४॥	रामप्रताप बेटा शोलाल जाट सा० ठन्डी १२ राज १२	रामलाल बेटा मलराजसुथार सा० ११ टी. के. १२॥	,,	,,	,,	,,
१०.	२०६	२५	लूना बेटा रावत बावंरी सा. ठन्डी	रामप्रताप बदस्तूर १२	,,	,,	,,	,,

१	२	३	४	५	६	७	८	९
११.	२०७	२५	गंगाराम बेटा नारायण	मोहनलाल बेटा गनपतराम ब्रा. सा. मोसेवाला	मुन्सी बेटा कर्मसिंह बावरी सा. ६ टी. के.	„	„	„
१२.	२२६	२५	मूलचन्द बेटा मलूजाट सा० ठन्डी	बदस्तूर	बदस्तूर	„	„	„
१३.	२२७	२५	सुखराम बेटा आसा जाट सा. ठन्डी	„	बलवीरसिंह बेटा चंदासिंह.	„	„	„
१४.	२२८।२	२४॥	बीझराम बेटा गंगाराम ब्रा. ठन्डी १४॥४ राम प्रताप वगैरह भूमि २०५ ५ मकबूजा वाज ४॥१	„	„	„	„	„
१५.	२४३।१	२४॥	राज दोलतमदार	„	„	„	„	„
१६.	२४४	२५	तेजा बेटा सिखमा सुथार सा. ठन्डी	„	„	„	„	„
१७.	२४५	२५	रामचन्द्र बेटा नथू जाट सा. ठन्डी	„	„	„	„	„

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१८.	२६४	२५	चेतन बेटा किसना बावरी सा. ठन्डी	,,	,,	,,	,,	,,
१९.	२६५	२५	मतीराम बेटा चूहा खाती सा. देह	,,	,,	,,	,,	,,
२०.	२६६।२	२४॥	मकबूजा राज	,,	,,	भगवान बेटा भाग कोम बावरी सा. ठन्डी १० बी. म. मकबूजा राज १४॥	,,	,,
२१.	२६७।१	२४॥	मामराज बेटा देवसी जाट सा. ठन्डी	,,	,,	,,	,,	,,
२२.	२८३।१	२४॥	लेखू बेटा धन्ना जाट सा० ठन्डी २१॥ कालू बेटा श्री राम	,,	,,	,,	,,	,,
२३.	२८४	१८॥	पीथा वगैरह नं० ४४	मु. राज दलित तुलछा बेटा महार लिखमा सुथार सा. देह		,,	,,	,,

१	२	३	४	५	६	७	८	९
२४.	२८५	२१॥	खेमा बेटा सुला बावरी सा. ठन्डी	,,	,,	,,	,,	,,
२५.	२८६।२	२४॥	जोगेदसिंह बेटा दाल बावरी ६ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
२६.	२८८	२५	सावण बेटा राम करणी बावरी ६ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
२७.	३००।२	२४॥	दिवान बेटा खीस बावरी ६ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
२८.	३०६।१	२४॥	धन्ना बेटा लघु बापरी १२ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
२९.	३०२	७॥४	बस्ती बेटा हीस जाट देह	,,	,,	,,	,,	,,
३०.	३०५।१	२४॥	सातू वल्द चतरा जाट ठाठा	,,	,,	,,	,,	,,
३१.	३२१।२	२४॥	निकराम बेटा पपू राम	,,	,,	,,	,,	,,

१	२	३	४	५	६	७	८	९
३२.	३२२।२	२४	मोतीराम बेटा भागीरथराम	,,	,,	,,	,,	,,
३३.	३२५।२	११॥	लिखमा व रूपा बावरी	,,	,,	,,	,,	,,
३४.	३२६।२	२४॥	मकबूजाराज	,,	,,	बरसन व सूरा हरीजन	,,	,,
३५.	३२७।२	२४॥	,,	,,	,,	,,	,,	,,
३६.	३१८	१८॥	,,	,,	,,	,,	,,	,,
३७.	३३७	२४॥	उमा व मोटा जाट ठन्डी	,,	,,	,,	,,	,,
३८.	३३८	१४॥	मागू व. कता बावरी, ४ नामा	,,	,,	,,	,,	,,
३९.	३४२	२४॥	दुला व. खीराजाट ठंडी	,,	,,	,,	,,	
४०.	३४९।२	५॥	मलूराम व. लछमण राम ठन्डी	,,	,,	,,	,,	,,

१	२	३	४	५	६	७	८	९
४१.	३५४।२	१२	रामलाल बेटा सायतकुमार	,,	,,	,,	,,	,,
	८८६।४							
	मीजान कुल १०॥							
	८९६॥४							

फहरिस्त सोसायटी २६ एन. पी. अगुआ सामुहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड रायसिंहनगर

क्रम सं०	चक का नाम	मु. नम्बर	तादाद रकबा	तकसीम रकबा जो सोसाईटी बनने के पूर्व ५ साल किसके कब्जे में रहा २०१०	२०११	२०१२	२०१३	२०१४	२०१५
१.	२६ एन. पी.	३२।१	२४॥	मोहरसिंह वल्द मगनासिंह बाबुरी सा. ६ टी. के.	बदस्तुर	बदस्तुर	बदस्तुर	बदस्तुर	बदस्तुर
२.	,,	३३	२५	पूरण वल्द किसना बावरी ६. टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
३.	,,	३४।३६	२४॥।२ ६॥।३	करण मजदूर	,,	,,	,,	,,	,,
४.	,,	३५।२	६।४	महेन्द्रसिंह वल्द मेहरसिंह वाबरी ६ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
५.	,,	३७।१	२४।२	प्रतापसिंह वल्द प्रेमसिंह वाबरी ,,	,,	,,	,,	,,	,,
६.	,,	३८	२५	अतरसिंह वल्द कूमतसिंह वाबरी ,, १२॥	,,	,,	,,	,,	,,
				हरिचन्द वल्द खन्डा वाबरी ,, १२॥	,,	,,	,,	,,	,,
७.	,,	३६	२५	अतरसिंह वशरह मु. ३८. १२॥	,,	,,	,,	,,	,,
				हरिचन्द वल्द खन्डा वाबरी नं० ३८ १२॥	,,	,,	,,	,,	,,

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
८.	,,	४०।२	२४॥	निधानसिंह वल्द नानक वाबरी ६ टी. के	,,	,,	,,	,,	,,
९.	,,	५९।१	२४॥	अगरसिंह वल्द सम्दरसिंह वाबरी ६ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
१०.	,,	६०	२५	बिशना वल्द मेहरसिंह वाबरी ,,	,,	,,	,,	,,	,,
११.	,,	६१	२५	अमरसिंह वल्द वगू वाबरी	,,	,,	,,	,,	,,
१२.	,,	६२	२४॥	बरयामसिंह हेडा खेता ६ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
१३.	,,	६३।१	२४।३	ऊदमी वल्द राजू कोम नाई सा. ठढी १२ ४	,,	,,	,,	,,	,,
				बरयामसिंह व शरह मु. नं० ३६२ १२ ४	,,	,,	,,	,,	,,
१४.	,,	६४.	२४॥	खेता वल्द रामसिंह वाबरी सा. ६ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
१५.	,,	६५	२४॥	निहालसिंह वल्द करणसिंह वाबरी ६ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
१६.	,,	६६	२५	किशना वल्द बस्ती बावरी ६ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
१७.	,,	६७	२५	कंकनसिंह वल्द ऊदनसिंह बावरी ६ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
१८.	,,	६८	२४॥	भगवानसिंह वल्द बुधसिंह बावरी ६. टी. के.	,,	,, चन्द कोखंदा भगवानसिंह बावरी		,,	,,
१९.	,,	८१	७	यदूसिंह वल्द नयासिंह बावरी ६. टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२०.	,,	८०।१	२४॥	महरसिंह वल्द वगू बावरी ६ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
२१.	,,	८८	२५	चन्दनसिंह वल्द बुधासिंह बावरी ६ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
२२.	,,	८९	२५	नानक वल्द हीरा बावरी ६ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
२३.	,,	९०।२	२४॥	मोहन नरथा बावरी ६ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
२४.	,,	९१।२	२४॥	नारान वल्द बुदसिंह बावरी ६ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
२५.	,,	९४।२	२४॥	टिकू वल्द ईसर बावरी ६. टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
		९५।१	२४॥	मजकूर					
२६.	,,	९६	२५	साधूसिंह वल्द कालूसिंह बावरी ६ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
२७.	,,	९७	२५	सोभा वल्द रामू बावरी	,,	,,	,,	,,	,,
२८.	,,	९८।२	२४॥	निकू वल्द रामसिंह बावरी ६ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
२९.	,,	९९।१	२४॥	वगू वल्द सुन्दर बावरी	,,	,,	,,	,,	,,
३०.	,,	११६।२	२४॥	वगू मजदूर	,,	लक्ष्मीराम वल्द वेसाखा वल्द गुलाबा बावरी सा. गंगानगर लेखराम ब्राह्मण सा. बाला, सूरतगढ़			,,

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३१.	,,	११७।२	२४॥	दशरथ वल्द पीलू विश्नोई ११ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
३२.	,,	१८८	२५	भागसिंह वल्द बस्ती बावरी ९ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
३३.	,,	११९	२५	करणसिंह वल्द बस्ती बावरी ,,	,,	,,	,,	,,	,,
३४.	,,	१२०।२	२४॥	केहरसिंह वल्द रामसिंह बावरी ,,	,,	,,	,,	,,	,,
३५.	,,	३२१।१	२४॥	अजमेरसिंह वल्द गुरूदत्तसिंह बावरी ९ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
३६.	,,	१३२।२	१५	रामू वल्द लादु जाट सा. ठंडी	,,	,,	,,	,,	,,
३७.	,,	१३३	२५	—सावनसिंह वल्द वजीरासिंह बावरी ९. टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
३८.	,,	१३४।२	१६।१	हरनामा वल्द माली बावरी ९ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
३९.	,,	१३५।१	७॥	भजनसिंह वल्द रतनसिंह बावरी ,,	,,	,,	,,	,,	,,
४०.	,,	१५४	५।॥	झंडासिंह वल्द कुन्डासिंह सा. ९ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
मीजान कुल			९३५॥						
		गैर	१० ४						
		कुल	९४५॥४						

फहरिस्त सर्वोदय सामूहिक कृषि सहकारी समिति ३१ एन पी वाके मौजा ठन्डी तहसील रायसिंहनगर

क्र. सं.	नाम सोसाइटी	ग्राम	नम्बर मुरब्बा	तादाद रकबा	तफसील जो सोसाइटी बनने से पूर्व ५ साल किसके कब्जे में रहा २०१०	२०११	२०१२	२०१३	२०१४	२०१५
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	सर्वोदय सामूहिक कृषि सहकारी	३१ एन पी	७४	६॥	सुरजापुत्र मेरामेघवाल साकिन ११ टीके	बदस्तूर	बदस्तूर	बदस्तूर	बदस्तूर	बदस्तूर
२	समिति लि०		७५	१८	सुगनसिंह पु० नानूमल राजपूत	"	"	"	"	"
३	३१ एन पी		७६	२४	हीरा । नारायण मेघवाल ११ टीके	"	"	"	"	"
४			७७	२४	नारायण पुत्र सून्डा नायना ११ टीके	"	"	"	"	"
५			७८।१	२४॥	लछमण ,, गमना नायक रायसिंहनगर	"	"	"	"	"
६			७९।१	२४॥	मोडू वल्द नारायण सा० टीके ११	"	"	"	"	"
७			८०।१	२४॥	शंकर पुत्र रामरिख सा० ११ टीके	"	"	"	"	"
८			८१।१	२४॥	मेघा पुत्र नारायण मेघवाल ११ टीके	"	"	"	"	"

प २१।१८

[१५८३

१	२	३	४	५	६	७	८	९
९	८२।१	२४॥	भगवानसिंह पुत्र अत्तरसिंह बावरी ११ टीके	"	"	"	"	"
१०	८३।१	११॥।	गुल्ला पुत्र खेमा विश्नोई ११ टीके	"	"	"	"	"
११	१०२।२	२४॥	कस्तूरा पुत्र मंगला बावरी ११ टीके	"	"	"	"	"
१२	१०३	२५	शेरी पुत्र मेघाराम मेघवाल	"	"	"	"	"
१३	१०४	२५	मेरा पुत्र लिखमा मेघवाल	"	"	"	"	"
१४	१०५	२५	लालचन्द पुत्र गुरमान अरोडा	"	"	"	"	"
१५	१०६।१	२४	शंकर पुत्र रामरिख	"	"	"	"	"
१६	१०७	२४॥	बिजेलाल पुत्र श्यामलाल ११ टीके	"	"	"	"	"
१७	११३।१	२५	अतरसिंह पुत्र हरनामसिंह ११ टीके	"	"	"	"	"
१८	११२।१	२४॥	इन्दरसिंह वल्द सोमासिंह बावरी	"	"	"	"	"
१९	१११।१	२४॥	बुधा पुत्र आला हरिजन	"	"	"	"	"
२०	१३८।२	२४॥	अतरसिंह पुत्र हरनामसिंह	"	"	"	"	"
२१	१४९।१	११॥।	रणसिंह पुत्र श्यामा बावरी	"	"	"	"	"

१	२	३	४	५	६	७	८	९
२२	२००	२४	राज दौलत भदार	,,	,, खेता १२ रामप्रताप ४ नानू ८		,,	,,
२३	२०१।१	१६।।	मुलराम पुत्र नानवा जाट	,,	,,	,,	,,	,,
			बीरबल पुत्र हजारी जाट	,,	,,	,,	,,	,,
		२४।।						
२४	२०२।१	२४।।	बीरबल हजारी जाट ६।।	,,	, गणपत १५ ,		,,	,,
			शिवकरण पुत्र इमरता जाट १५	,,	,,	,,	,,	,,
२५	२३७।२	२४।।	राजदौलत राम दार	राज नथु १५	राज ६।। बदस्तूर		,,	,,
२६	२३८।२३६	२५ २५	निन्दु वल्द खेताराम ठाकरी	बदस्तूर	बदस्तूर	,,	,,	,,
२७	२४३	२५	हजारी पुत्र बगडावत सुनार रायसिंहनगर	,,	,,	,,	,,	,,
२८	२४४	२५	ख्याली पुत्र मामराज सुनार ,,	,,	,, शोकरन १२।। गोपाल १२।।		,, ,,	,, ,,

१	२	३	४	५	६	७	८	९
२९	२४५	२५	खेता पुत्र काना जाट ठाकरी १२।।	,,	,, बदस्तूर	,,	,,	,,
			नारायण पुत्र बीजा ठाकरी १२।।	,,	,,	,,	,,	,,
३०	२८२।२	२४।।	मनफूल पुत्र मेरा जाट ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,
३१	२८३।२	२४।।	बना पुत्र कालू सुनार ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,
३२	२८४।२।	२४।।	गोपालदास पुत्र श्रीराम वैरागी रायसिंहनगर	तुलसीराम	११।। ,,	,,	,,	,,
				बेगा	१३	,,	,,	,,
३३	२८५	२३।।	बेगा पुत्र जोरा चमार ११।।	बदस्तूर	बदस्तूर	,,	,,	,,
			गोपालदास पुत्र श्रीराम वैरागी रायसिंहनगर १२	,,	,,	,,	,,	,,
३४	३२५।२	१२	धना पुत्र गणेशा जाट ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,
३५	३२६।३	१२।।	मुला पुत्र गणेशा जाट ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,
३६	३२७।२	१२	सुलतान पुत्र मोती जाट ठाकरी	,,	,,	,,	,,	,,

१	२	३	४	५	६	७	८	९	
३७		३२८।२	२३।।	गिरधारी पुत्र लादु जाट सादेर	,,	,,	,,	,,	,,
			३७७।।						
	कुल मिजान		१००७।।।) ४						
	राज		८४३।।।)						
	मलकियत		१६४) ४						

फहरिस्त नया किसान सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि० ३८ एन. पी. वाके मौजा ठंडी तहसील रायसिंहनगर

सं०	नं० मुरब्बा	रकबा	तफसील जो सोसाईटी बनने से पूर्व ५ साल तक किस के कब्जे में रही २०१०	२०११	२०१२	२०१३	२०१४	२०१५
१	१३७	३।	करमसिंह व. अर्जनसिंह बावरी ४१ एन. पी.	बदस्तूर	बदस्तूर	बदस्तूर	बदस्तूर	बदस्तूर
२	१३६	६	तुलसीराम व. भैरा ब्रा. रायसिंहनगर	,,	,,	,,	,,	,,
३	१३५।२	१५।:१	भजनाराम वरतनाराम बावरी नोटिके	,,	,,	,,	,,	,,
४	१३४।२	६	हरनाम व. मला बावरी ६ टीके.	,,	,,	,,	,,	,,
५	१५४ १७४	१६।:१ २४॥	मंडासिंह व.बूडसिंह नोटिके	,,	,,	,,	,,	,,
६	१५३।१	२४॥	ओखसिंह व. बाला बावरी १२ पी. एस	,,	,,	,,	,,	,,
७	१५२।२	२४॥	करतसिंह व. रणजीत बावरी नोटिके.	,,	,,	,,	,,	,,

१	२	३	४	५	६	७	८	९
८	१५१	२५	धनराज व. जीता विश्नोई ११ टी. के	,,	,,	,,	,,	,,
९	१५०।२	३	भजनलाल व. भामराज विश्नोई ११	,,	,,	,,	,,	,,
१०	१७३।१	२४॥	खेतरसिंह व. भगवानसिंह बावरी ६	,,	,,	,,	,,	,,
११	१७१।२	२४॥	वीरसिंह व. कालासिंह बावरी ,,	,,	,,	,,	,,	,,
१२	१७१	२५	रामजी व. सूवा बावरी ६ टी.के.	,,	,,	,,	,,	,,
१३	१७६।१	२४॥	मील व. रामलाल विश्नोई १२ टी.के.	,,	,,	,,	,,	,,
१४	१८१।२	२४॥	मोती व. चन्दसिंह बावरी ६ टी.के,	,,	,,	,,	,,	,,
१५	१८७	१६	गोन्दी व नत्थासिंह बावरी ६ टी.के.	,,	,,	,,	,,	,,
१६	२१०	६	भागसिंह व. सुदंरसिंह बावरी ६ टी.के.	,,	,,	,,	,,	,,
१७	२०६।१	२४॥	काहनसिंह व.	,,	,,	,,	,,	,,
१८	२०८।२	२४॥	इन्द्रसिंह व. इसरसिंह तरखान ६ टी.के.	,,	,,	,,	,,	,,
१९	२२५।१	२४॥	वीरसिंह व. नत्थासिंह बांवरी ६ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
२०	२२४।२	२४॥	तेलू व. धनसुख बावरी ठंडी	,,	,,	,,	,,	,,
२१	२२३।१	१५	सरदारा व. कालू बावरी अमरगढ	,,	,,	,,	,,	,,

१	२	३	४	५	६	७	८	९
२२	२४८	२५	माहीया धन्ना बावरी ठंडी	,,	,,	,,	,,	,,
२३	२४७।१	२४॥	खेमा व. सूला बावरी ठंडी	,,	,,	,,	,,	,,
२४	२४६।२	२४॥	बखतावरसिंह व. जोरावरसिंह राजपूत	,,	,,	,,	,,	,,
२५	२६३।१	२४॥	चेतन व किसना बावरी ठंडी	,,	,,	,,	,,	,,
२६	२६२।२	२४॥	मकबूजा राज	,,	,,	,,	,,	,,
२७	२६१।२	१०	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,
२८	२६०	७	गनपत व. रावत बावरी ठंडी	,,	,,	,,	,,	,,
२९	२८९	११॥:२	मकबूजा राज	,,	,,	,,	,,	,,
३०	२८८	२४॥	आदू व. रामू ११ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
३१	२८७।१	२४॥	जगार व. बाना बावरी ९ टी. के.	,,	,,	,,	,,	,,
		६३८॥:४						
	गोरम	८।:३						
	कुल	६४७						

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२८ का उत्तर देखिये)

सं०	नाम कर्मचारी	अग्रिम देने की तारीख	राशि	लोन या एडवान्स की किस्म	जमा	बाकी
१	२	३	४	५	६	७
१.	श्री एस. के. गुप्ता	अक्टूबर, ५६	५०)	फेस्टिवल एडवान्स	३८)	१२)
२.	श्री आर .के. शर्मा	,,	५०)	,,	३८)	१२)
३.	श्री टी. सी. गोदिका	,,	५०)	,,	३८)	१२)
४.	श्री के. सी. जैन	,,	५०)	,,	३८)	१२)
५.	श्री बी. एस. भटनागर	,,	५०)	,,	३८)	१२)
६	श्री बी. एल. शर्मा	,,	५०)	,,	३८)	१२)
७.	श्री आर. एस. केडिया	,,	५०)	,,	३८)	१२)

१	२	३	४	५	६	७
८.	श्री प्रदीप कुमार	,,	५०)	,,	३८)	१२)
६	श्री सुरेन्द्र कुमार	,,	५०)	,, ,,	३८)	१२)
१०.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	,,	५०)	,,	३८)	१२)
११.	श्री सीता राम	,,	५०)	,,	३८)	१२)
१२.	श्री जी. के. बोरा	,,	५०)	,,	३८)	१२)
१३.	श्री एस. एम. एल. पाटनी	,,	५०)	,,	३८)	१२)
१४.	श्री ओमकार वर्मा	,,	५०)	,,	३८)	१२)
१५.	श्री आर. डी. सोलन्की	,,	५०)		३८)	१२)
१६.	श्री आर. पी. नारायन	,,	५०)		३८)	१२)
१७.	श्री जी. के. व्यास	,,	५०)	,,	३८)	१२)
१८.	श्री पी. सी. जोशी	,,	५०)	,,	३८)	१२)
१९.	श्री के. के. वर्मा	,,	५०)	,,	३८)	१२)
२०.	श्री धर्म चन्द	,,	५०)	,,	३८)	१२)

१	२	३	४	५	६	७
२१.	श्री मालूराम	,,	५०)	,,	३८)	१२)
२२.	श्री जी. एल. गुप्ता	,,	५०)	,,	३८)	१२)
२३.	श्री एल. पी. याग्निक	,,	५०)	,,	३८)	१२)
२४.	श्री बन्शीलाल	,,	५०)	,,	३८)	१२)
२५.	श्री रतनसिंह	,,	३४)	,,	२६)	८)
२६.	श्री मोहनलाल शर्मा	,,	३०)	,,	२३)	७)
२७.	श्री गप्पूलाल	,,	३४)	,,	२६)	८)
२८.	श्री कल्याण	,,	२८)	,,	२१)	७)
२९.	श्री गोविन्द	,,	३४)	,,	२६)	८)
३०.	श्री प्रहलाद	,,	२८)	,,	२१)	७)
३१.	श्री अबदुल मजीद	अक्टूबर, ५८	१५०)	साईकिल एडवान्स	१०२)	४८)
३२.	श्री कन्हैयालाल	,,	१५०)	,,	१०२)	४८)
३३.	श्री किशनसिंह	,,	१५०)	,,	१०२)	४८)
३४.	श्री भैरू सहाय	,,	१५०)	,,	१०२)	४८)

Page No.117

१	२	३	४	५	६	७
३५.	श्री शिव दयाल	,,	१५०)	,,	१०२)	४८)
३६.	श्री एस. के गुप्ता	,,	१५०)	,,	१०२)	४८)
३७.	श्री आर. के. मित्रा	,,	१५०)	,,	१०२)	४८)
३८.	श्री जी. एन. रोलीवाल	,,	१५०)	,,	१०२)	४८)
३९.	श्री एम. एम. शर्मा	,,	१५०)	,,	१०२)	४८)
४०.	श्री जे. सी. जोशी	,,	१५०)	,,	१०२)	४८)
४१.	श्री आर. के. शर्मा	फरवरी, ५६	१५०)	,,	७७)	७३)
४२.	श्री एच. डी जोशी	,,	१५०)	,,	७७)	७३)
४३.	श्री के. एन. वर्मा	,,	१५०)	,,	७७)	७३)
४४.	श्री सम्पत राम	अक्टूबर, ५८	१५०)	,,		
४५.	श्री पी. सी. पाटनी	अक्टूबर, ५६	१५०)	,,	३९)	१११)
४६.	श्री आर. डी. मंडावरिया	जून, ५६	१५०)	,,	२६)	१२४)
४७.	श्री आर. पी. शर्मा	अक्टूबर, ५८	१५०)	,,	१०३)	४७)

१	२	३	४	५	६	७
४८.	श्री एल. पी. याजनिक	,,	१५०)	,,	१०३)	४७)
४९.	श्री लालाधर	फरवरी, ५६	१५०)	,,	७७)	७३)
५०.	श्री आर. एल. राघवानी	अक्टूबर, ५८	१५०)	,,	१०३)	४७)
५१.	श्री एन. एल. जोशी	,,	१५०)	,,	७२)	७८)
५२.	श्री ए. के. त्रैराठी	अप्रेल, ५६	१५०)	,,	८०)	७०)
५३.	श्री केशरीमल पुरोहित	२२-८-५६	७०००)	गृह निर्माण अग्रिम		
		१-२-६०	२०००)	,,	४३५)	८५६५)
५४.	श्री खजानसिंह शर्मा	मार्च, ५६	२५००)	,,	२१०)	२२६०)
५५.	श्री एम. एम. एल. पाटनी	,,	४३२०)	,,	२००)	४१२०)
५६.	श्री जी. एल. गुप्ता	दिसम्बर, ५६	२५००)	,,	१२६)	२३७४)

———

Page No.119

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २०४ का उत्तर देखिये)

सूची नुकसान ओला बारी ग्राम उनियारा, उनियारी, पागड़ा, पागड़ी, तहसील उनियारा दिनांक ६-११-५६

क्रम सं०	नाम तहसील	नाम ग्राम	रकबा काश्तशुदा फसल खरीफ में	रकबा जिसमें नुकसान हुआ	तादाद खेत		औसत नुकसान फी रुपया दो आने से १० आने तक: जुवार बीघा बि० मूंग आदि	बाजरा बीघा बि०	मिरच बीघा बि०	उड़द बी० बि०	गन्ना बी० बि०	गवार बी० बि०	अन्य विवरण
१	उनियारा	उनियारा	४९४६।)४	१०००॥)	४१०	९७२)	११)	१२॥)	५)	—			फसल रबी में
२	,,	उनियारी	४९१॥)२	२९१)१	६६	२८६॥।)२	२)	२)४	—	—			ऐसा कोई नुकसान
३	,,	पागड़ी	७३१।)६	५६०॥)३	१६०	५५४॥।)४	,,	१॥।)१	२।)	१॥)३			नहीं हुआ जो विच
४	,,	पागड़ा	४९६)१	७७॥)	१४	७६॥)४	—	—	—	१)१			ने योग्य हों।
			६६६८।)३	१९२९॥)	६५०	१८९०।)	१३)	१६॥)	७।)	२॥)४			

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार ४ मार्च, १९६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१४१२	६	शिक्ष, कृष, साममान्य	शिक्षा,कृषि, सामान्य
१४१३	प्रथम	the Ecation	the Education
,,	१३	whie studying	while studying
१४१४	प्रथम	apply govrnmen	apply to Government
१४१५	८	I canno	I canot
,,	१०	sercous of aminor	a minor
,,	अन्तिम से ७	placed/the	placed the
१४१८	१४	हैं, हई	हैं, हुई
१४१६	अन्तिम से ८	मंत्री गृह मंत्री यह	मंत्री यह
१४२०	अन्तिम से ६	श्री नाथूगम	श्री नाथूराम
१४२१	,, ,, ६	कब्जा करने	कब्जा करने के
१४२२	,, ,, ६	जोधपर	जोधपुर
१४२३	अन्तिम	रू टवारी	रूह से पटवारी
१४२५	६	चे होते	चेन्जेज़ होते
,,	१०	तहसीर के	तहसीलदार को
१४३७	२१	by thes tate	by the state
१४३६	प्रथम	It is	Is it
,,	५	still unctioning	still functioning
१४४१	१५	जबर्न आराजी	जबरन आराजी
१४४६	१४	(बीकानेर साटी)	(बीकानेर सीटी)
१४५२	१३ के नीचे		अलॉट की थी
१४५६	६	श्रा रामकिशोर	श्री रामकिशोर
,,	अन्तिम से ५	स्टेडी किये	स्टडी किये
१४५७	शीर्ष	तारकित प्रशोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	१६	श्री भैरोसिह	श्री भैरोंसिंह
१४६३	८	मैंने, आवश्यता	मैंने आवश्यकता

Page No.121

(२)

१	२	३	४
१४६४	१५	प्रश्न संव्या	प्रश्न संख्या
,,	अन्तिम से ४	कस ग्राम	किस ग्राम
१४६५	१०	राहित के	राहत के
,,	११	: १	: (१)
१४६७	८	करनी पड़ेगा	करनी पड़ेगी
,,	१०	करना ही	करनी हो
१४६६	अन्तिम से ६	किननी किश्तें	कितनी किश्तें
१४७०	१५ के नीचे		राज्यपाल महोदय का सन्देश
१४७१	२	विधान सभा सम्बन्धी	विधान सम्बन्धी
१४७२	,, ,, ,,	आनाज के	अनाज के
१४७३	शीर्ष	विधेयक ११५६	विधेयक, १९५६
१४७५	२५	उद्देश्य आपका	उद्देश्य आपका
१४७८	१२ व १५	वाध्य	बाध्य
१४७६	३	लें छोटा	लें छोटी
,,	१०	सिपेटिली	सिपैलिटी
,,	११	निश्चय रूप	निश्चित रूप
,,	अन्तिम से २	रेन्ट लाग	रेन्ट लागू
१४८०	१६	४ की	४ को
,,	२४	बन्बई	बम्बई
१४८५	२	संशाधन विधेयक ६५६	संशोधन विधेयक १६५६
,,	१४	वेर्टस और	वेट्स और
१४८८	शीर्ष	(एन्फर्समेण्ट)	(एन्फोर्समेण्ट)
१४६०	,,	(एन्र्समेण्ट)	(एन्फोर्समेण्ट)
१४६१	अन्तिम	विद्यक	विधेयक
१४६३	६	विवेयक	,,
१४६३	अन्तिम से ४	पर लाग	पर लागू
१४६७	४	(विरात)	(विराम)
१४६६	शीर्ष	मोरंजन कर	मनोरंजन कर
१५०३	७	सिमेमा में	सिनेमा में
१५०४	शीर्ष	करा-	कर-
१५०४	२०	वह करत	वह करते
१५०५	प्रथम	भी लाग	भी लागू
,,	७	आरतें आदि	औरतें आदि
,,	१६	कछवाहा:	कछवाहा:सड़कों

(३)

१	२	३	४
१५०५	२०	तो सिनेम	तो सिनेमा
१५०६	शीर्ष	जस्थान	राजस्थान
१५०८	प्रथम	तरासे	तरफ से
१५०६	अन्तिम से ८	दोष में	दोष मैं
१५१२	,, ,, ६	जन कर	रंजन कर
१५१६	,, ,, २	लाग कर	लाग् कर
१५१६	२०	यन लोगों	इन लोगों
१५२१	२१	चौर बन	चोर बन
१५२३	१७	प्रोप्राइटर्रें	प्रोप्राइटरों
१५२८	अन्तिम से ४	मार्कस ने	मार्क्स ने
१५२६	५	गरीब आपको	गरीब हैं
,,	६	उसके ज्यादा	उनके ज्यादा
१५३१	३	त की	बात की
१५३२	अन्तिम से ३	उन, पर	उन पर
१५३४	६	ther of "	there of"
१५३५	७	मिलेगी; जनता	मिलेगी जनता
,,	१२	कॉज़ज़े २	कॉज़ेज़ २
१५३७	शीर्ष	विघेद्क, १६६०	विधेयक, १६६०
१५४०–४१	शीर्ष	४ माच	४ मार्च
१५४४	१४	naemely:–	namely :–
१५४५	६	his offssice	his office
१५५१	६	Bananinion	Bananion
१५५२	६	Swoclln	Swollen
,,	११	Membxanes	Membranes
१५५३	१३	Splen	Spleen
,,	अन्तिम	Conrrimation	Confirmation
१५५४	६	Nay Shahar	Naya Shahar
१५५७	शीर्ष	१५५	१५५७
१५५८	सीरियल २८ के सामने	मुयारठाकरी	सुथार ठाकरी
१५६२	३	नाम सोसाइटा	नाम सोसाइटी
१५८८	सीरियल ३ के सामने	वरतनाराम	व रतना राम
१५८६	सीरियल १३ के सामने	भीख व	भीखा व